PERFECT 7
साप्ताहिक
समसामयिकी

जनवरी 2020 | अंक-4

इंटरनेट के माध्यम से वाक् एवं अभिव्यक्ति

एक मूल अधिकार

- भारत में दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति, 2020 : एक विश्लेषण
- धार्मिक स्वतंत्रता बनाम व्यक्तिगत अधिकार : एक महत्वपूर्ण मुद्दा
- ऐन्यूअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, 2019 : एक अवलोकन
- 'खेलो इंडिया' के सकारात्मक प्रभाव एवं इसके समक्ष चुनौतियाँ
- भारत में बढ़ती मुद्रास्फीति और उसका प्रभाव
- वैश्विक पॉवर ग्रिड : भारत का एक महत्वाकांक्षी प्रस्ताव

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

STUDY AT HOME

GEOGRAPHY, SOCIOLOGY
&
HINDI LITERATURE

Call: 9205212500

ध्येय IAS : एक परिचय

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धति में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है। साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

विनय कुमार सिंह
संस्थापक एवं सीईओ
ध्येय IAS

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहाँ छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

क्यू. एच. खान
प्रबंध निदेशक
ध्येय IAS

Perfect 7 : एक परिचय

मैं उत्साहपूर्वक यह बताना चाहता हूँ कि 'Perfect 7' का नया स्वरूप छात्रों एवं पाठकों के लिए और अधिक जानकारियों को एक अत्यंत आकर्षक स्वरूप में लेकर सामने आ रहा है। इस कार्य के लिए संपादकीय दल को मेरी सुभेच्छा। शुरूआत से ही ध्येय IAS द्वारा रचित 'Perfect 7' को पाठकों का बेहद प्रेम और स्नेह मिलता रहा है। किसी भी संस्था का नाम एवं प्रसिद्धि उसके छात्रों एवं शिक्षकों की दक्षता एवं उपलब्धियों पर निर्भर करती है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य उसके छात्रों की क्षमताओं का निर्माण कर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करना होता है, उसी क्रम में यह पत्रिका इस संस्थान की शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उसके छात्रों एवं पाठकों में समसामयिकी मुद्दों पर एक व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करने के लक्ष्य को लेकर प्रकाशित की जा रही है जिसके द्वारा विभिन्न प्रबुद्ध शिक्षकों, लेखकों एवं छात्रों को एक मंच पर सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि वे अपने नवाचार युक्त विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें।

इस क्रम में किये जा रहे कठिन परिश्रम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

कुरबान अली
मुख्य सम्पादक
ध्येय IAS
(पूर्व संपादक - राज्य सभा टी.वी.)

हमने अपनी साप्ताहिक पत्रिका का ना केवल नाम 'Perfect 7' रखा है, बल्कि उसे 'परफेक्ट' बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी किया है। यह सर्वविदित है कि किसी कार्य की शुरूआत सबसे चुनौतीपूर्ण होती है और सबसे महत्वपूर्ण भी। इसलिए यह स्थिति हमारे सामने भी आयी।

हमारे लिए यह चुनौती और भी बड़ी इसलिए साबित हुई क्योंकि हमने अपनी पत्रिका की गुणवत्ता के लिए अत्यधिक उच्च मानक तय किया। हमने शुरूआत में ही तय कर लिया था कि हम पत्रिका के नाम पर प्रतिभागियों को 'सूचनाओं का कचरा' नहीं प्रदान करेंगे। हमने यह निश्चय किया कि सिविल सेवा की परीक्षा को केंद्र में रखते हुए, हम उन्हें 'Perfect 7' के रूप में वह रामबाण देंगे जो सीधे लक्ष्य को भेदेगा। इसके लिए हमने 'मल्टी फिल्टर' और 'सिक्स सिगमा' प्रणाली को अपनाया जिसके तहत अलग-अलग स्तरों पर चर्चा कर अंततः उन विषयों और मुद्दों को इसमें समाहित किया जाता है जहाँ से परीक्षा में प्रश्नों का पूछा जाना अधिसंभाव्य है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर गलतियों को दूर कर 'Perfect 7' को त्रुटिहीन, प्रवाहपूर्ण और आकर्षित रूप में आपके सामने लाया जाता है।

गुणवत्तापूर्ण सामग्री देने के अतिरिक्त, समयबद्ध रूप से इसको आपके समक्ष लाना भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। हमें इस बात का बेहद हर्ष एवं गर्व है कि पहले अंक से लेकर इस अंक तक कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं रहा जब 'Perfect 7' अपने तय समय पर प्रकाशित न हुई हो।

'Perfect 7' का यह जो नया संस्करण हम आपके सामने ला रहे हैं, इसमें हमारे परिश्रम से कहीं ज्यादा आपके प्रेम और स्नेह की भूमिका है जिसकी वजह से हम बिना रूके बिना थके प्रत्येक सप्ताह आपके लिए यह पत्रिका प्रकाशित करते हैं। आपकी शुभकामनाओं से यह क्रम आगे भी जारी रहेगा।

आशुतोष सिंह
प्रबंध सम्पादक
ध्येय IAS

'Perfect 7' में सुधार एवं संवर्द्धन हेतु किसी भी प्रकर के सुझाव, टिप्पणी और विचार के लिए हम सदैव आपके आभारी रहेंगे।

9990772422

प्रस्तावना

हमने 'Perfect 7' पत्रिका को सिविल सेवा परीक्षा के प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया है। सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का चयन कर 'Perfect 7' में सात महत्वपूर्ण मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया जाता है। इसके अतिरिक्त सात ब्रेन बूस्टर्स, सात महत्वपूर्ण तथ्य, पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं सात महत्वपूर्ण ग्राफिक्स के माध्यम से संकल्पनाओं का समावेशन 'Perfect 7' को सिविल सेवा परीक्षा के लिए 'गागर में सागर' साबित करता है।

'Perfect 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों का संकलन करते समय उन मुद्दों के पक्ष, विपक्ष, विशेषताओं तथा उनसे भारत एवं विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है, ताकि छात्र उन मुद्दों के बारे में एक समझ विकसित कर सकें। 'Perfect 7' के सात महत्वपूर्ण खबरों के जरिए छात्रों को सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। इस पत्रिका के सात महत्वपूर्ण तथ्यों एवं पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए हम अपने छात्रों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा के सभी पहलुओं को समाहित करना है। 'Perfect 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के जरिए समसामयिक विषयों की जानकारी संक्षेप में एवं आकर्षक रूप में प्रस्तुत की जाती है जिससे कि छात्रों द्वारा इसे सरलता से आत्मसात किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है।

अन्य पत्रिकाओं की भांति हम छात्रों को केवल सतही जानकारी उपलब्ध कराने में विश्वास नहीं रखते बल्कि सारगर्भित बहुपक्षीय और त्रुटिरहित जानकारी प्रदान करने का अथक प्रयास करते हैं जिससे सिविल सेवा में हमारे छात्र सफलता अर्जित कर सकें, क्योंकि छात्रों की सफलता ही हमारी पत्रिका की कसौटी है। हमने अपने अथक प्रयास एवं परिश्रम के जरिए 'Perfect 7' पत्रिका को 'परफेक्ट' बनाने का कार्य किया है, फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो उसे सुधारने में आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

जीत सिंह
सम्पादक
ध्येय IAS

Perfect 7

साप्ताहिक संस्करण
Perfect 7
ध्येय IAS के द्वारा की गई पहल (सिविल सेवाओं हेतु)
जनवरी-2020 | अंक-4

संस्थापक एवं सी.ई.ओ.
विनय कुमार सिंह

प्रबंध निदेशक
क्यू.एच.खान

मुख्य संपादक
कुरबान अली

प्रबंध संपादक
आशुतोष सिंह

संपादक
जीत सिंह, अवनीश पाण्डेय, ओमवीर सिंह चौधरी, रजत झिंगन

संपादकीय सहयोग
प्रो. आर. कुमार

मुख्य लेखक
अजय सिंह, अहमद अली, धर्मेन्द्र मिश्रा, रंजीत सिंह, रमा शंकर निषाद

लेखक
अशरफ अली, विवेक शुक्ला, स्वाति यादव, गिरिराज सिंह, अंशु चौधरी, सौम्या उपाध्याय

मुख्य समीक्षक
अनुज पटेल, प्रेरित कान्त, राजहंस सिंह

त्रुटि सुधारक
संजन गौतम

आवरण सज्जा एवं विकास
संजीव कुमार झा, पुनीश जैन

विज्ञापन एवं प्रोन्नति
गुफरान खान, राहुल कुमार

प्रारूपक
विपिन सिंह, रमेश कुमार, कृष्णा कुमार, निखिल कुमार

टंकण
कृष्णकान्त मण्डल

लेख सहयोग
मृत्युंजय त्रिपाठी, रजनी सिंह, लोकेश शुक्ला, गौरव श्रीवास्तव, प्रीति मिश्रा, आदेश, प्रभात

कार्यालय सहायक
हरीराम, संदीप, राजीव कुमार

Content Office
DHYEYA IAS
302, A-10/11, Bhandari House,
Near Chawla Restaurants,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009

विषय सूची

सात महत्वपूर्ण मुद्दे एवं उन पर आधारित विषयनिष्ठ प्रश्नोत्तर 01-22

- इंटरनेट के माध्यम से वाक् एवं अभिव्यक्ति : एक मूल अधिकार
- भारत में दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति, 2020 : एक विश्लेषण
- धार्मिक स्वतंत्रता बनाम व्यक्तिगत अधिकार : एक महत्वपूर्ण मुद्दा
- ऐन्यूअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, 2019 : एक अवलोकन
- 'खेलो इंडिया' के सकारात्मक प्रभाव एवं इसके समक्ष चुनौतियाँ
- भारत में बढ़ती मुद्रास्फीति और उसका प्रभाव
- वैश्विक पॉवर ग्रिड : भारत का एक महत्वाकांक्षी प्रस्ताव

सात ब्रेन बूस्टर्स तथा उन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर 23-31

सात महत्वपूर्ण तथ्य 32

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) 33

सात महत्वपूर्ण खबरें 34-36

सात महत्वपूर्ण बिंदु : साभार पीआईबी 37-40

सात महत्वपूर्ण संकल्पनाएँ : ग्राफिक्स के माध्यम से 41-44

Our other initiative

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...

Hindi & English Current Affairs Monthly News Paper

DHYEYA TV
Current Affairs Programmes hosted by Mr. Qurban Ali (Ex. Editor Rajya Sabha, TV) & by Team Dhyeya IAS
(Broadcasted on YouTube & Dhyeya-TV)

सात महत्वपूर्ण मुद्दे

1. इंटरनेट के माध्यम से वाक् एवं अभिव्यक्ति : एक मूल अधिकार

चर्चा का कारण

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी को जम्मू-कश्मीर में अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों जैसी सभी जरूरी जगहों पर इंटरनेट सेवा बहाल करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश देते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में बोलने की स्वतंत्रता एक अनिवार्य तत्व है।

परिचय

इंटरनेट तकनीक के विकास के शुरूआती दौर में किसी ने नहीं सोचा होगा कि यह एक ऐसा आविष्कार होगा जिससे मानव सभ्यता का चेहरा हमेशा के लिए बदल जाएगा। प्रारंभ में इसका विस्तार विकसित देशों के पक्ष में ज्यादा था, पर जैसे-जैसे तकनीक का विकास होता गया इंटरनेट ने विकासशील देशों की ओर रुख करना शुरू किया और नई-नई सेवाएँ इससे जुड़ती चली गईं। आज इंटरनेट के बगैर जीवन की कल्पना करना थोड़ा मुश्किल है। जम्मू-कश्मीर में लगी इंटरनेट की पाबंदी के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी यही इशारा करती है कि अब इंटरनेट महज एक तकनीक भर नहीं रहा, बल्कि हमारी जीवन शैली का अंग बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट के जरिये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19 (1)(क) के तहत मौलिक अधिकार है। इंटरनेट के जरिये कारोबार करने के अधिकार को भी अनुच्छेद 19 (1)(छ) के तहत संवैधानिक संरक्षण मिला हुआ है। इंटरनेट को एक तय अवधि की जगह अपनी इच्छानुसार लंबे समय के लिए बंद करना टेलीकॉम नियमों का उल्लंघन है। स्कूल-कॉलेज और अस्पताल जैसी जरूरी सेवाओं वाले संस्थानों में इंटरनेट बहाल किया जाना चाहिए। इंटरनेट अब सिर्फ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए ही नहीं जरूरी है, बल्कि हमारा पूरा समाजीकरण उसी से निर्धारित हो रहा है और यह जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है।

पृष्ठभूमि

गौरतलब है कि सरकार ने 05 अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर दिया था। सरकार ने इसके साथ ही सुरक्षा कारणों के मद्देनजर राज्य में सभी तरह की पाबंदियाँ लगा दी थीं। इसमें इंटरनेट और धारा 144 को लागू करना भी शामिल था। सरकार द्वारा कई संवेदनशील इलाकों में कर्फ्यू भी लगाई गई थी। जम्मू-कश्मीर में इन पाबंदियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएँ दाखिल की गई थीं, उल्लेखनीय है कि कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, अनुराधा बेसिन और कई अन्य नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में जम्मू-कश्मीर के प्रतिबंधों के खिलाफ याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा कि सरकार ने इंटरनेट, मोबाइल कॉलिंग सुविधाओं पर प्रतिबंध लगाया है, जिसको लेकर जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी, जस्टिस बी. आर. गवई की बेंच ने मामले की सुनवाई की थी।

अनुच्छेद 19 और इंटरनेट रोकने की प्रक्रिया

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 भारत के नागरिकों के लिए कुछ मौलिक अधिकारों की बात करता है। अनुच्छेद 19 (1) के तहत निम्न मौलिक अधिकार हैं- सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिना हथियार किसी जगह शांतिपूर्वक इकट्ठा होने, संघ या संगठन बनाने, कहीं भी स्वतंत्र रूप से घूमने, भारत के किसी भी हिस्से में रहने और बसने, कोई भी व्यवसाय-पेशा अपनाने या व्यापार करने का अधिकार। इन अधिकारों के तहत माँग उठती रही है कि इंटरनेट के उपयोग को भी मौलिक अधिकार घोषित किया जाए, जिसको लेकर समय-समय पर प्रदर्शन भी किए गए। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इंटरनेट एक्सेस (Access) नागरिकों का हक है। हालाँकि बावजूद इसके इंटरनेट पर कई बार पाबंदियाँ लगायी गईं।

भारत में इंटरनेट सेवाएँ रोकने के लिए अभी दो कानूनी प्रावधान और एक नियमावली है। ये कानून हैं- कोड ऑफ क्रिमिनल प्रॉसीजर- 1973 (सीआरपीसी), इंडियन टेलीग्राफ एक्ट- 1885 और 2017 का टैंपररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज (पब्लिक इमरजेंसी या पब्लिक सेफ्टी) रूल्स। इनके आधार पर ही सरकारी एजेंसियाँ भारत के जिलों या राज्यों में इंटरनेट बंद करने का फैसला करती हैं। इसकी अपनी ही पूरी प्रक्रिया है, जिसके तहत केंद्र या राज्य के गृह सचिव इंटरनेट पर रोक लगाने का आदेश देते हैं। यह आदेश एसपी या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी के माध्यम से सेवा प्रदाता को भेजा जाता है।

विदित हो कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद (1) जहां मौलिक अधिकारों की बात करता है, वहीं अनुच्छेद 19 (2) के तहत इन अधिकारों को सीमित भी किया गया है। अनुच्छेद 19 (2) में कहा गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से किसी भी तरह देश की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता को नुकसान नहीं होना चाहिए। इन तीन चीजों के संरक्षण के लिए अगर कोई कानून है या बन रहा है, तो उसमें भी बाधा नहीं आनी चाहिए।

इंटरनेट पर संयुक्त राष्ट्र का दृष्टिकोण

संयुक्त राष्ट्र ने भी सभी देशों से लोगों के लिए इंटरनेट को मौलिक अधिकार बनाने की सिफारिश

की है। कोस्टारीका, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, ग्रीस और स्पेन में इंटरनेट को नागरिकों का मूलभूत अधिकार घोषित किया जा चुका है। इन देशों ने अपने संविधान में इसे चिह्नित किया है। भारत और पाकिस्तान के बाद जिन देशों में इंटरनेट बंद किए जाने के सबसे अधिक मामले सामने आए हैं, उनमें इराक (सात बार), यमन (सात बार), इथियोपिया (छः), बांग्लादेश (पांच और रूस (दो) शामिल हैं।

उल्लेखनीय है कि रूस की सरकार एक तरह का समानांतर इंटरनेट बना रही है, जो केवल रूस की सीमाओं में ही उपलब्ध होगा तब रूस की सरकार का लोगों के इंटरनेट इस्तेमाल करने पर पूरा नियंत्रण होगा। वहीं चीन में सरकार या देश विरोधी कंटेंट रोकने के नाम पर कई फिल्टर लगाए गए हैं। चीन ने कई वेबसाइटों पर भी रोक लगा रखी है।

वैश्विक स्थिति

- **कोस्टा रीका** – इस देश का सुप्रीम कोर्ट पहले ही सूचना प्रौद्योगिकी, इंटरनेट को नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार बता चुका है।
- **एस्तोनिया** – इस यूरोपीय देश ने अब से 20 साल पहले वर्ष 2000 में ही देश के हर हिस्से तक इंटरनेट पहुंचाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया था तभी इंटनरेट को मूलभूत मानव अधिकार बताया था।
- **फिनलैंड** – एक दशक से भी पहले फिनलैंड ने 2010 तक देश के हर इंसान तक एक एमबी प्रति सेकंड (1 MB/Sec) स्पीड ब्रॉडबैंड की पहुंच देने का फैसला किया था जबकि 2015 तक हर किसी तक 100 एमबी प्रति सेकंड (100 MB/Sec) स्पीड का इंटनेट कनेक्शन देने की तैयारी कर ली थी।
- **फ्रांस** – यहां का सर्वोच्च न्यायालय इंटरनेट को लोगों के लिए मूलभूत अधिकार घोषित कर चुका है।
- **ग्रीस** – यहां के संविधान के अनुच्छेद 15 (ए) में सभी को सूचना समाज (Information Society) में शामिल होने का अधिकार दिया गया है।
- **स्पेन** – इस देश में यहां रहने वाले हर इंसान को उचित कीमत पर कम से कम एक एमबी प्रति सेकंड स्पीड ब्रॉडबैंड उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

इंटरनेट महत्वपूर्ण क्यों

वर्तमान समय में इंटरनेट के महत्त्व को निम्न बिन्दुओं के तहत समझा जा सकता है–

- आज इंटरनेट ने लोकाचार के तरीकों को बदल दिया है। बहुत-सी परंपराएँ और बहुत सारे रीति-रिवाज अपना रास्ता बदल रहे हैं।
- इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार वैवाहिक वेबसाइटों पर 2013 में 8.5 लाख प्रोफाइल अपलोड की गई जिनकी संख्या 2014 में 19.6 लाख हो गई।
- भारत में एप के माध्यम से घर में बने खाने का तेजी से बढ़ता व्यापार, बदलती जीवन शैली, बढ़ता मध्यम वर्ग और कामकाजी महिलाओं की संख्या में इजाफा और दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा स्मार्टफोन धारकों की उपस्थिति ये कुछ ऐसे कारक हैं जिनसे घर पर खाना बनाने की प्रवृत्ति प्रभावित हुई है।
- बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के अनुसार, भारत में खानपान का बाजार 2014 में 23 लाख करोड़ रुपये का था जो इंटरनेट के प्रभाव और इस्तेमाल से 2020 के अंत तक 42 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच सकता है।
- आज इंटरनेट जागरूकता साबित हो रहा उन संगठनों के लिए भी वरदान है जिनके पास लोगों को संगठित करने के लिए विशाल संसाधन नहीं है। जिन लोगों के पास न तो समय है और न ही किसी खास विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता कि वे किसी धरने या अध्ययन समूह में जा सकें। वे हैशटैग के माध्यम से तर्क-वितर्क का हिस्सा बन रहे हैं।
- वहीं सोशल मीडिया पर चलने वाली दिशाहीन बहसें जटिल मुद्दों को व्यवस्थित कर ज्ञान में एक नया आयाम जोड़ रही है।
- आज भारत में परंपरागत बाजार को ऑनलाइन शॉपिंग कड़ी टक्कर दे रहा है। ऑनलाइन खुदरा व्यापारियों के पास हर सामान उपलब्ध है। किताबों से शुरू हुआ यह सिलसिला फर्नीचर, कपड़ों, किराने के सामान से लेकर फल, सौंदर्य प्रसाधन तक पहुँच गया है।
- स्नैपडील कंपनी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में ऑनलाइन बाजार 800 अरब डॉलर का है जो लगातार बढ़ रहा है और 2025 तक यह लगभग दो हजार अरब डॉलर का हो जाएगा। समय आ गया है कि सरकार आपात स्थिति में इंटरनेट बंद करने के इतर विकल्पों पर विचार करें, क्योंकि इंटरनेट अब समाज का एक आवश्यक अंग बन चुका है।
- इसके अतिरिक्त इंटरनेट ने राजनीति एवं लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी को बढ़ाने में मदद किया है।
- इसके साथ ही बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर प्रदान करने के सरकार के प्रयासों को भी बढ़ावा दिया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वर्तमान में लगभग सभी अपनी समस्याओं और प्रश्नों को हल करने के लिये सर्वप्रथम गूगल पर ही सर्च करना पसंद करते हैं।
- यह भारतीय समाज को सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से एकत्रित करने में सहायक है।
- इंटरनेट ने दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले उन विद्यार्थियों के लिये भी बेहतर शिक्षा का विकल्प खोल दिया है, जिनके पास अब तक इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं थी।
- सभी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने से सरकार की लागत में कमी को भी सुनिश्चित किया गया है। यह सरकार की जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ाता है। साथ ही सरकारी योजनाओं के सफल कार्यान्वयन में सहायक हो सकता है।

चुनौतियाँ

जहाँ इंटरनेट ने भारत को एक नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वहीं इसके मार्ग में कई चुनौतियाँ भी मौजूद हैं जिसका जिक्र निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत किया जा सकता है–

- विगत कुछ वर्षों में कई निजी और सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप प्रदान किया गया है, जिनमें से कुछ तो सिर्फ ऑनलाइन ही उपलब्ध हैं जिसके कारण उन लोगों को असमानता का सामना करना पड़ता है जो डिजिटली रूप से निरक्षर हैं।
- दुनियाभर के तमाम देशों में अलग-अलग कारणों से इंटरनेट पर पाबंदी लगती रही है।
- विदित हो कि साल 2019 में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाने वाला देश भारत ही है। इंटरनेटशटडाउंस डॉट इन के मुताबिक, 2012 से लेकर 2019 तक भारत में कुल 379 बार इंटरनेट बंद किया गया है। सबसे अधिक प्रतिबंध जम्मू-कश्मीर में 180 बार लगाया गया है। केवल 2019 में ही 103 बार इंटरनेट को बंद किया गया है।

- शोध संस्था टॉप 10 वीपीएस के मुताबिक, इससे भारत को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। भारत को करीब 1.3 बिलियन डॉलर यानी करीब 92 अरब 18 करोड़ 75 लाख 50 हजार रुपए का नुकसान हुआ है। केवल जम्मू-कश्मीर में करीब 78 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।
- वहीं इस संदर्भ में एक प्रस्ताव पास कर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने सूचनाओं के प्रसार को रोकने के लिए इंटरनेट पर पाबंदी की कड़ी आलोचना की है। इस प्रस्ताव में कहा गया कि ऑनलाइन दुनिया में उतनी ही अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए जितनी की ऑफलाइन दुनिया में होती है।
- आज हम कई चीजों के लिए इंटरनेट पर निर्भर करते हैं। इसको बंद कर दिए जाने पर व्यक्ति मनोवैज्ञानिक रूप से प्रताड़ित होता है।
- शिक्षा के क्षेत्र में भी इंटरनेट शटडाउन का सबसे ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव देखा गया है। छात्र उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्राप्त करने से चूक जाते हैं।
- विश्वसनीय सूचना, बुनियादी ढाँचे और डिजिटल साक्षरता की कमी से उत्पन्न होने वाला डिजिटल विभाजन (Digital Divide) सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन का भी कारण बन रही है।
- गौरतलब है कि डिजिटल विभाजन को पूरे भारत ग्रामीण और शहरी भारत, अमीर और गरीब, भारत की जनसांख्यिकीय प्रोफाइल (बूढ़े और जवान, पुरुष और महिला) के बीच देखा जा सकता है।
- उल्लेखनीय है कि वर्ष 2016 के मध्य में जारी एक रिपोर्ट में सामने आया था कि भारत में डिजिटल साक्षरता की दर 10 प्रतिशत से भी कम है।
- इंटरनेट के प्रसार के समक्ष एक अन्य सबसे बड़ी चुनौती इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी भी है।

आगे की राह

निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि इंटरनेट तक पहुँच के अधिकार को मौलिक अधिकार का रूप देना, डिजिटल असमानता को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विदित हो कि इस संदर्भ में मार्च, 2017 में ही केरल ने हर नागरिक के लिए भोजन, पानी और शिक्षा की तरह इंटरनेट को भी मूलभूत अधिकार की श्रेणी में रख दिया था। अपने बजट में इस राज्य ने अपने 20 लाख गरीब परिवारों तक इंटरनेट की पहुँच देने के लिए योजना बनाई थी और फंड आवंटित किया था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान फैसला सराहनीय है निम्न बातों पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है, जैसे-

- इंटरनेट का उपयोग और डिजिटल साक्षरता एक-दूसरे पर परस्पर निर्भर है, अत: डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के साथ-साथ डिजिटल कौशल प्रदान करने पर सरकार को ध्यान देना चाहिए।
- केंद्र व राज्य सरकार को चाहिए कि वह इस क्षेत्र में निवेश को प्राथमिकता दें साथ ही देश में दूरसंचार नियमों को और अधिक मजबूती प्रदान करें ताकि बाजार में प्रतिस्पर्द्धा सुनिश्चित हो सके।
- डिजिटल साक्षरता की परिभाषा में वर्तमान समय में संसाधनों और सूचनाओं को ऑनलाइन देखने और उन तक पहुँचने की क्षमता को भी शामिल किया जाना चाहिये।
- इसके अलवा सरकार को भारतनेट कार्यक्रम जैसे अन्य कार्यक्रमों को व्यापक स्तर पर चलाना चाहिए। विदित हो कि इस परियोजना का उद्देश्य राज्यों तथा निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी से ग्रामीण तथा दूर-दराज के क्षेत्रों में नागरिकों एवं संस्थानों को सुलभ ब्रॉड बैंड सेवाएँ उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम का वित्तपोषण यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लीगेशन फंड (Universal Service Obligation Fund-USOF) द्वारा किया जा रहा है।
- इसके अलावा सरकार को राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन को भी प्रोत्साहित करने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि यह परियोजना तकनीकी दृष्टि से निरक्षर वयस्कों की मदद करता है ताकि वे तेजी से डिजिटल होती दुनिया में अपना स्थान खोज बना सकें।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न मुद्दे।
- शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस-अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक घोषणा-पत्र, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय।

■

2. भारत में दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति, 2020 : एक विश्लेषण

चर्चा का कारण

हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 450 दुर्लभ रोगों (Rare Diseases) के उपचार के लिए राष्ट्रीय नीति को प्रकाशित किया है। ज्ञातव्य है कि यह नीति 2017 में तैयार हुई थी और 2018 में एक समिति का गठन इसकी समीक्षा करने के लिए किया गया था।

परिचय

इस समय दुनिया में लगभग 7000-8000 ऐसे रोग हैं जिन्हें दुर्लभ माना जाता है और ऐसे नए रोग नियमित रूप से सामने आ रहे हैं। इन दुर्लभ बीमारियों में 80 फीसदी दुर्लभ बीमारियाँ मूल रूप से आनुवंशिक होती हैं, इसलिये बच्चों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। इनमें कुछ प्रचलित नाम हैं- सिस्टिक फाइब्रोसिस, जो श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। हटिन्गटन्स रोग (Hutington's Disease), जो ब्रेन और नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी, जो मांसपेशियों को प्रभावित करते हैं।

दुर्लभ रोगों की सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत कोई एक परिभाषा नहीं है। विभिन्न देशों में दुर्लभ बीमारियों को अलग-अलग तरीके से परिभाषित किया जाता है। हालांकि, परिभाषाओं में सामान्य विचार मुख्य रूप से बीमारी की व्यापकता, चिकित्सीय विकल्पों की तीव्रता तथा उनकी उपलब्धता के हिसाब से अलग-अलग परिभाषा है, इसीलिए जो रोग एक देश में दुर्लभ कहा जाता है जरूरी नहीं कि वह दूसरे देश में भी दुर्लभ माना जाए।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार दुर्लभ बीमारी, घातक बीमारी होती है जिससे कोई व्यक्ति जीवनभर इन रोगों से ग्रसित रहता है। प्रति

1000 लोगों पर 1 या उससे कम व्यक्ति जो इस बीमारी से ग्रसित होते हैं दुर्लभ रोग की श्रेणी में आते हैं वहीं अमेरिका में दुर्लभ बीमारी ऐसी स्थिति को दर्शाता है जहाँ 200,000 से कम रोगी प्रभावित हैं अर्थात प्रति 10,000 लोगों में 6.4 लोग जबकि जापान में दुर्लभ रोगों की पहचान प्रति 50,000 लोगों पर 0.4 प्रतिशत लोग। यूरोप में मानक है कि अगर दो हजार लोगों में किसी एक व्यक्ति में कोई रोग पाया जाता है तो वह रोग दुर्लभ कहा जाएगा।

भारत में दुर्लभ रोगों का प्रसार

यह सर्वमान्य है कि अन्य विकासशील देशों की तरह भारत में भी दुर्लभ रोगों को ठीक ढंग से परिभाषित नहीं किया गया है साथ ही भारत में दुर्लभ रोगों से संबंधित आँकड़े भी उपलब्ध नहीं हैं। आँकड़ों के अभाव में यह भी जानना मुश्किल है कि कितने लोग भारत में इस बीमारी से पीड़ित हैं और कितने लोगों की मृत्यु दुर्लभ रोगों के कारण हुई है। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय मानकों की बात करें तो प्रत्येक देश की जनसंख्या का 6% से लेकर 8% दुर्लभ रोग से पीड़ित हैं। अतः इसके आधार पर भारत में 72 मिलियन से लेकर 96 मिलियन लोग दुर्लभ रोगों से पीड़ित हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है। हालाँकि भारत को स्वयं ऐसे आँकड़ों का संग्रह और प्रकाशन करना होगा ताकि इस रोग की गंभीरता को समझा जा सके।

तृतीयक श्रेणी के अस्पताल (जहाँ प्राथमिक एवं द्वितीयक श्रेणी के अस्पताल से इलाज न हो पाने के कारण भेजा जाता है) से उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार, भारत में 450 प्रकार के दुर्लभ रोग पाए जाते हैं। इनमें अधिकतर संख्या हीमोफिलिया, थेलेसीमिया, सिकल-सेल एनिमिया, बच्चों में प्राथमिक इम्यूनो की कमी, लिसोसोमल स्टोरेज डिस्ऑर्डर, जैसे कि पोम्पे रोग, हिर्स्बसुंग रोग, गौचर रोग, सिस्टिक फाइब्रोसिस एवं हेमांगीओमास और अन्य प्रकार के पेशीय अपविकास के रोगों की है।

दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति, 2020

इस नीति के निम्नलिखित उद्देश्य हैं-

1. दुर्लभ रोगों की एक सूची बनाई जायेगी जिसका संधारण भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (Indian Council of Medical Research - ICMR) करेगी।
2. इस नीति के अनुसार, ये रोग दुर्लभ कहे जाएँगे - आनुवंशिक रोग, कैंसर, संक्रामक ऊष्ण कटिबंधीय रोग, क्षयकारी रोग आदि।
3. इस राष्ट्रीय नीति के अनुसार, जो दुर्लभ रोग एक ही बार में उपचार से ठीक हो सकता है उसके लिए उससे ग्रस्त रोगी को राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना से 15 लाख रु. दिए जाएँगे। यह लाभ केवल उस व्यक्ति को मिलेगा जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभार्थी होगा।
4. दुर्लभ रोगों की तीन श्रेणियाँ बताई गई हैं-
   - वह रोग जिसमें एक बार उपचार से लाभ हो जाता है, जैसे- अस्थि क्षय एवं प्रतिरोध में कमी वाले रोग आदि।
   - वह रोग जिसमें लम्बे उपचार की आवश्यकता होती है, परन्तु इस पर खर्च कम होता है।
   - वह रोग जिसका उपचार लम्बा चलता है पर साथ ही व्यय भी बहुत अधिक होता है।
5. इस नीति के तहत, कुछ विशेष चिकित्सा संस्थानों को दुर्लभ बीमारियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में प्रमाणित किया जाएगा। इसमें एम्स, नई दिल्ली, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, लखनऊ, किंग एडवर्ड मेडिकल अस्पताल, मुंबई और चार अन्य शामिल हैं।
6. हर्लर सिंड्रोम, गौचर रोग, वोल्मन रोग जैसी कुछ बीमारियां हैं, जिनके लिए वार्षिक उपचार खर्च 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक हो सकता है। ऐसी बीमारियों के लिए, दान और कॉर्पोरेट फंडिंग बढ़ाने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।
7. इस नीति में यह प्रस्तावित है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक अंतर-मंत्रालयी सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति का नेतृत्व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।
8. इस नीति का उद्देश्य एक प्रशासनिक समिति का गठन करना है जो यह निर्धारित करने के लिए दिशा-निर्देशों का विकास करेगी कि किन दुर्लभ बीमारियों का वित्तपोषण किया जाए।

इस नीति की आवश्यकता क्यों

- राज्य का यह कर्तव्य है कि वह प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य की देखभाल सम्बन्धी सुविधा उपलब्ध कराए। ज्ञातव्य है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21, 38 और 47 में भी इसके लिए प्रावधान किया गया है।
- जो रोग दुर्लभ हैं उनसे ग्रस्त रोगी भी दुर्लभ होते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि यदि कोई कम्पनी इनके लिए दवा बनाए तो उसे बहुत कम मात्रा में दवा बनानी होगी। अतः आवश्यकता है कि ऐसी दवा कंपनियों को आगे लाने के लिए उत्प्रेरणा देकर प्रोत्साहित किया जाए।
- दवा बनाने वाली कंपनियाँ कम मात्रा में बनी दवाइयों से अधिक से अधिक पैसा कमाना चाहेंगी और इसलिए इनका दाम बहुत ऊँचा रखना चाहेंगी। इसलिए यह आवश्यक होगा कि सरकार उच्च मूल्य रखने से इन्हें रोकने के लिए एक विनियमन प्रणाली स्थापित करें।
- यह सच है कि दुर्लभ रोग हजारों में एक को ही होता है परन्तु उस एक आदमी के जीवन का भी मोल होता है। अतः सरकार को चाहिए कि इस विषय में एक राष्ट्रीय नीति लेकर आये जिससे दुर्लभ रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों को देखभाल उपलब्ध हो सके।

नीति की आलोचना

दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित लोगों तथा उनके परिवारों के लिए अनेक सहायता समूहों ने स्वास्थ्य क्षेत्र में व्याप्त विसंगतियों के समाधान के लिए 'नीति' का आह्वान किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि राष्ट्रीय आरोग्य निधि के तहत 15 लाख प्रति परिवार प्रस्तावित वित्तीय सहायता, पूर्व में स्वीकृत 100 करोड़ रुपये की तुलना में बहुत कम है।

इसके अलावा इस नीति में पैसों के लेनदेन पर प्रश्न चिह्न उठाया जा सकता है क्योंकि इस नीति में कहा गया है कि दुर्लभ रोगों से ग्रसित रोगियों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए क्राउडफंडिंग का उपयोग किया जा सकता है। यह नीति पूरे भारत में आठ अस्पतालों को उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में पहचान की है तथा इन्हीं अस्पतालों को क्राउडफंडिंग की पहल करने के लिए छोड़ दिया गया है। इस प्रकार देखा जा सकता है कि जो लोग या परिवार इन रोगों से ग्रसित हैं क्या उनकी पहुँच इन अस्पतालों तक हो सकेगी या नहीं?

समस्या यह है कि नीति विभिन्न रोगों के लिए अधिकतम सीमा का निर्धारण करती है। ज्ञातव्य है कि किसी बीमारी के लिए 10 लाख रुपये की आवश्यकता होती है तो किसी अन्य बिमारी के लिए एक करोड़ रुपये की आवश्यकता हो सकती है, जो एक समय के साथ ही बढ़ायी जा सकती है। इस नीति की आलोचना इसलिए भी की जा रही है कि इस नीति में दुर्लभ

बीमारियों के लिए एक दिशानिर्देश तैयार किये गये हैं जबकि इस नीति का उद्देश्य प्रभावित लोगों को आच्छादित करने के लिए होना चाहिए था। उदाहरण के लिए यह नीति मुख्य रूप से बीमारियों की रोकथाम पर केंद्रित है, लेकिन इसके उचित क्रियान्वयन के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य और अस्पताल राज्यों का विषय है फिर भी केंद्र सरकार को चाहिए कि वह दुर्लभ बीमारियों की जाँच और रोकथाम की दिशा में राज्यों को प्रोत्साहित करें और धन उपलब्ध कराएं लेकिन ऐसा नहीं है। वहीं जाँच को एक निवारक उपाय के रूप में विशेष बल दिया गया है, जबकि जाँच कब और कैसे होगी, इसका उल्लेख नहीं किया गया है और न ही यह बताया गया है कि जाँच की प्रक्रिया कैसे लागू होगी।

चुनौतियाँ

सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दे के रूप में दुर्लभ बीमारी: दुर्लभ रोग एक जटिल मुद्दा है और इससे संबंधित चिकित्सीय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी अभाव है। इनका प्रसार भी दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है और नए-नए दुर्लभ रोगों की पहचान भी की जा रही है। केवल कुछ ही दुर्लभ रोगों के बारे में चिकित्सीय अनुसंधान किया जा रहा है जबकि कई दुर्लभ रोग अभी भी शोध से परे हैं।

दुर्लभ रोगों की पहचान: दुर्लभ रोगों की पहचान करने में वर्षों लग जाते हैं क्योंकि इससे संबंधित नैदानिक तौर-तरीके अपेक्षित नहीं हैं एवं चिकित्सकों में इससे संबंधित जानकारी का भी अभाव है। कई दुर्लभ रोगों के संबंध में ना तो कोई नैदानिक सिद्धांत ही विकसित हुए हैं ना ही कोई इलाज विकसित हुआ है। परंपरागत जीन परीक्षण तकनीक में एक समय में केवल कुछ ही जीन का परीक्षण किया जा सकता है। अतः यह चिकित्सकों के अनुमान पर ही निर्भर करता है कि किन जीनों का परीक्षण करना है। यदि परीक्षण असफल हुआ तो फिर से परीक्षण किया जाता है जो कि बहुत खर्चीला होता है साथ ही इसमें काफी समय लगता है।

दुर्लभ रोगों के बारे में सामान्य लोगों और चिकित्सकों में भी जानकारी का अभाव पाया जाता है। बहुत से चिकित्सकों के पास दुर्लभ रोगों का समुचित एवं समयबद्ध इलाज करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण एवं जागरूकता का अभाव होता है। दुर्लभ रोगों के बारे में लोगों, रोगी एवं उनके परिवार एवं चिकित्सकों में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। साथ ही चिकित्सकों को बेहतर प्रशिक्षण, बेहतर नैदानिक क्षमता एवं बेहतर नैदानिक उपकरण की भी आवश्यकता है।

परिभाषित करने की समस्या: दुर्लभ रोग के विषय में सुस्पष्ट परिभाषा के अभाव में भ्रम और संशय की स्थिति बनी रहती है जिसके कारण इसके निदान और शोध में विलम्ब होता है।

एक शोध के अनुसार दुर्लभ रोग से संबंधित अधिकतर परिभाषाएँ बीमारी के प्रसार को ही शामिल करती हैं जबकि अन्य परिभाषाएँ बीमारी की गंभीरता को शामिल करती हैं। शोध में यह भी पाया गया है कि 30% परिभाषाएँ बीमारी की गंभीरता को ही शामिल करती हैं। बीमारी को प्रसार के आधार पर ही परिभाषित करना उचित मानक नहीं है क्योंकि ये किसी समय में जनसंख्या में हुए बदलाव को शामिल नहीं करता है। परिभाषा निर्धारण के अधिक विश्वसनीय दृष्टिकोण में अन्य तत्वों को भी शामिल करना होगा, जैसे-

- **स्थान:** एक बीमारी जो किसी देश में दुर्लभ है लेकिन दूसरे देश में सामान्य रूप से पायी जाती है।
- **दुर्लभता का स्तर:** कुछ बीमारियाँ जो असामान्य बीमारियों से भी अधिक दुर्लभ हैं।
- **अध्ययन योग्यता:** बीमारी के प्रसार के कारण इस पर किए जाने वाले शोध और अध्ययन।

अनुसंधान और शोध में उपस्थित चुनौतियाँ: अधिकतर दुर्लभ बीमारियों से संबंधित अनुसंधान और शोध में सबसे बड़ी चुनौती उस बीमारी के इतिहास की कम जानकारी होना है। दुर्लभ बीमारियों का इलाज इसलिए भी दुष्कर है क्योंकि इससे पीड़ित रोगियों की संख्या काफी कम है और उनका इलाज भी ठीक ढंग से नहीं किया जाता है। परिणामस्वरूप इन रोगों के बारे में सही जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती है। चुनौतियाँ तब और कठिन हो जाती हैं जब दुर्लभ रोग बहुत ही घातक प्रकृति का होता है क्योंकि इसमें काफी लंबे समय तक बीमारी को परीक्षण के लिए रखा जाता है लेकिन घातक होने के कारण शीघ्र ही रोगी की मृत्यु हो जाती है, फलतः इससे संबंधित आँकड़ों का मिलना कठिन हो जाता है।

इलाज में बाधाएँ: दुर्लभ रोगों के विषय में दवाओं की उपलब्धता काफी आवश्यक है ताकि रोग को दूर किया जा सके साथ ही इससे होने वाली मृत्यु दर को भी कम किया जा सके। पिछले कुछ वर्षों से इस क्षेत्र में हुई प्रगति के बावजूद प्रभावशाली एवं सुरक्षित इलाज का अभाव बना हुआ है। अतः रोग की पहचान हो जाने पर भी इसका उचित इलाज नहीं हो पाता है। दुर्लभ रोग से पीड़ित रोगियों की संख्या काफी कम होने के कारण दवा उत्पादक कंपनियाँ इन रोगों के लिए दवाएं नहीं बनाती हैं क्योंकि इसकी बिक्री बहुत कम होती है। इसलिए उन्हें 'अनाथ रोग' भी कहा जाता है एवं इसकी दवाओं को 'अनाथ दवाएँ' कहते हैं। यदि दवाएँ बनाई भी जाती हैं तो उनका मूल्य काफी अधिक होता है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य की प्राथमिकताओं में संतुलन स्थापित करना: दुर्लभ रोग किसी देश की अर्थव्यवस्था तथा जनसांख्यिकी पर एक बड़े आर्थिक बोझ की तरह होती है इस तरह की स्वास्थ्य समस्याएँ तब उत्पन्न होती हैं जब स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि के बावजूद भी उत्पादकता अपेक्षानुरूप नहीं होती है। दुर्लभ बीमारियों के इलाज के संदर्भ में तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति के विकास में दवाओं की कीमतों में वृद्धि विचारणीय विषय हैं। संसाधनों की कमी को ध्यान में रखते हुए आवंटित संसाधनों से इष्टतम परिणाम प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रतिस्पर्धी हितों को संतुलन करना आवश्यक है।

चूंकि संसाधनों की सीमितता है इसलिए धन के आवंटन में दुविधा व्याप्त है। एक तरफ अपेक्षाकृत कम राशि का आवंटन करके बड़ी संख्या में लोगों की स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, तो वहीं दूसरी ओर, दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित लोगों के उपचार के लिए अधिक धन तथा संसाधनों की आवश्यकता होगी। इसके अलावा दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित रोगियों के हितों के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो नैतिकता तथा अवसर की निष्पक्षता के मुद्दे भी उठने लाजिमी हैं। इसलिए दुर्लभ बीमारियों के उपचार के लिए तथा स्वास्थ्य नीति के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है।

आगे की राह

दुर्लभ रोगों को रोकने के लिए जो उपाय अपनाये गये हैं वो पर्याप्त नहीं हैं। हालाँकि ये रोग अन्य रोगों की तरह आमतौर पर नहीं पाये जाते हैं, इसलिए डॉक्टर भी इसके बारे में अनिभज्ञ होते हैं जिस कारण वे या तो गलत इलाज कर देते हैं या इलाज ही नहीं करते हैं। इस बीमारी की रिकॉर्ड काफी कम दर्ज की गई है जिसके वजह से इस रोग को समझने और उसके उपचार के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए हैं।

गौरतलब है कि भारत की अब तक की उपेक्षित दुर्लभ रोग नीति में सुधार की आवश्यकता है। दुर्लभ रोगों के निदान हेतु सरकार को अनुसंधान एवं विकास (R & D) पर बल देना चाहिए जिससे कि राज्य अपने नागरिकों के साथ समान व्यवहार करने के कर्त्तव्य को पूरा कर सके।

दुर्लभ रोगों मे से केवल 5 प्रतिशत ही इलाज योग्य है, जिस कारण सरकार की दुर्लभ रोग नीति के लिए यह बताना बेहद मुश्किल होता है कि सबसे कम प्राथमिकता उन रोगों के लिए धन आवंटित करना है जिनका इलाज नहीं किया जा सकता है।

सरकार की एक नई और समावेशी दुर्लभ रोग नीति के लिए, उपचारों के विकास के लिए तथा अनुसंधान हेतु पर्याप्त धन आवंटित करना चाहिए जिससे आम तौर पर विभिन्न दुर्लभ रोगों का इलाज किया जा सके।

सरकार को बाजार प्रणाली पर दुर्लभ रोगों को नहीं छोड़ना चाहिए। उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, गैर-भेदभावपूर्ण आदर्शों पर एक नई नीति स्थापित की जानी चाहिए। समस्त दुर्लभ रोगों से ग्रस्त मरीजों के जीवन को क्षति किए बिना नीति निर्माताओं को वित्तीय समस्याओं को दूर करना चाहिए।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/ सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

■

3. धार्मिक स्वतंत्रता बनाम व्यक्तिगत अधिकार : एक महत्वपूर्ण मुद्दा

चर्चा का कारण

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने कहा कि महिलाओं की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले जितने भी धार्मिक मामले हैं उन्हें अब एक साथ सुना जाएगा, जैसे कि- सबरीमाला मंदिर मामला, इस्लाम, पारसी तथा दाऊदी वोहरा समुदाय इत्यादि से जुड़े सभी धार्मिक मामले। विदित हो कि इस पीठ में मुख्य न्यायाधीश एसए बोबड़े के अलावा जस्टिस आर. भानुमति, अशोक भूषण, एल. नागेश्वर राव, मोहन एम. शांतनगौदर, एस. अब्दुल नजीर, आर. सुभाष रेड्डी, बीआर गवई और सूर्यकांत शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल सभी वकीलों की बैठक कराएंगे। बैठक में कोर्ट में पेश किए जाने वाला मुद्दा तय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि साबरीमाला मंदिर, दाउदी बोहरा समुदाय, मुस्लिम महिलाओं के मस्जिदों और पारसी महिलाओं के फायर टेम्पल (अग्नि मंदिर) में प्रवेश के सभी मामलों को एकसाथ सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों को सभी मुद्दों पर आपस में बातचीत के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है। इस दौरान सीजेआई ने अयोध्या जमीन विवाद के मामले का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि इस विवाद से जुड़े सभी मामलों के वकील खुद ही एकसाथ सुनवाई के लिए तैयार हो गए थे।

परिचय

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की पाँच जजों की पीठ ने 14 नवंबर, 2019 को केरल के सबरीमाला विवाद (Sabarimala Dispute) को लेकर दायर पुनर्विचार याचिका बहुमत से बड़ी बेंच को रेफर कर दी थी। साथ ही कहा था कि 9 जजों की संविधान पीठ (Constitution Bench) का फैसला आने तक भगवान अय्यपा के मंदिर में महिलाओं का प्रवेश जारी रहेगा। पाँच में दो जजों ने इसके खिलाफ निर्णय दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर, 2018 में दिए फैसले में सबरीमाला मंदिर (Sabarimala Temple) में सभी उम्र की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी थी।

विदित हो कि सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की पीठ धार्मिक स्वतंत्रता (अनुच्छेद-25 और 26) के मौलिक अधिकार और संविधान में दिए गए अन्य मौलिक अधिकारों विशेषकर समानता के अधिकार के बीच सामंजस्य स्थापित करेगी। संवैधानिक पीठ द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता के संविधान में दिए गए अधिकार अनुच्छेद-25(1) में कही गई लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य (Public Order, Morality and Health) के अधीन होने की बात का क्या मतलब है? इसकी व्याख्या दी जाएगी; क्योंकि नैतिकता (अर्थात् सदाचार) और संवैधानिक नैतिकता की संविधान में अलग-अलग व्याख्या नहीं है। ऐसे में पीठ व्याख्या करेगी कि प्रस्ताव के मुताबिक नैतिकता ऊपर रहेगी या धार्मिक आस्था और विश्वास तक सीमित होगी। कोर्ट यह भी परीक्षण करेगा कि कोई धार्मिक मान्यता/परम्परा किस हद तक किसी धर्म का अभिन्न हिस्सा होगा।

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देने वाले अनुच्छेद-25(2)(ख) में दिए गए शब्द सेक्शन ऑफ हिंदू का मतलब भी पीठ स्पष्ट करेगी। यह भी तय किया जा सकता है कि क्या कोई अनिवार्य धार्मिक प्रथा या धार्मिक संप्रदाय को अनुच्छेद-26 के तहत संरक्षण मिला है। इसके अलावा यह भी देखा जाएगा कि धार्मिक मामलों में जनहित याचिकाओं पर किस हद तक कोर्ट को विचार करना चाहिए। बता दें कि 28 सितंबर, 2018 को केरल के सबरीमाला मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन सीजेआई दीपक मिश्रा की अगुआई में फैसला सुनाते हुए सभी महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की इजाजत दी थी। इसके बाद पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन हुए थे। कई जगह हिंसा भी भड़क गई थी।

सबरीमाला मंदिर केरल के पथनामथित्तां जिले की पहाड़ियों के बीच भगवान अयप्पा का मंदिर है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए 18 पावन सीढ़ियों को पार करना पड़ता है, जिनके अलग-अलग अर्थ भी बताए गए हैं। सबरीमाला मंदिर करीब 800 साल से अस्तित्व में है। इसमें महिलाओं के प्रवेश पर विवाद भी दशकों पुराना है। दरअसल, भगवान अयप्पा नित्य ब्रह्मचारी माने जाते हैं, जिसकी वजह से उनके मंदिर में ऐसी महिलाओं का आना मना है, जो माँ बन सकती हैं। ऐसी महिलाओं की उम्र 10 से 50 साल निर्धारित की गई है।

विदित हो कि सुप्रीम कोर्ट के 28 सितंबर, 2018 के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें मंदिर में प्रवेश को सभी आयु वर्ग की महिलाओं का अधिकार बताया था। याचिकाकर्ताओं का यह भी दावा था कि संवैधानिक नैतिकता एक व्यावहारिक परीक्षण है जिसे आस्था के मामलों पर नहीं लागू किया जा सकता है। धार्मिक आस्था को तार्किकता के आधार पर नहीं परखा जा सकता है। प्रार्थना करने का अधिकार भगवान की प्रकृति और मंदिर की प्रथा के आधार पर तय होता है। उन्होंने यह मुद्दा भी उठाया था कि कोर्ट ने मंदिर के इतिहास को समझे बिना अनुच्छेद 17 के तहत बिना वजह छूआछूत की भी बात की थी।

धार्मिक विश्वास बनाम अंधविश्वास

धर्म निश्चित रूप से विश्वास का विषय है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि धर्म को मानने वाला व्यक्ति आस्तिक हो जैसा कि कुछ लोगों का मानना है। धर्म का आधार विश्वास तथा एक ऐसी प्रणाली है जो उन लोगों द्वारा माना जाता है, जो धर्म को अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए अनुकूल मानते हैं।

विदित हो कि हर धर्म की अपनी अलग-अलग मान्यताएँ और परंपराएँ होती हैं जिसे उस धर्म के लोग मानते हैं। इन मान्यताओं, नियमों तथा अनुष्ठानों को सभी धर्म अपने तरीके से निर्धारित करते हैं। इन नियमों में खान-पान से लेकर पहनावा तक को प्रमुखता दी जाती है।

धार्मिक ग्रंथों से लेकर धार्मिक गुरुओं तक का तर्क है कि यदि धार्मिक मान्यताएँ समाज तथा व्यक्ति के अनुकूल हों तो उसे मानना तथा उस पर विश्वास किया जा सकता है, लेकिन धर्म में यदि कुरीतियों का समावेश हो, तो उस पर विश्वास कैसे किया जा सकता है, क्योंकि इस तरह की कुरीतियाँ एक प्रकार का अंधविश्वास ही हैं।

उल्लेखनीय है कि भारत का संविधान भी अनुच्छेद 25 के तहत सभी नागरिकों को अंत:करण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने का समान हक प्रदान करता है। अत: इससे स्पष्ट है कि धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है तथा वह उस पर विश्वास तथा अविश्वास कर सकता है। इसके लिए किसी भी व्यक्ति पर कोई बाहरी दबाव नहीं होगा।

विदित हो कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक के कुक्के सुब्रमण्यम मंदिर में 500 साल पुराने अनुष्ठान जिसे मदे स्नाना (Made Made Snana) कहा जाता था पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि यह अंधविश्वास से जुड़ा हुआ मामला था। इस अनुष्ठान में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग शामिल होते थे। ये लोग कुक्के सुब्रमण्यम मंदिर में ब्राह्मणों द्वारा भोजन के लिए उपयोग की गयी पत्तल पर सोते थे ताकि उनकी शारीरिक शुद्धि हो सके एवं चर्म रोग ठीक हो जाये।

यहीं नहीं पारसियों में यह मान्यता विद्यमान है कि यदि कोई पारसी लड़की अंतरजातीय विवाह कर लेती है तो उसे प्रसिद्ध अग्नि मंदिर में जाने की अनुमति नहीं है। इस मान्यता के खिलाफ भी सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला देने का निर्णय किया है, साथ ही महिलाओं से संबंधित कई अन्य अंधविश्वासों वाले मामले के खिलाफ भी निर्णय देने के लिए समीक्षा करने की बात की है।

धार्मिक समुदाय अधिकार बनाम व्यक्तिगत अधिकार

सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर जोर दिया है कि व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकार और धार्मिक समुदाय के सामूहिक अधिकार के बीच सामंजस्य स्थापित करना होगा। न्यायालय का कहना है कि व्यक्तिगत अधिकारों का धार्मिक अंधविश्वास के बेदी पर बली नहीं दी जा सकती है, अर्थात् धर्म के आड़ में व्यक्ति के स्वतंत्रता का हनन नहीं किया जा सकता है। न्यायालय का कहना है कि कोई भी मामला चाहे वह सबरीमाला मंदिर का मामला हो, मुस्लिम समुदाय में खतना, हलाला का मामला हो या फिर इसी तरह के अन्य मामले हों इन्हें संविधान में दिए गये धार्मिक संरक्षण के आधार पर सही नहीं ठहराया जा सकता है।

इस संदर्भ में संविधान ने दो महत्वपूर्ण दृष्टिकोण की चर्चा की है। एक यह कि भारत एक बहुलवादी राष्ट्र है। समुदाय चाहे वह धार्मिक हो या सांस्कृतिक, हमेशा से समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अत: धार्मिक समुदायों के सामुदायिक अधिकार को पूर्णत: खारिज नहीं किया जा सकता है।

दूसरा दृष्टिकोण यह है कि कई बार देखने में आता है कि धार्मिक समुदाय के अधिकार व्यग्तिगत अधिकार को दबाने की कोशिश करते हैं या फिर उसे प्रभावित करते है। इसीलिए संविधानविदों का कहना है कि व्यक्तिगत अधिकार को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

इस तरह इन सभी मामलों को देखें तो कहीं न कहीं धार्मिक समुदाय का अधिकार व्यक्तिगत अधिकार पर ज्यादा दिखता है। न्यायालय का कहना है कि धार्मिक मान्यताओं और व्यक्ति की स्वतंत्रता में संतुलन बनाना होगा और इसके लिए अंधविश्वास और कुरीतियों वाले धार्मिक मान्यताओं को समाप्त करना होगा, जैसे कि- सती प्रथा, बाल विवाह, तीन तलाक, भ्रूण हत्या पर प्रतिबंध आदि।

समानता और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

संविधान में अनुच्छेद 14, 15 तथा 16 समानता के साथ जीने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है तथा इस तरह के किसी भी मामले पर रोक लगाता है। विदित हो कि कानून के समक्ष धर्म, लिंग, नस्ल, जन्म, स्थान के आधार पर सभी को समानता का अधिकार दिया गया है, जो कि किसी भी लोकतांत्रिक देश का मूल उद्देश्य होता है।

सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को समानता के आधार पर ही रखना चाहिए न कि पुरुष और महिला के आधार पर क्योंकि भारतीय संविधान का समतावादी सिद्धांत जब कल्याणकारी राज्य के संदर्भ में देखा जाता है तो सभी लोग चाहे वह पुरुष हो या महिला सबके कल्याण की बात करता है। अत: धर्म को अपने मानवीय उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संविधान के कामकाज में सहयोग करना चाहिए।

संविधान का भाग-III और IV समतावादी तथा कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को पुष्ट करता है। लेकिन वैसी धार्मिक मान्यताएँ जो इस अवधारणा का विरोध करती हैं, को फिर से पुनर्परिभाषित करने की आवश्यकता है जिससे कि व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता तथा लोककल्याणकारी राज्य की संकल्पना के बीच सामंजस्य स्थापित किया जा सके।

उल्लेखनीय है कि प्राचीन समय में समाज कई वर्गों में विभाजित था तथा उसमें कई जातियों का समावेशन था और जातिगत पदानुक्रम भी विद्यमान था। यह अवधारणा विद्यमान थी कि स्वभावत: व्यक्ति जन्म से समान नहीं होते हैं और इसीलिए वे सामाजिक पदानुक्रम बंध जाते हैं। हालांकि यह सही है कि जन्म से कोई व्यक्ति एक समान नहीं होते हैं लेकिन यह जाति व धार्मिक आधार पर विभेद का यह कोई आधार नहीं है। इसी को खत्म करने के लिए संविधान का अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 25(2)(ख) को लाया गया जिससे कि इस समस्या का समाधान हो सके। अत: न्यायालय ने इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त की है कि भारत का मूल उद्देश्य है कि उसे किसी भी धार्मिक अंधविश्वास को खत्म किया जाय। अत: समानता और धार्मिक समुदाय की स्वतंत्रता में सामंजस्य अति आवश्यक है।

आगे की राह

सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय कि धार्मिक रूप से विवादित सभी मामले को अब एक साथ सुना जाएगा, यह एक सराहनीय कदम है। विविधता

में एकता रखने वाले भारत में धार्मिक परंपराएँ, अनुष्ठान एवं कुरीतियाँ आज भी काफी हद तक विद्यमान हैं जिसे कई सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं द्वारा मान्यता प्राप्त है। इन कुरीतियों को दूर करने के लिए समय-समय पर कई संवैधानिक बदलाव भी किये गये और वर्तमान में भी किये जा रहे हैं जिससे कि व्यक्ति का मौलिक अधिकार सुरक्षित किया जा सके और वह स्वतंत्रता का अनुभव कर सकें।

धर्म और धार्मिक विश्वास व्यक्ति के निजी मामले अवश्य हैं लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि धर्म के आड़ में समानता का अधिकार प्रभावित न हो तथा महिला एवं पुरुष के बीच कोई भेदभाव उत्पन्न न किया जाय। पूजा, प्रार्थना, अनुष्ठान एवं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सबको मिलनी चाहिए, चाहे वह पुरुष हो या महिला जिसका जिक्र देश का संविधान भी करता है। अतः सर्वोच्च न्यायालय के पहल को स्वीकार कर सभी धर्म और जाति के लोगों को इस क्षेत्र में अपना योगदान देना चाहिए।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थान।

■

4. ऐन्यूअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2019 : एक अवलोकन

चर्चा का कारण

हाल ही में एक गैर सरकारी संगठन (NGO) 'प्रथम' के द्वारा देश में बच्चों की शिक्षा की दशा-दिशा का जायजा लेने वाली प्रतिष्ठित वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट- असर 2019 'अर्ली इयर्स' जारी की गयी। 2005 से प्रति वर्ष, असर ग्रामीण भारत के 3-16 आयु वर्ग के बच्चों के विद्यालय में नामांकन की स्थिति और 5-16 आयु वर्ग के बच्चों की बुनियादी रूप से पढ़ने और गणित बनाने की क्षमता पर रिपोर्ट जारी करता रहा है।

परिचय

2019 में असर 'अर्ली इयर्स' छोटे बच्चों पर केंद्रित है। इसमें 4-8 आयु वर्ग के बच्चों के पूर्व-प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालय में नामांकन और कुछ महत्वपूर्ण विकासात्मक संकेतकों पर बच्चों की क्षमताओं पर जानकारी एकत्रित की गयी है।

विश्वस्तर पर 'अर्ली इयर्स' (0-8 आयु वर्ग) मानवों के विकास जैसे संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास और सामाजिक और भावनात्मक विकास का सबसे महत्वपूर्ण चरण माना गया है। दुनियाभर में किए गए अनुसंधान यह बताते हैं कि छोटे बच्चों के उपयुक्त विकास के लिए प्रारंभिक वर्षों में यदि उनको विकास अनुकूल वातावरण और उपयुक्त संसाधन मिलें तो बच्चों को आगे विद्यालय और दैनिक जीवन में बहुत लाभ होता है। परन्तु निम्न एवं मध्यम आय वर्गीय देशों की तरह भारत में भी छोटे बच्चों के लिए पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों की सुविधा, इन विद्यालयों तक बच्चों की पहुँच, नामांकन की स्थिति व उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण विकासात्मक कौशलों की वृद्धि जो आगे उनके विद्यालय के और दैनिक जीवन के लिए लाभकारी हैं, परंतु बड़े पैमाने पर प्रमाण बहुत कम उपलब्ध हैं।

असर 2019 'अर्ली इयर्स' ऐसे कुछ प्रमाण एकत्रित करने का एक प्रयास है। 2019 में भारत के 24 राज्यों के 26 जिलों में आयोजित इस सर्वेक्षण में कुल 1,514 गाँवों, 30,425 घरों और 4-8 आयु वर्ग के 36,930 बच्चों को शामिल किया गया। इसमें बच्चों के पूर्व-प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालय में नामांकन की जानकारी एकत्रित की गई और बच्चों के द्वारा संज्ञानात्मक विकास, प्रारंभिक भाषा और गणित एवं सामाजिक तथा भावनात्मक विकास की कुछ गतिविधियाँ को भी शामिल किया गया। हर गतिविधि बच्चों के साथ एक-एक करके उनके घरों में की गई थी।

एएसईआर (ASER) क्या है

यह एक वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट है जिसका उद्देश्य भारत के प्रत्येक राज्य और ग्रामीण जिलों के बच्चों की स्कूली शिक्षा की स्थिति और बुनियादी शिक्षा के स्तर का विश्वसनीय सालाना अनुमान प्रकाशित करना है। इस रिपोर्ट में 3 से 16 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा की स्थिति दर्ज की जाती है और 5 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों को सरल पाठ पढ़ने और बुनियादी अंकगणित के सवाल हल करने की क्षमता का परीक्षण किया जाता है।

असर 2019 'अर्ली इयर्स' के प्रमुख बिन्दु

पूर्व-प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालय में नामांकनः

- असर 2019 के आँकड़ों के अनुसार 4-8 आयु वर्ग के 90% से अधिक बच्चे किसी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान में नामांकित हैं। नामांकन में बच्चों की उम्र के साथ बढ़ोतरी देखी गई है। सैम्प्ल्ड जिलों में 4 वर्ष के 91.3% बच्चे और 8 वर्ष के 99.5% बच्चे नामांकित हैं।
- बच्चों की उम्र और नामांकन पैटर्न में यह विविधता भी देखी गई कि एक ही उम्र के बच्चे विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों में नामांकित हैं। उदाहरण के लिए, 5 वर्ष के 70% बच्चे आंगनवाड़ियों या पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं में हैं, लेकिन 21.6% बच्चे अभी से ही विद्यालय में कक्षा 1 में नामांकित हैं। 6 वर्ष के 32.8% बच्चे आंगनवाड़ियों या पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं में हैं, 46.4% बच्चे कक्षा 1 और 18.7% कक्षा 2 या उससे आगे की कक्षाओं में हैं।
- इन छोटे बच्चों के बीच भी लड़कों और लड़कियों के नामांकन के पैटर्न में अंतर देखने को मिला जिसमें लड़के निजी और लड़कियाँ सरकारी संस्थानों में ज्यादा नामांकित हैं। उम्र के साथ यह अंतराल और बढ़ता जाता है। उदाहरण के लिए, 4 और 5 वर्ष के बच्चों में से, 56.8% लड़कियाँ और 50.4% लड़के सरकारी पूर्व-प्राथमिक या प्राथमिक विद्यालय में नामांकित हैं, जबकि 43.2% लड़कियाँ और 49.6% लड़के निजी पूर्व-प्राथमिक या प्राथमिक विद्यालय में नामांकित हैं। 6-8 वर्ष के बच्चों में, सभी लड़कियों में से 61.1% लड़कियाँ और सभी लड़कों में से 52.1% लड़के सरकारी पूर्व-प्राथमिक या प्राथमिक विद्यालय में नामांकित हैं।

पूर्व-प्राथमिक विद्यालय जाने वाली आयु के बच्चे (4-5 आयु वर्ग):

- राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ यह सिफारिश करती हैं कि 4 और 5 आयु वर्ग के बच्चों को पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं में होना चाहिए। इस आयु में बच्चों को विभिन्न प्रकार के कौशल जैसे संज्ञानात्मक कौशल, सामाजिक और भावनात्मक कौशल साथ ही औपचारिक स्कूली शिक्षा के लिए आवश्यक अवधारणात्मक

आधार (Conceptual Foundation) विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

- 5 वर्ष की आयु में हम बच्चों को जो सीखने का वातावरण देते हैं और जो उनसे अपेक्षा करते हैं, वह देश के राज्यों के विद्यालयों में नामांकन के नियम अनुसार बहुत भिन्न है। इस कारण से एक 5 वर्ष का बच्चा क्या कर या सीख रहा है यह काफी हद तक उस स्थान पर निर्भर करता है जहाँ वह रहता है। उदाहरण के लिए, केरल के थ्रिस्सूर जिले में सभी 5 वर्षीय बच्चों में से 89.9% बच्चे किसी प्री-प्राइमरी कक्षा में हैं और शेष सभी बच्चे कक्षा 1 में हैं। लेकिन मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स में 65.8% बच्चे पूर्व-प्राथमिक विद्यालय में हैं, 9.8% कक्षा 1 में हैं और 16% कक्षा 2 में हैं। दूसरी ओर, मध्य प्रदेश के सतना जिले में 47.7% बच्चे पूर्व-प्राथमिक विद्यालय में हैं, 40.5% कक्षा 1 में हैं और 4.1% कक्षा 2 में हैं।
- बाल विकास विशेषज्ञ और अनुसंधान के अनुसार 4 से 5 वर्ष में बच्चों में सभी कार्यों को करने की क्षमता में वृद्धि होती है। असर 2019 के आंकड़ें भी इसकी पुष्टि करते हैं। किसी भी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान में नामांकित बच्चे या अनामांकित बच्चे, दोनों में ही, 5 वर्ष के बच्चे संज्ञानात्मक विकास, प्रारंभिक भाषा, प्रारंभिक गणित और सामाजिक और भावनात्मक विकास के सभी कार्य 4 वर्ष के बच्चों से बेहतर कर पाते हैं। उदाहरण के लिए, सरकारी पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं (आंगनवाड़ी या सरकारी स्कूल में पूर्व-प्राथमिक कक्षा) में जाने वाले 4 वर्ष के 31% बच्चे और 5 वर्ष के 45% बच्चे एक 4-टुकड़ों का पजल सही बना पाते हैं।
- 5 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को उपर्युक्त अधिकांश कार्य आसानी से करने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन उनका एक बड़ा अनुपात ऐसा करने में असमर्थ है। कम सुविधाओं वाले घरों के बच्चे असमान रूप से प्रभावित होते हैं। 4 वर्ष के सभी बच्चों में से लगभग आधे बच्चे और 5 वर्ष के सभी बच्चों में से एक चौथाई से अधिक बच्चे आंगनवाड़ियों में नामांकित हैं, लेकिन इन बच्चों में निजी LKG/UKG कक्षाओं में नामांकित बच्चों की तुलना में संज्ञानात्मक कौशल और बुनियादी क्षमताएँ कम विकसित हैं।
- यह छोटे बच्चे हैं जो अपना अधिकांश समय घर पर बिताते हैं, इसलिए इनके विकास में अंतर कुछ घरेलू विशेषताओं के कारण हो सकता है। उदाहरण के लिए, 4-5 आयु वर्ग के उन बच्चों की आंगनवाड़ियों या सरकारी पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं में नामांकित होने की संभावना अधिक है जिनकी माताओं ने आठ या उससे कम वर्षों के लिए स्कूली शिक्षा ली है। इसकी तुलना में 4-5 आयु वर्ग के उन बच्चों की निजी LKG/UKG कक्षाओं में नामांकित होने की संभावना अधिक है जिनकी माताओं ने आठ वर्षों से अधिक स्कूली शिक्षा पूरी की है।
- असर 2019 'अर्ली इयर्स' के आँकड़ों से पता चलता है कि संज्ञानात्मक कौशल के विकास का प्रभाव बच्चों की प्रारंभिक भाषा और गणित के कार्यों को करने की क्षमता में भी देखा जा सकता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि बच्चों को पढ़ाते या सिखाते समय खेल-आधारित गतिविधियों पर ध्यान देने से बच्चों में सशक्त याद्दाश्त, तार्किक व रचनात्मक सोच, समस्या समाधान जैसे संज्ञानात्मक कौशलों का विकास होता है जो इस आयु में किताबी/विषय ज्ञान से अधिक लाभकारी है।

कक्षा 1 के बच्चे:

- कक्षा 1 एक महत्वपूर्ण वर्ष है जब बच्चे पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं से बाहर निकलकर पाठ्यक्रम की सभी अपेक्षाओं और विषय-केन्द्रित पढ़ाई के साथ, स्कूली शिक्षा शुरू करते हैं।
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act) 2009 के अनुसार बच्चों को 6 वर्ष की आयु में कक्षा 1 में प्रवेश लेना चाहिए। लेकिन देश में कई राज्य 5+ वर्ष की आयु में भी बच्चों को कक्षा 4 में नामांकन की अनुमति देते हैं। कक्षा 1 में हर 10 बच्चों में से 4 बच्चे 5 वर्ष से छोटे या 6 वर्ष से अधिक आयु के हैं। कुल मिलाकर, कक्षा 1 में 41.7% बच्चे 6 वर्ष की RTE Act निर्धारित आयु के हैं, 36.4% बच्चे 7 या 8 वर्ष के हैं और 21.9% बच्चे 4 या 5 वर्ष के हैं।
- कक्षा 1 में नामांकित विभिन्न आयु के बच्चों में भी, बच्चों का संज्ञानात्मक विकास, प्रारंभिक भाषा और गणित एवं सामाजिक तथा भावनात्मक विकास आयु के साथ बढ़ता है। बड़े बच्चों का सभी कार्यों पर प्रदर्शन बेहतर दिखाई देता है। उदाहरण के लिए, कक्षा 1 के सभी बच्चों में, 4 और 5 वर्ष का कोई भी बच्चा कक्षा 1 के स्तर का पाठ नहीं पढ़ पाता है।
- सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 में नामांकित बच्चों की आयु निजी विद्यालयों की कक्षा 4 की तुलना में कम है। सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 में नामांकित बच्चों में एक चौथाई से अधिक बच्चे 4 या 5 वर्ष के हैं (26. 1%), जबकि निजी विद्यालयों के लिए यह अनुपात दस परसेंटेज पॉइंट कम है (15.7%) । दूसरी ओर, सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 में 30.4% छात्र 7-8 वर्ष के हैं, जबकि निजी विद्यालयों में यह अनुपात 45.4% है।
- जैसा कि 4 और 5 वर्ष के बच्चों के लिए देखा गया था, कक्षा 1 के बच्चों में भी संज्ञानात्मक विकास का प्रभाव बच्चों की प्रारंभिक भाषा और गणित बनाने की क्षमता पर दिखाई देता है। उदाहरण के लिए, कक्षा 1 में जो बच्चे 3 संज्ञानात्मक विकास के कार्य सही कर पाते हैं, वह अन्य बच्चों की तुलना में अधिक बुनियादी पढ़ाई और मौखिक शाब्दिक सवाल हल करने के कार्य भी सही कर पाते हैं।

'अर्ली' प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे (कक्षा 1, 2, 3):

- विद्यालय की शिक्षा के प्राथमिक वर्षों में बच्चों में पढ़ने और गणित बनाने की बुनियादी क्षमताओं को मजबूत करना चाहिए ताकि आगे की पढ़ाई व जीवन के लिए यह एक अच्छी नींव साबित हो सकें। यह महत्वपूर्ण है कि पाठ्यक्रम और कक्षा में की जाने वाली गतिविधियाँ इस प्रगति को ध्यान में रखते हुए विकसित की जानी चाहिए।
- असर 2019 के आंकड़े दिखाते हैं कि अलग-अलग आयु के सबसे अधिक बच्चे कक्षा 1 में नामांकित हैं और यह भिन्नता हर अगली कक्षा के साथ कम होती जाती है। इसके साथ ही सभी कक्षाओं में सर्वेक्षण के सभी कार्यों में बड़े बच्चे अपनी कक्षा के छोटे बच्चों से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, हालांकि कक्षा 3 तक दोनों सरकारी और निजी विद्यालयों में अधिकांश बच्चे 7 या 8 वर्ष के हैं, लेकिन कक्षा 3 में 8 वर्ष के बच्चों में से 53.4% कक्षा 1 के स्तर का पाठ पढ़ सकते हैं, वहीं इसी कक्षा के 7 वर्ष के बच्चों में से 46.1% बच्चे ऐसा कर सकते हैं।
- बच्चों के कौशल और उनकी क्षमताएँ हर कक्षा में सुधरती हैं। लेकिन हर कक्षा के साथ बड़े तौर पर बढ़ती पाठ्यक्रम की अपेक्षाओं के कारण कक्षा 3 तक आते वह

बच्चे पीछे रह जाते हैं जिनकी बुनियादी रूप से पढ़ने व गणित बनाने की क्षमताएँ कमजोर हैं। उदाहरण के लिए, बच्चों की कक्षा 1 के स्तर का पाठ पढ़ने की क्षमता कक्षा 1 से 3 तक सुधरती है- कक्षा 1 में 16.2% बच्चे यह पाठ पढ़ पाते हैं और कक्षा 3 में 50.8%। ध्यान देने की बात यह है कि कक्षा 3 के लगभग आधे बच्चे जो यह पाठ नहीं पढ़ पाते हैं, वह पाठ्यक्रम की अपेक्षाओं से अब दो वर्ष पीछे हो गए हैं।

- कक्षा 1 में 41.1% बच्चे 2 अंकों की संख्या को पहचान सकते हैं, जबकि कक्षा 3 में 72.2% बच्चे ऐसा कर सकते हैं। लेकिन NCERT के सीखने के परिणामों (लर्निंग आऊटकम्स) के विनिर्देश के अनुसार, बच्चों को कक्षा 1 में 99 तक संख्याएँ पहचानने में सक्षम होना चाहिए।
- पहले की तरह, इन बच्चों में भी इनके प्रारंभिक भाषा और गणित प्रदर्शन पर इनके संज्ञानात्मक कौशल का प्रभाव दिखाई देता है। उदाहरण के लिए, कक्षा 3 में जो बच्चे 3 संज्ञानात्मक कार्यों को सही कर पाए, उनमें से 63.2% बच्चे कक्षा 1 के स्तर का पाठ पढ़ने में सक्षम थे। इसकी तुलना में, जो बच्चे संज्ञानात्मक विकास के कार्यों में एक या एक भी कार्य सही करने में सक्षम नहीं थे, उनमें से 19.9% बच्चे ही कक्षा के स्तर का पाठ पढ़ पाए।

सीखने में समानता

एएसईआर के शुरूआती वर्षों में किये गये सर्वेक्षण में यह पाया गया कि बच्चों में सीखने का स्तर कम था और इस अपरिवर्तनशीलता की हमेशा अनदेखी की गई। जब सीखने की प्रवृत्ति 2010 से ही घटने लगी तो इस तथ्य को भी अस्वीकार किया गया लेकिन इस बात की आज सामान्य स्वीकृति है कि बच्चों में सीखने की प्रवृत्ति में गिरावट आयी है। वर्ष 2014 से सरकार ने इस प्रवृत्ति का आकलन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। अब एनएएस (NAS) के माध्यम से आकलन का कार्य नियमित रूप से किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप आँकड़े जिला स्तर पर भी उपलब्ध हैं। असर द्वारा संपादित किए जा रहे सर्वेक्षण के इन आँकड़ों से यह स्पष्ट है कि स्कूलों के शिक्षण-अधिगम में बदलाव आया है।

सरकारी पहल

विश्व में तीव्र गति से आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने विभिन्न वैश्विक मंचों पर होने वाले बातचीत के माध्यम से सरकारों तथा नागरिकों के लिए अनेक लक्ष्य निर्धारित किए हैं जिसमें शिक्षा सतत विकास लक्ष्यों का मुख्य बिन्दु है। एसडीजी 4 के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने 'समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा' सुनिश्चित करने और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देने का वादा किया है।

भारत में नीति आयोग ने विजन और स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट, थ्री-ईयर एक्शन एजेण्डा (2017-18 से 2019-20) जारी किया है, जिसका उद्देश्य है कि सभी बच्चे बुनियादी कौशल प्राप्त कर सकें।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित करते हुए केन्द्र सरकार ने वर्ष 2017 में आरटीई (RTE-बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम-2009) के नियमों में संशोधन किया है जिससे कि प्राथमिक कक्षाओं के लिए कक्षा वार (Class Wise) तथा विषय वार (Subject Wise) सीखने के परिणामों को शामिल किया जा सके।

शारीरिक शिक्षाः शारीरिक शिक्षा और खेल हमेशा शिक्षा नीति के अभिन्न अंग रहे हैं लेकिन शारीरिक शिक्षा हमेशा से ही हाशिए पर रहा है। हालाँकि केन्द्र सरकार ने 300 मिलियन स्कूली बच्चों को दिन में एक घण्टे खेलने जैसी योजना के लिए सकारात्मक कदम उठाये हैं।

आगे की राह

- आँगनबाडी केन्द्र बहुत बड़े अनुपात में छोटे बच्चों के लिए पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं में जाने से पहले उन्हें विभिन्न सुविधाएँ उपलब्ध कराती हैं। इन आंगनवाड़ियों को सभी बच्चों को शामिल करने और 3 और 4 वर्ष के बच्चों के लिए उपयुक्त स्कूल रेडीनेस गतिविधियों, कार्यक्रम का संचालन करने के लिए और सशक्त बनाना चाहिए।
- असर 2019 के आँकड़ों से बच्चों के प्रारंभिक भाषा और गणित के प्रदर्शन पर उनके संज्ञानात्मक कौशल का प्रभाव दिखाई देता है। इससे यह संकेत मिलता है कि प्रारंभिक वर्षों में बच्चों को सिखाने में संज्ञानात्मक कौशल के विकास पर ध्यान देना चाहिए ताकि किताबी, विषय-आधारित ज्ञान पर जिससे बच्चों को भविष्य में भरपूर लाभ हो सके। 4-8 आयु वर्ग को एक साथ एक निरंतरता के रूप में देखना चाहिए और कक्षा व पाठ्यक्रम का निर्माण इसको ध्यान में रखकर करना चाहिए। एक प्रभावी पाठ्यक्रम बनाने के लिए उसके डिजाइन, प्लानिंग, आउटकम आदि की जमीनी हकीकत को ध्यान में रखना चाहिए।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/ सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

■

5. 'खेलो इंडिया' के सकारात्मक प्रभाव एवं इसके समक्ष चुनौतियाँ

चर्चा का कारण

हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण का आयोजन गुवाहाटी में किया गया। केन्द्रीय खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के दायरे को बढ़ाकर व्यापक कर दिया है, इन खेलों में अब दो श्रेणियों, अंडर 17 और अंडर 21 में प्रतिभागी हिस्सा ले सकते हैं। इसमें कॉलेज और विश्वविद्यालय के खिलाड़ी भी हिस्सा ले सकते हैं। इन खेलों में लगभग 10,000 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं।

इस योजना की शुरुआत केन्द्रीय खेल व युवा मामले मंत्रालय द्वारा देश में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए की गयी थी। इसका उद्देश्य देश में खेले जाने वाले सभी खेलों को बढ़ावा देना तथा भारत को एक मजबूत खेल राष्ट्र के रूप में तैयार करना है। इस कार्यक्रम से युवा खिलाड़ियों को अपने कौशल को बेहतर करने तथा अपने कौशल का प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। इन खेलों में प्रतिभावान खिलाड़ियों को चिन्हित किया जायेगा।

परिचय

प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में खेल और फिटनेस का महत्त्व अमूल्य है, यदि हम खेल में भाग लेते है, तो हमारे अंदर टीम के साथ कार्य करने

की भावना में बढ़ोत्तरी होती है। इससे रणनीतिक और विश्लेषणात्मक सोच, नेतृत्व कौशल, लक्ष्य निर्धारण और जोखिम लेने का गुण विकसित होता है। अगर व्यक्ति स्वस्थ और फिट होगा तो वह एक स्वस्थ समाज और मजबूत राष्ट्र का निर्माण करेगा। हमारे राष्ट्र के समग्र विकास के लिए खेल अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है। खेल की आवश्यकता को समझते हुए केंद्र सरकार ने खेलो इंडिया (Khelo India) प्रोग्राम को लॉन्च किया।

गुवाहाटी से पहले खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का आयोजन 2018 में नई दिल्ली में किया गया और फिर 2019 में इसका आयोजन पुणे में हुआ लेकिन इसका नाम बदलकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स खेलो इंडिया अभियान का हिस्सा है। खेलो इंडिया देश में खेलों के विकास का एक राष्ट्रीय प्रोग्राम है। साथ ही साथ खेलो इंडिया का मकसद देश के दूर-दराज इलाकों से प्रतिभाओं को तलाशना और उन्हें तराशना है, जिससे कि वे आगे जाकर सर्वोच्च स्तर पर देश का नाम रौशन कर सकें।

खेलो इंडिया का उद्देश्य

खेलो इंडिया के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए 12 आयामों पर काम शुरू किया गया-

1. खेल संरचना के निर्माण और पुनर्निमाण के साथ-साथ उनका उपयोग।
2. प्रतिभाओं की तलाश और विकास।
3. वार्षिक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन।
4. राज्यस्तरीय खेलों इंडिया सेंटर्स का विकास।
5. सामुदायिक कोचिंग विकास।
6. खेल के मैदानों का विकास।
7. ग्रामीण एवं पारंपरिक तथा जनजातीय खेलों का विकास।
8. शांति और विकास के लिए खेल।
9. दिव्यांगों के बीच खेलों का विकास।
10. महिलाओं के लिए खेल।
11. स्कूली बच्चों के बीच फिजिकल फिटनेस का विकास।
12. राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राज्य खेल अकादमियों को सहयोग।

इस 12 सूत्री एजेंडे के तहत उच्च स्तरीय समिति द्वारा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को पहचानना और उनमें से जो श्रेष्ठ हैं, उन्हें आठ साल तक प्रति साल पांच लाख रुपये की स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। बैडमिंटन, मुक्केबाजी, हॉकी, शूटिंग, भोरोत्तोलन और कुश्ती में भारत को ओलंपिक में पदक मिल चुके हैं और शेष खेलों में भारत ने एशियाई स्तर पर पदक जीते हैं। ऐसे में सरकार का मकसद खेलों में खिलाड़ियों को शामिल करना और उनकी प्रतिभा को तराशना है। इन खेलों के माध्यम से सरकार दो लक्ष्यों को हासिल करना चाहती है। पहला-खेलों में बड़े पैमाने पर हिस्सेदारी और दूसरा-खेलों में उत्कृष्टता हासिल करना। भारत में स्कूलों में खेलों का संचालन करने वाली सबसे बड़ी संस्था-स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसजीएफआई) के सहयोग से इन खेलों का आयोजन होता है और इसमें राष्ट्रीय खेल महासंघों की भी अहम भागीदारी होती है। साथ ही साथ भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI), मेजबान राज्य सरकार और भारत सरकार के खेल मंत्रालय का इसे सहयोग और समर्थन प्राप्त होता है। अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाडियों को सरकार उच्च खेल के लिए तैयार करती है, जिसके बाद उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाता है। खेलों इण्डिया कार्यक्रम के अंतर्गत 16 खेलों को शामिल किया गया है, यह इस प्रकार हैं- तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, मुक्केबाजी, फुटबॉल, जिमनास्टिक्स, हॉकी, जूडो, कबड्डी, खो-खो, शूटिंग, तैराकी, वॉलीबॉल, भारोत्तोलन और कुश्ती है।

खेलो इंडिया (Khelo India) का मुख्य उद्देश्य उन खिलाड़यों को प्रेरित करना है, जोकि खेल में निपुण होने के बाद भी आर्थिक कारण से खेल में अपना करियर नहीं बना पाते हैं, ऐसे खिलाड़ियों की खोज करके उन्हें विश्व स्तर तक ले जाना।

खेलों के लिए बजट एवं प्राधिकरण

युवा मामले और खेल मंत्रालय देश में खेल संबंधी सुविधाएं विकसित करने और खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा में कायम रहने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना और क्षमता निर्माण करना शामिल है। इसके दो विभाग हैं- (i) युवा मामलों से संबंधित विभाग, और (ii) खेल विभाग।

युवा मामले और खेल मंत्रालय के लिए 2018-19 में 2,196 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। यह 2017-18 के संशोधित अनुमानों (1,938 करोड़ रुपए) से 13% अधिक है। मंत्रालय के अंतर्गत खेलो इंडिया और स्वायत्त निकायों (भारतीय खेल प्राधिकरण और राष्ट्रीय खेल परिसंघों) के लिए सबसे अधिक आबंटन किया गया है। ये खेल विभाग के अंतर्गत आते हैं। मंत्रालय के कुल आबंटन में से 62% खेलो इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण और राष्ट्रीय खेल परिसंघों के लिए किया गया है।

राष्ट्रीय खेल परिसंघः राष्ट्रीय खेल परिसंघ (NSFs) सोसायटीज एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत एक स्वायत्त निकाय हैं। ये देश में खेल से संबंधित विषयों को बढ़ावा देती हैं और उन्हें विकसित करती हैं जिनके लिए वे संबंधित अंतर्राष्ट्रीय परिसंघों द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। वर्तमान में भारत में 54 राष्ट्रीय खेल परिसंघ हैं।

साईः भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर की नोडल एजेंसी है। इसके अतिरिक्त साई खिलाड़ियों को चिन्हित करने, उन्हें प्रशिक्षण और कोचिंग देने तथा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में (NSFs) को सहयोग प्रदान करती है।

राष्ट्रीय खेल विकास फंड (एनएसडीएफ): 1998 में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल विकास फंड (एनएसडीएफ) की स्थापना की गई जिसका उद्देश्य देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी और गैर सरकारी स्रोतों को संघटित करना है। वित्तीय सहायता के सभी आवेदनों पर फंड की कार्यकारी समिति द्वारा विचार और निर्णय किया जाता है। समिति साई और राष्ट्रीय खेल परिसंघों की सलाह से खिलाड़ियों के पूर्व प्रदर्शन और भविष्य की क्षमताओं के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है। पिछले कुछ वर्षों से सरकार द्वारा एनएसडीएफ में औसत 10-15 करोड़ रुपए प्रदान किए जा रहे हैं।

स्टैंडिंग कमेटी के सुझाव

समन्वय की कमीः एनएसएफज और साई/मंत्रालय के साथ-साथ एनएसएफज और राज्य खेल परिसंघों (एसएसएफज) में भी समन्वय की कमी है। स्टैंडिंग कमिटी ने यह रेखांकित किया कि खेलों के विकास के लिए मंत्रालय द्वारा अन्य मंत्रालयों जैसे मानव संसाधन विकास, महिला एवं बाल विकास और पंचायती राज के साथ समन्वय बढ़ाए जाने की जरूरत है।

योजनाओं के उद्देश्यों को पूरा करनाः एनएसएफज और मंत्रालय द्वारा लागू की जाने वाली प्रमुख योजनाओं का उद्देश्य व्यापक रूप

से एक समान है। इसमें सिर्फ एक अंतर है, वह यह कि एनएसएफज अलग-अलग खेल के विकास के लिए काम करती है। स्टैंडिंग कमिटी ने कहा कि एनएसएफज और एसएसएफज को संबंधित खेलों की अपनी क्षमता के हिसाब से सभी योजनाओं में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होना चाहिए।

एनएसएफज का कामकाजः यह कहा गया कि अधिकतर खेल परिसंघों की संरचना पर किसी ऐसे व्यक्ति का प्रभुत्व है जो स्वयं खिलाड़ी नहीं है। कमिटी ने हर परिसंघ के लिए एक चुनाव आयोग गठित करने और खिलाड़ियों एवं अन्य खेल विशेषज्ञों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का सुझाव दिया। इससे कुप्रशासन, बुरे प्रबंधन इत्यादि जैसी समस्याएं भी हल होंगी।

चुनौतियाँ एवं विश्लेषण

दुर्व्यवहार की घटनाएंः हाल ही में ऐसा देखा गया है कि कुछ प्रमुख खेलों के सदस्य और कोचों के द्वारा संबंधित खिलाड़ियों (महिला और पुरुष दोनों) का यौन दुर्व्यवहार किया जाता है जिससे खिलाड़ियों में खेलों के प्रति आकर्षण में कमी देखने को मिलती है जो एक सर्वप्रमुख चुनौती है। उल्लेखनीय है कि साई में उपलब्ध 2011 से 2019 के रिकार्डो के अनुसार विभिन्न साई केन्द्रों में यौन शोषण के 35 मामले सामने आए थे जिनमें से 27 मामले प्रशिक्षुओ ने अपने कोचों के खिलाफ लगाए थे। किंतु अब तक 14 लोगों को दोषी पाया गया और सजा दी गयी है।

वर्तमान में अधिकतर खेल परिसंघों में शिकायत निवारण व्यवस्थाएं नहीं हैं। स्टैडिंग कमिटी ने राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर बहुस्तरीय व्यवस्था कायम करने का सुझाव दिया। उसने खेल ट्रिब्यूनल को एक अंतिम अथॉरिटी की भूमिका सौंपने का सुझाव भी दिया। किंतु सरकारों द्वारा इसे गंभीरता से नहीं लिया गया।

खेल परिसंघों को सरकार से पर्याप्त राशि नहीं मिलती, इसलिए वे अन्य स्रोतों से अधिक फंड्स का प्रबंध करने का प्रयास करते हैं। इस संदर्भ में यह सुझाव दिया जाता है कि अगर सरकार फंडिंग की सभी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती तो निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त ऐसे परिसंघ अब भी मौजूद हैं जो सरकारी दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं करते।

शिक्षकों का प्रशिक्षण और रिक्तियांः लक्ष्मीबाई फिजिकल एजुकेशन विश्वविद्यालय एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय संस्थान है जो फिजिकल एजुकेशन के शिक्षकों को प्रशिक्षण देता है और स्कूलों के लिए राष्ट्रीय फिटनेस योजना तथा फिजिकल एजुकेशन का पाठ्यक्रम तैयार करता है।

स्टैंडिंग कमिटी ने कहा कि विश्वविद्यालय के मंजूर किए गए वित्तीय परिव्यय के लैप्स होने और स्वीकृत प्रॉजेक्ट्स के लागू होने में देरी के मामले पाए गए हैं। यह सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालय के शैक्षणिक स्तर की गुणवत्ता में सुधार करने, प्रशिक्षण कौशल को मजबूत करने और विद्यार्थियों को प्रशासनिक सहयोग देने के प्रयास किए जाने चाहिए। कमिटी ने गौर किया कि नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) द्वारा अपेक्षित परिणामों को हासिल करने की मुख्य बाधा कर्मचारियों की कमी है। उदाहरण के लिए एनवाईकेएस में पदों की कुल स्वीकृत संख्या 2,273 है जिनमें से 861 पद रिक्त हैं।

यहां तक कि भारतीय खेल प्राधिकरण के अंतर्गत कोच की कमी है और 37% से अधिक पद रिक्त हैं। भर्ती का तरीका और गति भी संतोषजनक नहीं है और इसे कॉन्ट्रैक्ट आधारित नियुक्तियों से नहीं भरा जाना चाहिए।

एनएसडीएफ और कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (सीएसआर): सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयूज) के तौर पर एनएसडीएफ और सीएसआर को लेकर भ्रम है। सीएसआर कंपनीज एक्ट, 2013 के अंतर्गत आता है, जबकि एनएसडीएफ चैरीटेबल एन्डॉमेंट्स एक्ट, 1890 के अंतर्गत आता है। इसलिए सीएसआर के अंतर्गत एनएसडीएफ को वित्तीय सहायता नहीं दी जा सकती। स्टैंडिंग कमिटी ने सुझाव दिया कि खेल विभाग को पीएसयूज को इस अंतर के संबंध में शिक्षित करना चाहिए।

बैंकों से सहभागिताः स्टैंडिंग कमिटी ने सुझाव दिया कि साई को ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर/ कोचिंग की सुविधा बढ़ाने के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिए।

खेल राज्य सूची का विषय है, इसलिए केंद्र सरकार द्वारा देश में स्टेडियम्स की संख्या पर कोई डेटा नहीं मेनटेन किया जाता।

आगे की राह

भविष्य की ओर देखते हुए भारत को ओलंपिक में गौरव हासिल करने के रास्तों एवं संसाधनों के बारे में सोचना चाहिए। भारत को कुछ खेलों की युवा प्रतिभाओं को चुनकर उन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके अलावा, सरकार को एक विस्तृत खेल नीति बनानी चाहिए। यह खेल नीति मौजूदा नीति से अलग होनी चाहिए, जो खिलाड़ियों को कॅरियर सुनिश्चित करने की गारंटी प्रदान करे। टुकड़े-टुकड़े में प्रोत्साहन देकर हम पदक नहीं जीत सकते और हमें अगले ओलंपिक के छह माह पहले मुआयना करना चाहिए कि तैयारियों में हमने कहीं देर तो नहीं की है, जैसा कि अब तक होता रहा है।

खेलों के बारे में कहा जाता है कि उनमें दुनिया को बदलने की शक्ति होती है। हमारे समक्ष तमाम आसन्न चुनौतियों के अलावा एक महत्वपूर्ण लक्ष्य यह भी होना चाहिए कि हमें एक खेल संस्कृति को पुष्पित-पल्लवित करना है। भारतीय समाज को खेल देखने वाले से खेल खेलने वाले समाज में बदलना होगा। हमें महज सहभागिता से आगे बढ़कर खेल में जीतने का मंत्र भी तलाशना होगा। आज खेलों की अहमियत को नकारा नहीं जा सकता। हम ऐसे अनुभवों के भी साक्षी होते हैं जब अपने क्रिकेटरों, पहलवानों, मुक्केबाजों, निशानेबाजों, एथलीटों, शटलरों और शतरंज के ग्रैंड मास्टरों के प्रदर्शन पर गौरवान्वित होते हैं। हालांकि एक विडंबना यह भी है कि ऐसे पल कम ही आते हैं। एक कड़वा सत्य यह भी है कि अपनी आबादी और अर्थव्यवस्था के लिहाज से खेलों के मोर्चे पर हम अपनी क्षमताओं से काफी कमतर हैं। वर्ष 2028 के ओलंपिक में शीर्ष 10 में आना, वर्ष 2030 में विश्व कप फुटबॉल, टेनिस में कुछ ग्रैंड स्लैम हासिल करना और कुछ बड़े गोल्फ खिताब जीतने का लक्ष्य रखा जा सकता है। यह लक्ष्य दूर की कौड़ी भले ही लगे, लेकिन इसे हासिल किया जा सकता है। वैसे भी लोग कहते हैं कि कोई छोटा लक्ष्य तय करने से कहीं बेहतर है कि लक्ष्य ऊँचा रखा जाए, भले ही उसमें सफलता कितनी ही कठिन क्यों न हो। खेलो इंडिया, जीतो इंडिया।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस- अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक घोषणा-पत्र, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय।

■

6. भारत में बढ़ती मुद्रास्फीति और उसका प्रभाव

चर्चा का कारण

हाल ही मे सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) ने दिसंबर, 2019 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित महँगाई दर के आँकड़े जारी किए।

रिपोर्ट की मुख्य बातें

सीएसओ की रिपोर्ट के अनुसार दिसम्बर, 2019 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सीपीआई आधारित महँगाई दर 7.26 फीसदी (अनंतिम) रही, जो दिसंबर, 2018 में 1.50 फीसदी थी। इसी तरह शहरी क्षेत्रों के लिए सीपीआई आधारित महँगाई दर दिसंबर, 2019 में 7.46 फीसदी (अनंतिम) आंकी गयी, जो दिसंबर, 2018 में 2.91 फीसदी थी। ये दरें नवंबर, 2019 में क्रमशः 5.27 तथा 5.76 फीसदी (अंतिम) थीं।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति दिसंबर 2018 में 2.11% और नवंबर में 5.54% थी जबकि दिसंबर, 2018 की अपेक्षाकृत दिसम्बर, 2019 में प्याज व अन्य सब्जियों में हेडलाइन मुद्रास्फीति 60.50% तक बढ़ी। अन्य खाद्य पदार्थों की कीमतें जैसे कि मांस और मछली (9.57%), दूध (4.22%), अंडा (8.79%) और कुछ दालों की कीमतें भी उच्च स्तर पर थी।

खुदरा महँगाई दर दिसंबर, 2019 में पिछले पाँच साल के उच्च स्तर 7.35% पर पहुँच गई, जिसके साथ प्याज की कीमत भी तेज गति से बढ़ी है। विदित हो कि इससे पहले खुदरा महँगाई दर जुलाई 2014 में रिकॉर्ड 7.39% स्तर पर थी।

मुद्रास्फीति क्या है

मुद्रास्फीति का आशय वस्तुओं और सेवाओं (Goods and Services) के मूल्य में निरंतर वृद्धि से है, जिसके फलस्वरूप मुद्रा का मूल्य या क्रय शक्ति क्षमता घटने लगती है। माँग और पूर्ति ही किसी वस्तु के मूल्य का निर्धारण करती हैं, इसलिए मुद्रास्फीति भी वस्तुओं की माँग और पूर्ति पर काफी हद तक निर्भर करती है।

मुद्रास्फीति के चरण

लक्षण एवं तीव्रता के आधार पर, मुद्रास्फीति के कई चरण हो सकते हैं जैसे-

1. रेंगती हुइ मुद्रास्फीति (Inflatable Inflation) (0 से 3% के बीच)
2. चलती या दौड़ती हुई मुद्रास्फीति (Moving or Running Inflation) (3% से 10% के बीच)
3. उछलती हुई मुद्रास्फीति (Bouncing inflation) (10% से 20% के बीच)
4. अति मुद्रास्फीति (Hyperinflation) (20% से अधिक)

वर्तमान स्थिति

रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष की पाँचवीं द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा में कहा, कि 'आगे चलकर मुद्रास्फीति का परिदृश्य कई कारकों से प्रभावित होगा। सब्जियों की कीमतों में तेजी आने वाले महीनों में भी यह जारी रह सकती है। हालांकि, खरीफ फसल की आवक बढ़ने और सरकार द्वारा आयात के जरिये आपूर्ति बढ़ाने के प्रयासों से फरवरी, 2020 की शुरूआत में सब्जियों के दाम नीचे लाने में मदद मिलेगी।'

केंद्रीय बैंक ने कहा कि दूध, दालों और चीनी जैसे खाद्य उत्पादों में कीमतों पर जो शुरूआती दबाव दिख रहा है, उसमें कमी आने की संभावना कम ही है। इससे खाद्य मुद्रास्फीति प्रभावित होगी। इस प्रकार खाद्य वस्तुएँ महंगी होने से खुदरा मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) को प्रभावित करने में खाद्य मुद्रास्फीति का प्रमुख योगदान रहा है। उल्लेखनीय है कि अक्टूबर में खाद्य मुद्रास्फीति बढ़कर 6.9 प्रतिशत पर पहुंच गई थी, जो पिछले 39 माह का उच्चतम स्तर रही थी।

कृषि के अलावा, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी मंदी का असर देखा जा रहा है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, इस क्षेत्र के परिणाम अभूतपूर्व रूप से दयनीय हैं। पिछले साल की तीसरी तिमाही के लाभ के परिणाम दूसरे देशों की तरह से ही मंदी का पैटर्न दर्शा रहे हैं, जिसमें मार्जिन घट रहे हैं। भारत में आर्थिक गतिविधियों में कमी, हवाई यातायात में कमी, वाहनों की कम बिक्री, घटा हुआ कैपिटल गुड्स का उत्पादन और औद्योगिक वृद्धि में सामान्य तौर पर कमी साफ दिख रही है। हाल ही में आईआईपी (Index of Industrial Production) वृद्धि और निर्यात वृद्धि पहले से कम हो चुकी है।

निर्यात वृद्धि में आगे भी बाधाएँ आने की संभावना है क्योंकि डब्ल्यूटीओ की हाल की रिपोर्ट के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिकुड़ रहा है, खास तौर पर अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक मतभेदों के कारण। भारत से अमेरिका को फार्मास्यूटिकल निर्यात में भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि वह भारत के ऊपर अनेक व्यापारिक प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है।

मुद्रास्फीति में बढ़ोत्तरी के कारण

- हाल ही में (दिसम्बर 2019 में) जारी सीएसओ (CSO) के आँकड़ों के अनुसार कोर मुद्रास्फीति (Core Inflation) में लगभग 3.7 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है जबकि इसके पहले यह 3.5 प्रतिशत थी। जबकि हेडलाइन मुद्रास्फीति (Headline Inflation) में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। हेडलाइन मुद्रास्फीति में वृद्धि के कारण ही महँगाई की उच्च दर दिख रही है।

कोर एवं हेडलाइन मुद्रास्फीति

खाद्य पदार्थों की कीमतों और ईंधन की कीमतों को हटा कर जो (रीटेल) महँगाई दर बचती है उसे कोर इन्फ्लेशन (मुद्रास्फीति) कहा जाता है। इसे नॉन फूड मैन्यूफैक्चरिंग इन्फ्लेशन भी कहा जाता है। इसका कारण यह है कि खाद्य पदार्थों और ईंधन की कीमतों में अचानक उतार-चढ़ाव देखा जाता है और इसलिए उनके अस्थायी और अप्रत्याशित असर को बाहर कर कोर इन्फ्लेशन मापा जाता है। खाद्य पदार्थों और ईंधन को छोड़ कर अन्य पदार्थों की महँगाई दर की दिशा को मापने का यह एक असरदार तरीका है। कोर इन्फ्लेशन का अधिक होना किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक गंभीर चुनौती है।

हेडलाइन मुद्रास्फीति में सभी वस्तुएँ शामिल होती हैं अर्थात् इसमें उतार-चढ़ाव कीमत रखने वाली वस्तुएँ (यथा- सब्जी, पेट्रोलियम आदि) और अपेक्षाकृत स्थिर कीमत रखने वाली वस्तुएँ दोनों ही शामिल होती हैं। हेडलाइन मुद्रास्फीति में वृद्धि का प्रमुख कारण सब्जी और पेट्रोलियम है, जिनके समय के अनुसार दाम घटते-बढ़ते रहते हैं। इसलिए हेडलाइन मुद्रास्फीति बहुत अधिक चिंता का विषय नहीं होती है।

- पिछले दो-तीन महीनों से खाद्यानों का दाम उच्च रहा है। खासकर रोजमर्रा की वस्तुएँ जैसे- दाल, सब्जी, दूध आदि। लोगों के पास क्रयशक्ति का अभाव देखा जा रहा है। परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति की दर में तेज वृद्धि हुई है।
- बीते वर्ष मौसम का अनिश्चित होना भी महँगाई का एक बड़ा कारण रहा, क्योंकि बिन मौसम बारिश के कारण खरीफ की फसलों पर ज्यादा असर पड़ा। बारिश के

देरी से शुरू होने से बुआई में देरी हुई तथा अंतिम समय में अत्यधिक वर्षा से फसलें नष्ट हो गईं। परिणामस्वरूप कीमतों में उछाल देखा गया।

- वर्तमान में न सिर्फ महँगाई बढ़ी है बल्कि बेरोजगारी भी तीव्र गति से बढ़ी है। जब लोगों के पास रोजगार ही नहीं रहेगा तो उनकी क्रयशक्ति भी कम होगी तथा वे आवश्यक वस्तुएँ भी नहीं खरीद पाएँगे। परिणामस्वरूप खुदरा महँगाई बढ़ेगी जिससे कि मुद्रास्फीति का बढ़ना तय है। ये सब कारण इस समय भारत में विद्यमान हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तेल की कीमतों में भारी वृद्धि हुई जिससे कि देश का मुद्रा भंडार प्रभावित हुआ तथा देश के अंदर की वस्तुएँ भी महंगी हो गईं।
- कुछ अन्य देशों से संबंधों में गिरावट भी इसका एक प्रमुख कारण है, क्योंकि यदि संबंध बेहतर नहीं रहते हैं तो पड़ोसी देशों से जो वस्तुएँ आयात की जाती हैं, उनका आयात नहीं हो पाता है और महँगाई बढ़ जाती है। इसका बेहतर उदाहरण भारत-पाकिस्तान संबंध है। विदित हो कि भारत, पाकिस्तान से प्याज, ड्राई फ्रूट्स आदि का आयात करता है। लेकिन वर्तमान में दोनों देशों के बीच संबंध बेहतर नहीं हैं इसलिए उन सबका आयात नहीं हो सका और ये वस्तुएँ महँगी हो गईं।

मुद्रास्फीति का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

विभिन्न वर्षों के आँकड़ों का अध्ययन करने के बाद यह बात सामने आई है कि कम और नियंत्रित मुद्रास्फीति, उद्यमियों को अधिक निवेश के लिए प्रेरित करती है क्योंकि वस्तुएँ और सेवाएँ महँगी होने के कारण उन्हें लागत की तुलना में अधिक कीमत मिलती है। यदि मुद्रास्फीति एक स्तर से अधिक हो जाती है तो वस्तुओं की माँग में कमी आ जाती है जिससे उनका उत्पादन भी प्रभावित होता है।

- चूंकि मुद्रास्फीति के कारण लोगों की वास्तविक आय कम हो जाती है जिसके कारण उनकी बचत में कमी आती है, फलस्वरूप निवेश कम होता है जिसके कारण उत्पादन कम हो जाता है जो कि आगे निर्यात को कम करता है और भुगतान संतुलन विपरीत हो जाता है। इस प्रकार अधिक मुद्रास्फीति के कारण पूरी अर्थव्यवस्था नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है।
- समाज का ऐसा वर्ग जो कि स्थिर आय प्राप्त करता है जैसे दिहाड़ी मजदूर, पेंशनभोगी, वेतनभोगी इत्यादि के लिए मुद्रास्फीति नुकसानदायक होती है क्योंकि मुद्रा की वास्तविक कीमत में कमी और वस्तुओं के दाम में अधिकता होने के कारण उनकी क्रयशक्ति में कमी आती है। जैसे जिस 100 रुपये की मदद से ये लोग पहले 3 किलो प्याज खरीद लेते थे अब मुद्रास्फीति के बाद 1 या 2 किलो ही खरीद पाएँगे।
- कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि यदि वर्तमान प्रभाव को देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था मंदी की तरफ तेज गति से आगे बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त इनका कहना है कि मुद्रास्फीति आने वाले समय में और भी बढ़ सकती है। परिणामस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था को मंदी से बाहर निकलने में समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इस बात की पुष्टि इससे भी होती है कि आरबीआई ने कहा कि मुद्रास्फीति की दर निर्धारित लक्ष्य (2% से 6% के बीच) से अधिक हो गयी है, अर्थात् 6% प्रतिशत से अधिक हो गयी है, अतः इसे नियंत्रित करने के प्रयास किये जा रहे हैं।
- बढ़ती मुद्रास्फीति तब और चुनौतीपूर्ण हो जाती है जब महँगाई के साथ-साथ बेरोजगारी भी तीव्र गति से बढ़ रही हो और विकास की दर भी कम हो जाये, ऐसी स्थिति को स्टैगफ्लेशन (Stagflation) कहा जाता है। स्टैगफ्लेशन की स्थिति में महँगाई तो बढ़ती है किंतु मंहगाई के साथ-साथ अर्थव्यवस्था के विकास की दर नहीं बढ़ पाती है। कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था स्टैगफ्लेशन की स्थिति से गुजर रही है।

स्टैगफ्लेशन

यह अर्थव्यवस्था की वह अवस्था होती है, जिसमें आर्थिक तरक्की की रफ्तार घट जाती है और बेरोजगारी के साथ-साथ महँगाई भी ऊंचे स्तर पर रहती है। यह शब्द स्टैगनेशन (स्थिरता) और इन्फलेशन (मुद्रास्फीति) से मिलकर बना है। इसमें विकास दर थम जाती है या घट जाती है, जबकि महँगाई की दर में तेजी आने लगती है। बेकारी बढ़ने के लिए यह आदर्श स्थिति है। स्टैगफ्लेशन इसलिए जटिल है क्योंकि उत्पादन बढ़ाने के लिए कर्ज सस्ता किया जाता है और बाजार में पूंजी का प्रवाह बढ़ाया जाता है। बाजार में ज्यादा धन महँगाई का ईंधन बन जाता है, इसलिए स्टैगफ्लेशन का दुष्चक्र तोड़ना मुश्किल हो जाता है।

- कहा जाता है कि जब अर्थव्यवस्था पटरी पर न हो तो इसका प्रभाव दीर्घकालिक होता है। ऐसी स्थिति में मुद्रास्फीति का प्रभाव सरकार द्वारा पेश किये जाने वाले अगले बजट में भी देखा जा सकता है।
- वर्तमान मुद्रास्फीति का सर्वाधिक प्रभाव रिजर्व बैंक के निर्णयों पर पड़ेगा। रिजर्व बैंक ऐसी स्थिति में ब्याज दरों में कटौती नहीं कर पाएगा। जिससे सस्ती ब्याज दरों का कर्ज और निवेश दोनों ही प्रभावित होते हैं।
- वर्तमान मुद्रास्फीति का सर्वाधिक असर ऐसी वस्तुओं के मूल्य पर पड़ेगा जो रोजमर्रा के लिए महत्वपूर्ण है, अर्थात् इन वस्तुओं के मूल्य में कमी होगी इसकी संभावना कम है।
- मुद्रास्फीति का एक बड़ा प्रभाव यह होगा कि इससे निवेश कम हो जाएगा, जिससे कि उत्पादन प्रभावित होगा, परिणामस्वरूप बेरोजगारी बढ़ेगी तथा क्रयशक्ति कम होगी और फिर पुनः मुद्रास्फीति की दर बढ़ जाएगी। इस तरह यह न समाप्त होने वाले चक्र में परिणत हो जाएगा और अर्थव्यवस्था मंदी का शिकार हो जाएगी।
- वर्तमान वैश्विक परिदृश्य को देखें तो मुद्रास्फीति को रोकना एक बड़ी चुनौती है। मध्य एशिया में बढ़ता तनाव भारत के लिए एक चिंता की बात है। अमेरिका-ईरान के बीच उत्पन्न तनाव ने इसे और बढ़ा दिया है। विदित हो कि भारत अपनी तेल आवश्यकताओं का 80% आयात करता है तथा पिछले चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से नवंबर के बीच प्रति दिन 4.5 मिलियन बैरल तेल का आयात किया है। अतः तेल के मूल्य में वृद्धि मुद्रास्फीति को बढ़ने में अहम भूमिका अदा करती है।

मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के तरीके

सरकार के अनुसार, यदि मुद्रास्फीति लगातार तीन-तिमाही के लिए 6 प्रतिशत से अधिक हो जाती है तो आरबीआई को केंद्र को एक लिखित स्पष्टीकरण देना होगा। मुद्रास्फीति को कम करने की नीतियों में राजकोषीय नीति, आपूर्ति पक्ष की नीति, मजदूरी नियंत्रण, विनिमय दर तथा मुद्रा आपूर्ति पर नियंत्रण आदि महत्वपूर्ण हैं, इसे निम्नलिखित बिंदुओं के तहत देखा जा सकता है-

1. **मौद्रिक नीति** - उच्च ब्याज दर अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह में कमी करती है जिससे वस्तुओं की माँग और मुद्रास्फीति दोनों कम हो जाती हैं। इसलिए ब्याज दर को नियंत्रित कर मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है।
2. **आपूर्ति पक्ष की नीतियाँ** - अर्थव्यवस्था

की प्रतिस्पर्द्धात्मकता और दक्षता बढ़ाने के लिए नीतियों का सही तरीके से पालन करना चाहिए जिससे कि लागतों को नियंत्रित किया जा सके।

3. **राजकोषीय नीति** – आयकर की एक उच्च दर खर्च, माँग और मुद्रास्फीति के दबाव को कम कर सकती है।
4. **मजदूरी नियंत्रण** – मजदूरी को नियंत्रित करने की कोशिश करना, सिद्धांत रूप में, मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने में मदद कर सकता है। हालाँकि, 1970 के अलावा, इसका उपयोग शायद ही कभी किया गया हो।

आगे की राह

वर्तमान स्थिति को देखें तो भारत में मुद्रास्फीति का बढ़ना अर्थव्यवस्था के लिए सही संकेत नहीं है। अत: रिजर्व बैंक को सरकार के साथ मिलकर एक ठोस नीति बनाने की आवश्यकता है। महँगाई को काबू करना अति आवश्यक है जिससे कि विकास दर को बढ़ाया जा सके। देखना यह भी होगा कि फरवरी में पेश होने वाले बजट में सरकार बैंकों के लिए कितनी सहूलियत प्रदान कर रही है जिससे कि बैंक अपने डूबते हुए ऋण से बाहर आये और सार्वजनिक हित में फैसला ले सकें।

इसके अलावा भारत को अपनी विदेश नीति को एक नये आयाम देने की आवश्यकता है जिससे कि आयात में किसी प्रकार की रूकावट उत्पन्न न हों और रोजमर्रा की वस्तुओं के बढ़ते मूल्य पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित मुद्दे।

■

7. वैश्विक पॉवर ग्रिड : भारत का एक महत्वाकांक्षी प्रस्ताव

चर्चा का कारण

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा महत्वाकांक्षी वैश्विक पॉवर ग्रिड (Global Power Grid) या वैश्विक विद्युत ग्रिड योजना को लागू करने के लिए विश्व बैंक के साथ विचार-विमर्श किया गया। उल्लेखनीय है कि प्रस्तावित वैश्विक पॉवर ग्रिड अन्य देशों में बिजली की माँगों को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा का लाभ उठाने की योजना पर बल देता है।

परिचय

विश्व के कई देशों में सौर ऊर्जा प्रचुरता से उपलब्ध है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में फोटोवोल्टीय प्रणाली द्वारा बदला जाता है। इस प्रणाली में सौर पैनल लगे होते हैं जो कई फोटोवोल्टीय सेलों (जिन्हें सामान्य भाषा में सौर सेल कहते हैं) से मिलकर बनते हैं। वहीं कई सौर पैनलों से मिलकर एक सौर एरे (Solar Array) बनता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कंसन्ट्रेटेड सोलर पॉवर (Concentrated Solar Power – CSP) में लेंसों या दर्पणों एवं ट्रेकिंग प्रणालियों द्वारा भी बदला जा सकता है। इस प्रकार सूर्य के प्रकाश के माध्यम से वैश्विक पॉवर ग्रिड बनाकर बिजली की माँगों को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य किया जा सकता है।

भारत सरकार की निकट दृष्टि में यह योजना है कि वैश्विक पॉवर ग्रिड से दक्षिण एशिया के देशों के लिए एक विद्युत ग्रिड बनायी जाये ताकि जिन क्षेत्रों में विद्युत की अधिकता है वहाँ से विद्युत का पारेषण ऊर्जा की कमी से जूझते क्षेत्रों में भेजा जा सके। भारत सरकार का भविष्य में योजना है कि वैश्विक पॉवर ग्रिड से एशिया, अफ्रीका, यूरोप आदि महाद्वीपों के क्षेत्रों को भी जोड़ा जाये।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना के समय ही उष्णकटिबन्धीय क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के माध्यम से उत्पादित बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने हेतु एक वृहद बिजली ग्रिड (या वैश्विक पॉवर ग्रिड) की कल्पना की थी।

वैश्विक पॉवर ग्रिड की आवश्यकता क्यों

- यह एशिया, अफ्रीका और यूरोप में रेलवे, बंदरगाहों और बिजली ग्रिड सहित बुनियादी ढाँचागत परियोजनाओं में अरबों डॉलर का निवेश करने के लिए एक कार्यक्रम भी प्रस्तुत करता है।
- यह महत्वाकांक्षी परियोजना द्वारा चीन के 'वन बेल्ट वन रोड' पहल के विरुद्ध विकल्प भी प्रदान करती है।
- वर्तमान में भारत बांग्लादेश और नेपाल को बिजली की आपूर्ति कर रहा है। दूसरी तरफ इस क्षेत्र में बिजली की माँग को पूरा करने के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) का बिजली ग्रिड काम कर रहा है। इस ग्रिड द्वारा पाकिस्तान को अधिक से अधिक बिजली आपूर्ति की जा रही है।
- वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश, गुजरात और राजस्थान में स्थापित किये जा रहे बड़े सौर पार्को से बिजली खरीदने के लिए करार हुआ है, जो सीमा पार से ऊर्जा व्यापार को बढ़ावा देने और दक्षिण एशिया केंद्रित 'पड़ोसी प्रथम' की नीति का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है।
- गौरतलब है कि इस तरह के पूर्ण पावर ग्रिड इंटरकनेक्शन का प्रत्यक्ष लाभ प्रत्येक वर्ष 9 बिलियन डॉलर तक की वचत हो सकती है, साथ ही सामाजिक और पर्यावरणीय लाभों के लिए जीएचजी उत्सर्जन को सामान्य रूप से प्रति वर्ष 9 प्रतिशत से अधिक घटा सकता है।
- विदित हो कि भारत और पाकिस्तान जैसे देशों में अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकी की लागत में गिरावट से भविष्य में सौर उर्जा के क्षेत्र में वृद्धि होने की संभावना जताई जा रही है।

सार्क पावर ग्रिडः ऊर्जा सहयोग (विद्युत) के लिए सार्क फ्रेमवर्क समझौता

- नवंबर 2014 में आयोजित 18वें सार्क शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षरित ऊर्जा सहयोग (विद्युत) के लिए सार्क फ्रेमवर्क समझौता, बिजली के लिए सार्क बाजार विकसित करने की दिशा में एक बड़ा कदम था, जिसमें सार्क पावर ग्रिड के लिए कानूनी और विनियामक नींव रखी गयी।
- फ्रेमवर्क समझौते में बुनियादी ढाँचे के निर्माण और सीमा पार से बिजली के अंतर्सबंधों के प्रबंधन, बिजली ग्रिड संरक्षण प्रणाली, पारेषण पहुंच, मूल्य निर्धारण और शुल्क संरचना सहित व्यापार व्यवस्था, और समग्र अंतर सरकारी नियामक आवश्यकताओं के लिए प्रावधान किए गए। उल्लेखनीय है कि इन प्रावधानों के लिए जनादेश के कार्य विवरण को आपसी परामर्श के माध्यम से तैयार किया जाना है, साथ ही सार्क सदस्य राज्यों को अपनी राष्ट्रीय नीतियों के साथ-साथ मौजूदा कानूनों और नियमों में आवश्यक संशोधन करने के लिए प्रक्रिया शुरू करने की भी आवश्यकता है।

- इस प्रकार के महत्वाकांक्षी बिजली ग्रिड द्वारा बिजली को सुदूर दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों, जहाँ परम्परागत ग्रिड द्वारा बिजली पहुँचाना सम्भव नहीं है, में पहुँचाई जा सकती है। वहीं सौर

पैनलों से उत्पन्न विद्युत से पम्पों को चलाया जा सकता है। इन्हें सौर पम्प की संज्ञा दी जाती है।

- खेतों की सिंचाई के अलावा इन सौर पम्पों का उपयोग मत्स्य पालन, वानिकी, पेयजल की आपूर्ति तथा नमक बनाने में भी किया जा सकता है।
- भारत सरकार की यह भी योजना है कि दक्षिण एशिया में दुर्गम क्षेत्रों के लिए वैश्विक पॉवर ग्रिड से कई मिनी ग्रिड को जोड़ा जायेगा। मिनी ग्रिड से निम्नलिखित लाभ हैं-
  - हाल ही में सामने आया है कि भौगोलिक परिस्थितियों के कारण कई स्थानों जैसे मुख्यधारा से कटे दूरस्थ ग्राम तक विद्युत ग्रिड को पहुँचाना सम्भव नहीं होता है। ऐसे अगम्य एवं दुर्गम क्षेत्रों के लिये मिनी ग्रिड की संकल्पना काफी कारगर साबित हो सकती है।
  - 50 वॉट और 100 वॉट विद्युत क्षमता के इन ग्रिडों से सौर ऊर्जा या बायोगैस जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग द्वारा बिजली पैदा की जा सकती है।
  - गौरतलब है कि देश के कुछ राज्यों, जैसे उत्तर प्रदेश के गाँवों के लिये मिनी सौर ग्रिड से बिजली मुहैया करायी जा रही है। इसके लिये बाकायदा माँग आकलन तथा डाटा संग्रह किया जाता है। इस प्रकार देश के समग्र विद्युतीकरण में मिनी ग्रिड की भी अपनी भूमिका है।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन

बिजली ग्रिड की वैश्विक आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहल की थी, जो आज 121 देशों का एक सहयोग संगठन है। इसकी शुरूआत संयुक्त रूप से पेरिस में 30 नवम्बर, 2015 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के दौरान कोप-21 से अलग भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति ने की थी। इसका उद्देश्य कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच आने वाले राष्ट्रों को एक मंच पर लाना था।

विदित हो कि फ्रांस ने घोषणा की है कि वह अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को सफल बनाने के लिए 2022 तक 5600 करोड़ रुपये का फंड देगा, जिससे सदस्य देशों में सोलर प्रोजेक्ट व वैश्विक बिजली ग्रिड योजना शुरू की जा सके। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का लक्ष्य 2030 तक 1 ट्रिलियन वाट (1000 गीगावाट) सौर ऊर्जा का उत्पादन करना भी है, जिस पर अनुमानत: 1 ट्रिलियन डॉलर का खर्च आयेगा। यह (ISA) पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका सचिवालय भारत में है।

भारत की स्थिति

वर्तमान में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार ने कई कार्यक्रमों को शुरू किया है जिसमें से मुख्य रूप से देश में राष्ट्रीय सौर मिशन है। इस मिशन को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन योजना भी कहा जाता है जिसकी शुरूआत 2009 में हुई थी। यह नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज (NAPCC) के आठ मिशनों में से भी एक है।

सरकार ने राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत ग्रिड से जुड़ी सौर ऊर्जा परियोजनाओं के वर्ष 2022 तक 20,000 मेगावॉट के लक्ष्य को संशोधित कर वर्ष 2022 तक 1,00,000 मेगावॉट (या 100 गीगा वॉट) कर दिया है।

गौरतलब है कि वर्ष 2022 तक 100 गीगावॉट के लक्ष्य के मुकाबले अक्टूबर, 2018 तक 24.33 गीगावॉट की कुल स्थापित क्षमता के साथ भारत सबसे अधिक स्थापित सौर क्षमता वाला पाँचवां देश है। इसके अलावा 22.8 गीगावॉट क्षमता वाला पॉवर ग्रीड निर्माणाधीन अथवा निविदा प्रक्रिया में है।

इस मिशन में सौर तापीय तथा प्रकाशवोल्टीय दोनों तकनीकों के प्रयोग का अनुमोदन किया गया है। यह मिशन भारत को दुनिया के सबसे बड़े हरित ऊर्जा उत्पादकों में से एक बना देगा। इस मिशन का एक अन्य उद्देश्य अग्रणी सौर प्रौद्योगिकियों के विनिर्माण (मूल्य श्रृंखला में) में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभाना है।

चुनौतियाँ

वैश्विक पॉवर ग्रिड अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना है लेकिन कई विशेषज्ञ तो इसे एक कठिन लक्ष्य मानते हैं। दरअसल इसकी वजह है कि इस तरह की परियोजना पर 25 ट्रिलियन से लेकर 50 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक की लागत आने का अनुमान है। यही नहीं, इस तरह का पावर ग्रिड बनाने से जुड़े भू-राजनीतिक मुद्दों को अब तक सुलझाया भी नहीं गया है।

भारत की घनी आबादी और उच्च सौर तापन भारत को एक आदर्श सौर ऊर्जा स्रोत बनाता है। किंतु सौर ऊर्जा निरंतर खर्चीली है और इस पर भारी निवेश की जरूरत पड़ती है। वहीं सौर ऊर्जा का स्वरूप अस्थिर होता है जिससे इसे ग्रिड में समायोजित करना मुश्किल होता है।

एक अन्य चुनौती लोगों में जागरूकता का अभाव, उच्च उत्पादन लागत तथा वर्तमान ऊर्जा को छोड़ने की सीमाएँ एवं पारेषण (ट्रांसमशिन) नेटवर्क को देशभर में सौर ऊर्जा क्षमता के भरपूर दोहन रूप में लागू करना है।

सौर ऊर्जा के उत्पादन की अतिरिक्त क्षमता के बावजूद भारत में सिलिकॉन वेफर्स के लिए कोई विनिर्माण सुविधा नहीं है। उल्लेखनीय है कि भारतीय सौर सेल निर्माताओं को वैश्विक स्रोतों से अपनी पीवी इकाइयों के लिए सिलिकॉन वेफर्स आयात करना पड़ता है, जिनमें से अधिकांश चीन से आयात किये जाते हैं।

केडीआर रेटिंग के मुताबिक, यूडीएवाई योजना के तहत सरकार की प्रतिबद्धताओं के कारण, डिस्कॉम्स की वित्तीय स्थिति पहले से ही संकटग्रस्त है, जो इस परियोजनाओं के कार्यान्वियन को प्रभावित कर रहा है।

सरकारी प्रयास

भारत की बिजली ग्रिड योजना और पारिस्थितिक रूप से स्थायी विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने कई बड़ी पहल की है, जो जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने के वैश्विक प्रयास में भारत द्वारा एक प्रमुख योगदान है, जिसका जिक्र निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत किया जा सकता है-

- भारत सरकार का ऊर्जा मंत्रालय 2019-20 में शेष सौर ऊर्जा क्षमता के लिए बोली आमंत्रित करने की योजना भी बना रहा है ताकि मार्च 2020 तक पूरी 100 गीगावॉट अतिरिक्त क्षमता के लिए बोली की प्रक्रिया पूरी हो जाए।
- ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए शुल्क दरों का निर्धारण रिवर्स ई-नीलामी सहित प्रतिस्पर्द्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से की गई है। इससे शुल्के दरों को काफी कम करने में मदद मिली है।
- भारत में सौर परियोजनाओं आईएसटीएस आधारित बोली के तहत जुलाई, 2018 में तय की गई 2.44 रुपये प्रति केडब्ल्यूएच की शुल्क दर सौर ऊर्जा के लिए अब तक की सबसे कम दर है। विदित हो कि सौर ऊर्जा के लिए शुल्क दर 2010 में 18 रुपये

प्रति केडब्ल्यूएच थी जो विभिन्न कारणों से घटकर 2018 में 2.44 रुपये प्रति केडब्ल्यूएच रह गई। उत्पादन का दायरा बढ़ने, भूमि की निश्चित उपलब्धता, बिजली निकासी प्रणाली आदि के कारणों से शुल्क दरों को घटाने में मदद मिली है।

- देश में सौर पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। नवंबर, 2018 तक देश के 21 राज्यों में लगभग 26,694 मेगावॉट क्षमता के 47 सौर पार्क स्थापित किए जाने पर कार्य चल रहा है।
- भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय फ्लोटिंग सौर ऊर्जा जैसी नई उभरती प्रौद्योगिकी के लिए भी परियोजनाएँ ला रहा है।

आगे की राह

निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि अक्षय या नवीकरणीय ऊर्जा से एक सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि इससे वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा की समस्या का समाधान होने की सम्भावना है। यदि ऐसा हो गया तो दुनिया के तेल उत्पादक देशों का वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर वर्चस्व बरकरार नहीं रह पाएगा और वे अपनी शर्तों पर कीमतें तय नहीं कर पाएंगे।

हालांकि, चीन यदि अपने दूरदर्शी विजन के बल पर अक्षय ऊर्जा की आपूर्ति शृंखला के सभी भागों पर अपना एकाधिकार जमाने की अपनी योजनाओं को लागू करने में सक्षम हो जाता है तो वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। दरअसल, वैसी स्थिति में वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को कई राष्ट्रों के एक गुट के बजाय महज एक देश यानि चीन अपनी मनमर्जी से तय करने लगेगा। इस संदर्भ में भारत को चाहिए कि वह अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा में बड़ी भूमिका निभाते हुए महत्वाकांक्षी वैश्विक पॉवर ग्रिड योजना में अपना अधिक योगदान देकर विश्व में अपने सॉफ्ट पावर को अधिक मजबूती प्रदान कर अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करें।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- **बुनियादी ढाँचा:** ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि।

■

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर

1. इंटरनेट के माध्यम से वाक् एवं अभिव्यक्ति : एक मूल अधिकार

प्र. 'इंटरनेट के उपयोग' का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। इस आलोक में अपने तर्क प्रस्तुत कीजिए।

उत्तरः

चर्चा का कारण

- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी को जम्मू- कश्मीर में अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों जैसी सभी जरूरी जगहों पर इंटरनेट सेवा बहाल करने का निर्देश दिया है।

पृष्ठभूमि

- गौरतलब है कि सरकार ने 05 अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर दिया था। सरकार ने इसके साथ ही सुरक्षा कारणों के मद्देनजर राज्य में सभी तरह की पाबंदियाँ लगा दी थीं। इसमें इंटरनेट और धारा 144 को लागू करना भी शामिल था। सरकार द्वारा कई संवेदनशील इलाकों में कर्फ्यू भी लगाई गई थी।

अनुच्छेद 19 और इंटरनेट रोकने की प्रक्रिया

- भारत में इंटरनेट सेवाएँ रोकने के लिए अभी दो कानूनी प्रावधान और एक नियमावली है। ये कानून हैं- कोड ऑफ क्रिमिनल प्रॉसीजर-1973 (सीआरपीसी), इंडियन टेलीग्राफ एक्ट- 1885 और 2017 का टैंपररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज (पब्लिक इमरजेंसी या पब्लिक सेफ्टी) रूल्स। इनके आधार पर ही सरकारी एजेंसियाँ भारत के जिलों या राज्यों में इंटरनेट बंद करने का फैसला करती हैं। इसकी अपनी ही पूरी प्रक्रिया है, जिसके तहत केंद्र या राज्य के गृह सचिव इंटरनेट पर रोक लगाने का आदेश देते हैं।

इंटरनेट महत्वपूर्ण क्यों

- आज इंटरनेट ने लोकाचार के तरीकों को बदल दिया है। बहुत-सी परंपराएँ और बहुत सारे रीति-रिवाज अपना रास्ता बदल रहे हैं।
- इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार वैवाहिक वेबसाइटों पर 2013 में 8.5 लाख प्रोफाइल अपलोड की गई जिनकी संख्या 2014 में 19.6 लाख हो गई।
- बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के अनुसार, भारत में खानपान का बाजार 2014 में 23 लाख करोड़ रुपये का था जो इंटरनेट के प्रभाव और इस्तेमाल से 2020 के अंत तक 42 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच सकता है।

चुनौतियाँ

- विगत कुछ वर्षों में कई निजी और सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप प्रदान किया गया है, जिनमें से कुछ तो सिर्फ ऑनलाइन ही उपलब्ध हैं जिसके कारण उन लोगों को असमानता का सामना करना पड़ता है जो डिजिटली रूप से निरक्षर हैं।
- दुनियाभर के तमाम देशों में अलग-अलग कारणों से इंटरनेट पर पाबंदी लगती रही है।
- विदित हो कि साल 2019 में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाने वाला देश भारत ही है। इंटरनेटशटडाउंस डॉट इन के मुताबिक, 2012 से लेकर 2019 तक भारत में कुल 379 बार इंटरनेट बंद किया गया है। सबसे अधिक प्रतिबंध जम्मू-कश्मीर में 180 बार लगाया गया है। केवल 2019 में ही 103 बार इंटरनेट को बंद किया गया है।

आगे की राह

- केंद्र व राज्य सरकार को चाहिए कि वह इस क्षेत्र में निवेश को प्राथमिकता दें साथ ही देश में दूरसंचार नियमों को और अधिक मजबूती प्रदान करें ताकि बाजार में प्रतिस्पर्द्धा सुनिश्चित हो सके।
- डिजिटल साक्षरता की परिभाषा में वर्तमान समय में संसाधनों और सूचनाओं को ऑनलाइन देखने और उन तक पहुँचने की क्षमता को भी शामिल किया जाना चाहिये। ■

2. भारत में दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति, 2020 : एक विश्लेषण

प्र. दुर्लभ रोग क्या हैं? भारत में इनकी व्यापकता की स्थिति की चर्चा करते हुए, सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की चर्चा कीजिए।

उत्तरः

चर्चा का कारण

- हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 450 दुर्लभ रोगों (Rare Diseases) के उपचार के लिए राष्ट्रीय नीति को प्रकाशित किया है। ज्ञातव्य है कि यह नीति 2017 में तैयार हुई थी और 2018 में एक समिति का गठन इसकी समीक्षा करने के लिए किया गया था।

भारत में दुर्लभ रोगों का प्रसार

- यह सर्वमान्य है कि अन्य विकासशील देशों की तरह भारत में भी दुर्लभ रोगों को ठीक ढंग से परिभाषित नहीं किया गया है साथ ही भारत में दुर्लभ रोगों से संबंधित आँकड़े भी उपलब्ध नहीं हैं। आँकड़ों के अभाव में यह भी जानना मुश्किल है कि कितने लोग भारत में इस बीमारी से पीड़ित हैं और कितने लोगों की मृत्यु दुर्लभ रोगों के कारण हुई है। यदि

हम अंतर्राष्ट्रीय मानकों की बात करें तो प्रत्येक देश की जनसंख्या का 6% से लेकर 8% दुर्लभ रोग से पीड़ित हैं। अत: इसके आधार पर भारत में 72 मिलियन से लेकर 96 मिलियन लोग दुर्लभ रोगों से पीड़ित हैं।

दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति, 2020

- दुर्लभ रोगों की एक सूची बनाई जायेगी जिसका संधारण भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (Indian Council of Medical Research – ICMR) करेगी।
- इस नीति के अनुसार, ये रोग दुर्लभ कहे जाएँगे – आनुवंशिक रोग, कैंसर, संक्रामक ऊष्ण कटिबंधीय रोग, क्षयकारी रोग आदि।
- इस राष्ट्रीय नीति के अनुसार, जो दुर्लभ रोग एक ही बार में उपचार से ठीक हो सकता है उसके लिए उससे ग्रस्त रोगी को राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना से 15 लाख रु. दिए जाएँगे। यह लाभ केवल उस व्यक्ति को मिलेगा जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभार्थी होगा।

इस नीति की आवश्यकता क्यों

- राज्य का यह कर्तव्य है कि वह प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य की देखभाल सम्बन्धी सुविधा उपलब्ध कराए। ज्ञातव्य है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21, 38 और 47 में भी इसके लिए प्रावधान किया गया है।

चुनौतियाँ

- सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दे के रूप में दुर्लभ बीमारी
- दुर्लभ रोगों की पहचान
- परिभाषित करने की समस्या
- अनुसंधान और शोध में उपस्थित चुनौतियाँ
- इलाज में बाधाएँ
- सार्वजनिक स्वास्थ्य की प्राथमिकताओं में संतुलन स्थापित करना

आगे की राह

- दुर्लभ रोगों को रोकने के लिए जो उपाय अपनाये गये हैं वो पर्याप्त नहीं हैं। हालाँकि ये रोग अन्य रोगों की तरह आमतौर पर नहीं पाये जाते हैं, इसलिए डॉक्टर भी इसके बारे में अनभिज्ञ होते हैं जिस कारण वे या तो गलत इलाज कर देते हैं या इलाज ही नहीं करते हैं। इस बीमारी की रिकॉर्ड काफी कम दर्ज की गई है जिसके वजह से इस रोग को समझने और उसके उपचार के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए हैं। ■

3. धार्मिक स्वतंत्रता बनाम व्यक्तिगत अधिकार : एक महत्वपूर्ण मुद्दा

प्र. हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि "सभी धर्मों के धार्मिक मामलों को अब एक साथ सुना जाएगा।" न्यायालय का यह कदम धार्मिक विश्वास तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बनाए रखने में कितना कारगर होगा? उल्लेख करें।

उत्तर:

चर्चा का कारण

- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने कहा कि महिलाओं की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले जितने भी धार्मिक मामले हैं उन्हें अब एक साथ सुना जाएगा, जैसे कि– सबरीमाला मंदिर मामला, इस्लाम, पारसी तथा दाऊदी वोहरा समुदाय इत्यादि से जुड़े सभी धार्मिक मामले।

धार्मिक विश्वास बनाम अंधविश्वास

- धर्म निश्चित रूप से विश्वास का विषय है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि धर्म को मानने वाला व्यक्ति आस्तिक हो जैसा कि कुछ लोगों का मानना है। धर्म का आधार विश्वास तथा एक ऐसी प्रणाली है जो उन लोगों द्वारा माना जाता है, जो धर्म को अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए अनुकूल मानते हैं।
- विदित हो कि हर धर्म की अपनी अलग-अलग मान्यताएँ और परंपराएँ होती हैं जिसे उस धर्म के लोग मानते हैं। इन मान्यताओं, नियमों तथा अनुष्ठानों को सभी धर्म अपने तरीके से निर्धारित करते हैं। इन नियमों में खान-पान से लेकर पहनावा तक को प्रमुखता दी जाती है।

धार्मिक समुदाय अधिकार बनाम व्यक्तिगत अधिकार

- सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर जोर दिया है कि व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकार और धार्मिक समुदाय के सामूहिक अधिकार के बीच सामंजस्य स्थापित करना होगा। न्यायालय का कहना है कि व्यक्तिगत अधिकारों का धार्मिक अंधविश्वास के बेदी पर बली नहीं दी जा सकती है, अर्थात् धर्म के आड़ में व्यक्ति के स्वतंत्रता का हनन नहीं किया जा सकता है। न्यायालय का कहना है कि कोई भी मामला चाहे वह सबरीमाला मंदिर का मामला हो, मुस्लिम समुदाय में खतना, हलाला का मामला हो या फिर इसी तरह के अन्य मामले हों इन्हें संविधान में दिए गये धार्मिक संरक्षण के आधार पर सही नहीं ठहराया जा सकता है।
- इस संदर्भ में संविधान ने दो महत्वपूर्ण दृष्टिकोण की चर्चा की है। एक यह कि भारत एक बहुलवादी राष्ट्र है। समुदाय चाहे वह धार्मिक हो या सांस्कृतिक, हमेशा से समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अत: धार्मिक समुदायों के सामुदायिक अधिकार को पूर्णत: खारिज नहीं किया जा सकता है।

समानता और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

- संविधान में अनुच्छेद 14, 15 तथा 16 समानता के साथ जीने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है तथा इस तरह के किसी भी मामले पर रोक लगाता है। विदित हो कि कानून के समक्ष धर्म, लिंग, नस्ल, जन्म, स्थान के आधार पर सभी को समानता का अधिकार दिया गया है, जो कि किसी भी लोकतांत्रिक देश का मूल उद्देश्य होता है।

आगे की राह

- सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय कि धार्मिक रूप से विवादित सभी मामले को अब एक साथ सुना जाएगा, यह एक सराहनीय कदम है। विविधता में एकता रखने वाले भारत में धार्मिक परंपराएँ, अनुष्ठान एवं कुरीतियाँ आज भी काफी हद तक विद्यमान हैं जिसे कई सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं द्वारा मान्यता प्राप्त है। इन कुरीतियों को दूर करने के लिए समय-समय पर कई संवैधानिक बदलाव भी किये गये और वर्तमान में भी किये जा रहे हैं जिससे कि व्यक्ति का मौलिक अधिकार सुरक्षित किया जा सके और वह स्वतंत्रता का अनुभव कर सकें। ■

4. ऐन्यूअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2019 : एक अवलोकन

प्र. असर 2019 'अली इयर्स' के प्रमुख बिन्दुओं को उल्लिखित कीजिए।

उत्तरः

चर्चा का कारण

- हाल ही में एक गैर सरकारी संगठन (NGO) 'प्रथम' के द्वारा देश में बच्चों की शिक्षा की दशा-दिशा का जायजा लेने वाली प्रतिष्ठित वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट- असर 2019 'अर्ली इयर्स' जारी की गयी।

एएसईआर (ASER) क्या है

- यह एक वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट है जिसका उद्देश्य भारत के प्रत्येक राज्य और ग्रामीण जिलों के बच्चों की स्कूली शिक्षा की स्थिति और बुनियादी शिक्षा के स्तर का विश्वसनीय सालाना अनुमान प्रकाशित करना है। इस रिपोर्ट में 3 से 16 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा की स्थिति दर्ज की जाती है और 5 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों को सरल पाठ पढ़ने और बुनियादी अंकगणित के सवाल हल करने की क्षमता का परीक्षण किया जाता है।

असर 2019 'अर्ली इयर्स' के प्रमुख बिन्दु

- असर 2019 के आँकड़ों के अनुसार 4-8 आयु वर्ग के 90% से अधिक बच्चे किसी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान में नामांकित हैं। नामांकन में बच्चों की उम्र के साथ बढ़ोतरी देखी गई है।
- बच्चों की उम्र और नामांकन पैटर्न में यह विविधता भी देखी गई कि एक ही उम्र के बच्चे विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों में नामांकित हैं।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ यह सिफारिश करती हैं कि 4 और 5 आयु वर्ग के बच्चों को पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं में होना चाहिए।

सरकारी पहल

- विश्व में तीव्र गति से आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने विभिन्न वैश्विक मंचों पर होने वाले बातचीत के माध्यम से सरकारों तथा नागरिकों के लिए अनेक लक्ष्य निर्धारित किए हैं जिसमें शिक्षा सतत विकास लक्ष्यों का मुख्य बिन्दु है। एसडीजी 4 के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने 'समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा' सुनिश्चित करने और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देने का वादा किया है।

आगे की राह

- आँगनबाडी केन्द्र बहुत बड़े अनुपात में छोटे बच्चों के लिए पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं में जाने से पहले उन्हें विभिन्न सुविधाएँ उपलब्ध कराती हैं। इन आंगनवाड़ियों को सभी बच्चों को शामिल करने और 3 और 4 वर्ष के बच्चों के लिए उपयुक्त स्कूल रेडीनेस गतिविधियों, कार्यक्रम का संचालन करने के लिए और सशक्त बनाना चाहिए।
- असर 2019 के आँकड़ों से बच्चों के प्रारंभिक भाषा और गणित के प्रदर्शन पर उनके संज्ञानात्मक कौशल का प्रभाव दिखाई देता है। ■

5. 'खेलो इंडिया' के सकारात्मक प्रभाव एवं इसके समक्ष चुनौतियाँ

प्र. 'खेलो इंडिया' के समक्ष उपस्थित चुनौतियों का वर्णन करें, साथ ही संसद की स्टैंडिंग समिति द्वारा सुझाए गए बिंदुओं की भी चर्चा करें।

उत्तरः

चर्चा का कारण

- हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण का आयोजन गुवाहाटी में किया गया। केन्द्रीय खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के दायरे को बढ़ाकर व्यापक कर दिया है, इन खेलों में अब दो श्रेणियों, अंडर 17 और अंडर 21 में प्रतिभागी हिस्सा ले सकते हैं। इसमें कॉलेज और विश्वविद्यालय के खिलाड़ी भी हिस्सा ले सकते हैं।

स्टैंडिंग कमेटी के सुझाव

- **समन्वय की कमीः** एनएसएफज और साई/मंत्रालय के साथ-साथ एनएसएफज और राज्य खेल परिसंघों (एसएसएफज) में भी समन्वय की कमी है। स्टैंडिंग कमिटी ने यह रेखांकित किया कि खेलों के विकास के लिए मंत्रालय द्वारा अन्य मंत्रालयों जैसे मानव संसाधन विकास, महिला एवं बाल विकास और पंचायती राज के साथ समन्वय बढ़ाए जाने की जरूरत है।
- **योजनाओं के उद्देश्यों को पूरा करनाः** एनएसएफज और मंत्रालय द्वारा लागू की जाने वाली प्रमुख योजनाओं का उद्देश्य व्यापक रूप से एक समान है। इसमें सिर्फ एक अंतर है, वह यह कि एनएसएफज अलग-अलग खेल के विकास के लिए काम करती है।

चुनौतियाँ एवं विश्लेषण

- **दुर्व्यवहार की घटनाएंः** हाल ही में ऐसा देखा गया है कि कुछ प्रमुख खेलों के सदस्य और कोचों के द्वारा संबंधित खिलाड़ियों (महिला और पुरुष दोनों) का यौन दुर्व्यवहार किया जाता है जिससे खिलाड़ियों में खेलों के प्रति आकर्षण में कमी देखने को मिलती है जो एक सर्वप्रमुख चुनौती है। उल्लेखनीय है कि साई में उपलब्ध 2011 से 2019 के रिकार्डो के अनुसार विभिन्न साई केन्द्रों में यौन शोषण के 35 मामले सामने आए थे जिनमें से 27 मामले प्रशिक्षुओ ने अपने कोचों के खिलाफ लगाए थे। किंतु अब तक 14 लोगों को दोषी पाया गया और सजा दी गयी है।
- खेल परिसंघों को सरकार से पर्याप्त राशि नहीं मिलती, इसलिए वे अन्य स्रोतों से अधिक फंड्स का प्रबंध करने का प्रयास करते हैं। इस संदर्भ में यह सुझाव दिया जाता है कि अगर सरकार फंडिंग की सभी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती तो निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त ऐसे परिसंघ अब भी मौजूद हैं जो सरकारी दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं करते।

आगे की राह

- भविष्य की ओर देखते हुए भारत को ओलंपिक में गौरव हासिल करने के रास्तों एवं संसाधनों के बारे में सोचना चाहिए। भारत को कुछ खेलों की युवा प्रतिभाओं को चुनकर उन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके

अलावा, सरकार को एक विस्तृत खेल नीति बनानी चाहिए। यह खेल नीति मौजूदा नीति से अलग होनी चाहिए, जो खिलाड़ियों को कॅरियर सुनिश्चित करने की गारंटी प्रदान करे। टुकड़े-टुकड़े में प्रोत्साहन देकर हम पदक नहीं जीत सकते और हमें अगले ओलंपिक के छह माह पहले मुआयना करना चाहिए कि तैयारियों में हमने कहीं देर तो नहीं की है, जैसा कि अब तक होता रहा है। ■

6. भारत में बढ़ती मुद्रास्फीति और उसका प्रभाव

प्र. वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था तेज मुद्रास्फीति की दौर से गुजर रही है। मुद्रास्फीति के कारणों का उल्लेख करते हुए, इससे अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा करें।

उत्तर:

चर्चा का कारण

- हाल ही मे सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) ने दिसंबर, 2019 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित महँगाई दर के आँकड़े जारी किए।

रिपोर्ट की मुख्य बातें

- सीएसओ की रिपोर्ट के अनुसार दिसम्बर, 2019 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सीपीआई आधारित महँगाई दर 7.26 फीसदी (अनंतिम) रही, जो दिसंबर, 2018 में 1.50 फीसदी थी। इसी तरह शहरी क्षेत्रों के लिए सीपीआई आधारित महँगाई दर दिसंबर, 2019 में 7.46 फीसदी (अनंतिम) आंकी गयी, जो दिसंबर, 2018 में 2.91 फीसदी थी। ये दरें नवंबर, 2019 में क्रमश: 5.27 तथा 5.76 फीसदी (अंतिम) थीं।

मुद्रास्फीति क्या है

- मुद्रास्फीति का आशय वस्तुओं और सेवाओं (Goods and Services) के मूल्य में निरंतर वृद्धि से है, जिसके फलस्वरूप मुद्रा का मूल्य या क्रय शक्ति क्षमता घटने लगती है। माँग और पूर्ति ही किसी वस्तु के मूल्य का निर्धारण करती हैं, इसलिए मुद्रास्फीति भी वस्तुओं की माँग और पूर्ति पर काफी हद तक निर्भर करती है।

मुद्रास्फीति में बढ़ोत्तरी के कारण

- हाल ही में (दिसम्बर 2019 में) जारी सीएसओ (CSO) के आँकड़ों के अनुसार कोर मुद्रास्फीति (Core Inflation) में लगभग 3.7 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है जबकि इसके पहले यह 3.5 प्रतिशत थी। जबकि हेडलाइन मुद्रास्फीति (Headline Inflation) में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। हेडलाइन मुद्रास्फीति में वृद्धि के कारण ही महँगाई की उच्च दर दिख रही है।
- पिछले दो-तीन महीनों से खाद्यानों का दाम उच्च रहा है। खासकर रोजमर्रा की वस्तुएँ जैसे- दाल, सब्जी, दूध आदि। लोगों के पास क्रयशक्ति का अभाव देखा जा रहा है। परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति की दर में तेज वृद्धि हुई है।

मुद्रास्फीति का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

- चूंकि मुद्रास्फीति के कारण लोगों की वास्तविक आय कम हो जाती है जिसके कारण उनकी बचत में कमी आती है, फलस्वरूप निवेश कम होता है जिसके कारण उत्पादन कम हो जाता है जो कि आगे निर्यात को कम करता है और भुगतान संतुलन विपरीत हो जाता है। इस प्रकार अधिक मुद्रास्फीति के कारण पूरी अर्थव्यवस्था नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है।
- समाज का ऐसा वर्ग जो कि स्थिर आय प्राप्त करता है जैसे दिहाड़ी मजदूर, पेंशनभोगी, वेतनभोगी इत्यादि के लिए मुद्रास्फीति नुकसानदायक होती है क्योंकि मुद्रा की वास्तविक कीमत में कमी और वस्तुओं के दाम में अधिकता होने के कारण उनकी क्रयशक्ति में कमी आती है। जैसे जिस 100 रुपये की मदद से ये लोग पहले 3 किलो प्याज खरीद लेते थे अब मुद्रास्फीति के बाद 1 या 2 किलो ही खरीद पाएँगे।

आगे की राह

- वर्तमान स्थिति को देखें तो भारत में मुद्रास्फीति का बढ़ना अर्थव्यवस्था के लिए सही संकेत नहीं है। अत: रिजर्व बैंक को सरकार के साथ मिलकर एक ठोस नीति बनाने की आवश्यकता है। महँगाई को काबू करना अति आवश्यक है जिससे कि विकास दर को बढ़ाया जा सके। ■

7. वैश्विक पॉवर ग्रिड : भारत का एक महत्वाकांक्षी प्रस्ताव

प्र. भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक के साथ 'वैश्विक पॉवर ग्रिड' बनाने की दिशा में प्रमुख चुनौतियों का विवरण कीजिए।

उत्तर:

चर्चा का कारण

- हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा महत्वाकांक्षी वैश्विक पॉवर ग्रिड (Global Power Grid) या वैश्विक विद्युत ग्रिड योजना को लागू करने के लिए विश्व बैंक के साथ विचार-विमर्श किया गया।

वैश्विक पॉवर ग्रिड की आवश्यकता क्यों

- यह एशिया, अफ्रीका और यूरोप में रेलवे, बंदरगाहों और बिजली ग्रिड सहित बुनियादी ढाँचागत परियोजनाओं में अरबों डॉलर का निवेश करने के लिए एक कार्यक्रम भी प्रस्तुत करता है।
- यह महत्वाकांक्षी परियोजना द्वारा चीन के 'वन बेल्ट वन रोड' पहल के विरुद्ध विकल्प भी प्रदान करती है।
- वर्तमान में भारत बांग्लादेश और नेपाल को बिजली की आपूर्ति कर रहा है। दूसरी तरफ इस क्षेत्र में बिजली की माँग को पूरा करने के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) का बिजली ग्रिड काम कर रहा है। इस ग्रिड द्वारा पाकिस्तान को अधिक से अधिक बिजली आपूर्ति की जा रही है।
- इस प्रकार के महत्वाकांक्षी बिजली ग्रिड द्वारा बिजली को सुदूर दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों, जहाँ परम्परागत ग्रिड द्वारा बिजली पहुँचाना सम्भव नहीं है, में पहुँचाई जा सकती है। वहीं सौर पैनलों से उत्पन्न विद्युत से पम्पों को चलाया जा सकता है। इन्हें सौर पम्प की संज्ञा दी जाती है।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन

- बिजली ग्रिड की वैश्विक आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहल की थी, जो आज 121 देशों का

एक सहयोग संगठन है। इसकी शुरूआत संयुक्त रूप से पेरिस में 30 नवम्बर, 2015 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के दौरान कोप-21 से अलग भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति ने की थी। इसका उद्देश्य कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच आने वाले राष्ट्रों को एक मंच पर लाना था।

चुनौतियाँ

- वैश्विक पॉवर ग्रिड अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना है लेकिन कई विशेषज्ञ तो इसे एक कठिन लक्ष्य मानते हैं। दरअसल इसकी वजह है कि इस तरह की परियोजना पर 25 ट्रिलियन से लेकर 50 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक की लागत आने का अनुमान है। यही नहीं, इस तरह का पावर ग्रिड बनाने से जुड़े भू-राजनीतिक मुद्दों को अब तक सुलझाया भी नहीं गया है।
- भारत की घनी आबादी और उच्च सौर तापन भारत को एक आदर्श सौर ऊर्जा स्रोत बनाता है। किंतु सौर ऊर्जा निरंतर खर्चीली है और इस पर भारी निवेश की जरूरत पड़ती है। वहीं सौर ऊर्जा का स्वरूप अस्थिर होता है जिससे इसे ग्रिड में समायोजित करना मुश्किल होता है।
- सौर ऊर्जा के उत्पादन की अतिरिक्त क्षमता के बावजूद भारत में सिलिकॉन वेफर्स के लिए कोई विनिर्माण सुविधा नहीं है। उल्लेखनीय है कि भारतीय सौर सेल निर्माताओं को वैश्विक स्रोतों से अपनी पीवी इकाइयों के लिए सिलिकॉन वेफर्स आयात करना पड़ता है, जिनमें से अधिकांश चीन से आयात किये जाते हैं।

सरकारी प्रयास

- भारत सरकार का ऊर्जा मंत्रालय 2019-20 में शेष सौर ऊर्जा क्षमता के लिए बोली आमंत्रित करने की योजना भी बना रहा है ताकि मार्च 2020 तक पूरी 100 गीगावॉट अतिरिक्त क्षमता के लिए बोली की प्रक्रिया पूरी हो जाए।
- ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए शुल्क दरों का निर्धारण रिवर्स ई-नीलामी सहित प्रतिस्पर्द्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से की गई है। इससे शुल्के दरों को काफी कम करने में मदद मिली है।

आगे की राह

- निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि अक्षय या नवीकरणीय ऊर्जा से एक सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि इससे वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा की समस्या का समाधान होने की सम्भावना है। यदि ऐसा हो गया तो दुनिया के तेल उत्पादक देशों का वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर वर्चस्व बरकरार नहीं रह पाएगा और वे अपनी शर्तों पर कीमतें तय नहीं कर पाएंगे। ■

सात ब्रेन बूस्टर्स

अनुच्छेद 131

सुर्खियों में क्यों

1.1 हाल ही में केरल विधानसभा ने नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया है और वहां की सरकार ने संशोधित कानून को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

1.2 केरल सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 131 का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और कोर्ट से नागरिकता कानून को मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाला घोषित करने की मांग की है।

केरल सरकार की याचिका में क्या

2.1 केरल सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून, 2019 को संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 25 का उल्लंघन करने वाला घोषित किया जाना चाहिए।

2.2 केरल सरकार ने सीएए को संविधान और लोकतंत्र की मूल आत्मा के खिलाफ बताया है और कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 256 के अनुसार, केरल को नागरिकता संशोधन कानून का पालन करने के लिए मजबूर किया जाएगा जो कि मूलभूत रूप से मनमाना, अनुचित, तर्कहीन और मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन है।

अनुच्छेद 131 के प्रावधान

3.1 संविधान का अनुच्छेद 131 राज्य और केंद्र सरकार के बीच विवादों पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला देने का विशेष अधिकार देता है।

3.2 इसके साथ ही अगर राज्य से राज्य का कोई विवाद हो तो उस स्थिति में भी यह अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को निर्णय का विशेष अधिकार देता है। इन परिस्थितियों में कोर्ट को यह अधिकार प्राप्त होता है–

3.2.1 अगर भारत सरकार और एक या एक से ज्यादा राज्यों के बीच विवाद हो

3.2.2 अगर भारत सरकार और एक राज्य या एक से ज्यादा राज्य एक तरफ व एक या एक से ज्यादा दूसरी तरफ हों

3.2.3 अगर दो या दो से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद हो

3.3 अनुच्छेद 131 के अनुसार किसी विवाद में, यदि और जहाँ तक उस विवाद में (विधि का या तथ्य का) ऐसा कोई प्रश्न निहित है जिस पर किसी विधिक अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर है तो वहाँ अन्य न्यायालयों का अपवर्जन करके सर्वोच्च न्यायालय को आरंभिक अधिकारिता होगी।

3.4 परंतु उक्त अधिकारिता का विस्तार उस विवाद पर नहीं होगा जो किसी ऐसी संधि, करार, प्रसंविदा, वचनबंध, सनद या वैसी ही अन्य लिखित से उत्पन्न हुआ है जो इस संविधान के प्रारंभ से पहले की गई थी या निष्पादित की गई थी और ऐसे प्रारंभ के पश्चात प्रवर्तन में है या जो यह उपबंध करती है कि उक्त अधिकारिता का विस्तार ऐसे विवाद पर नहीं होगा।

अनुच्छेद 131 के प्रयोग से संबंधित पहले के निर्णय

4.1 2011 में मध्य प्रदेश बनाम यूनियन ऑफ इंडिया से जुड़े एक ऐसे ही केस को सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की बेंच ने 'नॉट मेंटेनेबल' माना था यानी केस खारिज हो गया था।

4.2 सामान्य शब्दों में कहें तो न्यायालय ने कहा था कि राज्य अनुच्छेद 131 के अंतर्गत उपबंधित प्रावधानों का प्रयोग करते हुए केंद्र द्वारा निर्मित विधि की संवैधानिकता को चुनौती नहीं दे सकता।

अनुच्छेद 256

5.1 इसके अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्तियां इस तरह प्रयोग में लाई जाएं कि संसद द्वारा पारित विधियों का पालन हो सके। इस तरह संसद की विधि के अधीन विधियों का पालन हो सके।

5.2 इस तरह संसद की विधि के अधीन राज्य कार्यपालिका शक्ति आ गई है। केंद्र राज्य को ऐसे निर्देश दे सकता है, जो इस संबंध में आवश्यक हो।

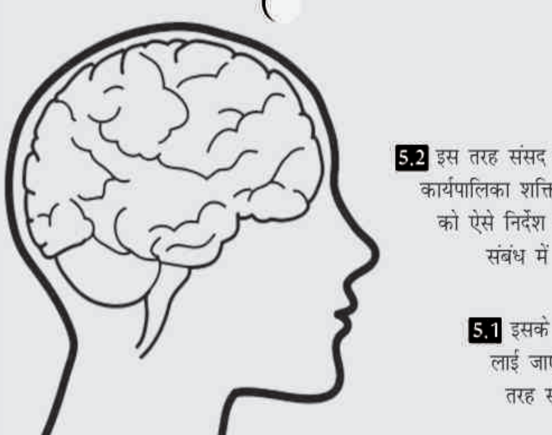

निजी संपत्ति एक मानवाधिकार

सुर्खियों में क्यों

1.1 हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय में कहा है कि एक नागरिक का निजी संपत्ति पर अधिकार एक मानवीय अधिकार है। राज्य नियत प्रक्रिया और अधिकार के पालन के बिना इसे अपने कब्जे में नहीं ले सकता है।

मामला क्या था

2.1 हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1967 में सड़क बनाने के लिए एक विधवा महिला सुश्री देवी की जबरन चार एकड़ जमीन ले ली थी चूँकि अपीलकर्ता ग्रामीण पृष्ठभूमि से सम्बंधित थी और वह अपने अधिकारों से पूरी तरह अनभिज्ञ थी इसलिए उसने कोई विधिक कार्यवाही नहीं की थी।

2.2 सुश्री देवी ने पहली बार अपने पड़ोसियों से 2010 में मुआवजे के अधिकार के बारे में जाना, जिन्होंने अपनी संपत्ति भी खो दी थी।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में क्या

3.1 राज्य को मुआवजे के रूप में 1 करोड़ का भुगतान करने का आदेश देते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 1967 में, जब सरकार ने जबरन सुश्री देवी की जमीन पर कब्जा कर लिया था, जो संविधान के अनुच्छेद 31 के तहत निजी संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था।

3.2 सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कहा कि राज्य विधि की अनुमति के बिना नागरिकों को उनकी संपत्ति से वंचित नहीं कर सकता है। राज्य किसी भी नागरिक की संपत्ति पर 'एडवर्स पजेशन' (Adverse Possession) के नाम पर अपने स्वामित्त्व का दावा नहीं कर सकता है।

3.3 जमीन का कब्जा करने से पहले संबंधित प्रावधानों के तहत अधिकारियों को इसके बदले मुआवजा चुकाना चाहिए।

3.4 किसी भी परिस्थिति में राज्य उचित मुआवजा अधिकार अधिनियम या किसी अन्य कानून का उल्लंघन कर न तो जमीन अधग्रहीत करेगा और न ही उसका कब्जा अपने हाथ में ले सकता है।

3.5 सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अधिकारियों का यह कार्य संविधान के अनुच्छेद 14 और 300क का उल्लंघन है।

संपत्ति का अधिकार

4.1 अनुच्छेद 300क के तहत किसी भी व्यक्ति को कानूनी अथॉरिटी के अलावा कोई उसके जमीन से वंचित नहीं कर सकता।

4.2 गौरतलब है कि संपत्ति के अधिकार को वर्ष 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया था।

एडवर्स पजेशन क्या है

5.1 एडवर्स पजेशन (Adverse Possession) का अर्थ होता है प्रतिकूल कब्जा उदाहरण के तौर पर रमेश कुमार का दिल्ली में घर है, जिसे उन्होंने रहने के लिए अपने भाई सुरेश कुमार को दिया हुआ है। 12 साल बाद सुरेश कुमार को प्रॉपर्टी बेचने का अधिकार है और उसका अपने भाई से झगड़ा होता है तो कानून के मुताबिक पोजेशन सुरेश को मिलेगा। इसे कहते हैं प्रतिकूल कब्जा यानी एडवर्स पजेशन।

5.2 हालांकि सामान्य कब्जे की स्थिति में स्वामित्व नहीं मिलता, लेकिन प्रतिकूल कब्जे के मामले में वह संपत्ति के मालिकाना हक पर दावा कर सकता है। ऐसी स्थिति में अन्यथा साबित होने तक माना जाता है कि पजेशन कानूनी है और इसकी इजाजत दी गई है।

5.3 प्रतिकूल कब्जे के तहत जरूरतें सिर्फ यही हैं कि पजेशन जबरदस्ती या गैर कानूनी तरीकों से हासिल न किया गया हो।

5.4 हालिया फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य को अपने स्वयं के नागरिकों की संपत्ति के अधिग्रहण के लिये एडवर्स पजेशन के सिद्धांत को लागू करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

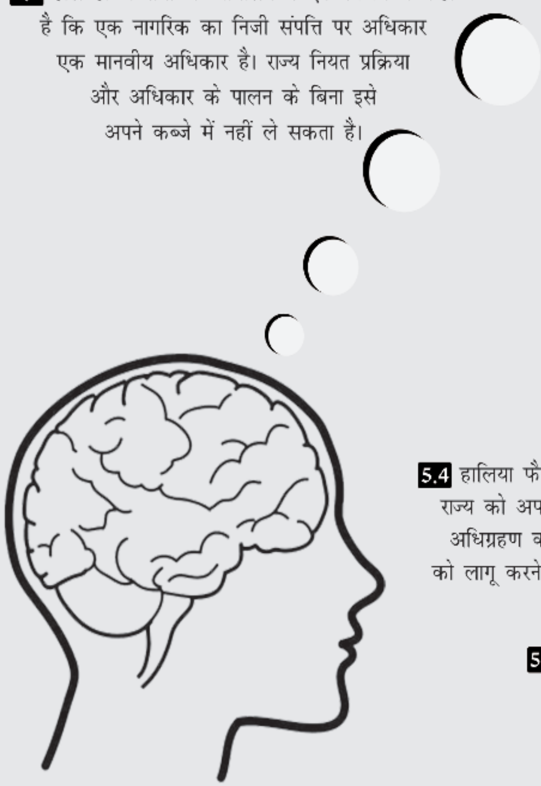

पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था

सुर्खियों में क्यों

1.1 उत्तर प्रदेश सरकार ने दिल्ली के निकट जिला गौतमबुद्धनगर और राजधानी लखनऊ में पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था को मंजूरी प्रदान कर दी है।

कमिश्नरी प्रणाली

2.1 संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' राज्य सूची का विषय है, अर्थात् प्रत्येक राज्य को शक्ति है कि इस विषय पर विधि का निर्माण कर विधि-व्यवस्था पर नियंत्रण करे।

2.2 भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 के भाग 4 के अंतर्गत डिस्ट्रिट मजिस्ट्रेट (जो कि एक IAS अफसर होता है) के पास पुलिस पर नियत्रंण के अधिकार होते हैं। लेकिन पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हो जाने से ये अधिकार पुलिस अफसरों को मिल जाते हैं।

2.3 सरल भाषा में कहा जाए तो जिले की बागडोर संभालने वाले आईएएस अफसर डीएम की जगह शक्ति कमिश्नर के पास चली जाती है।

2.4 कमिश्नर व्यवस्था में पुलिस कमिश्नर सर्वोच्च पद है। ये व्यवस्था कई महानगरों में है। कमिश्नरी सिस्टम में पुलिस कमिश्नर को ज्यूडिशियल पावर भी होती है। बता दें कि इन महानगरों के अलावा पूरे देश में पुलिस प्रणाली पुलिस अधिनियम, 1861 पर आधारित थी और आज भी ज्यादातर शहरों की पुलिस प्रणाली इसी अधिनियम पर आधारित है।

2.5 इसे लागू करने के पीछे एक वजह ये होती है कि अकसर बड़े महानगरों में क्राइम रेट ज्यादा होता है। इमरजेंसी हालात में भी पुलिस के पास तत्काल निर्णय लेने के अधिकार नहीं होते। इससे ये स्थितियाँ जल्दी नहीं संभल पातीं।

2.6 कमिश्नरी सिस्टम से पुलिस कमिश्नर के पास CRPC के तहत कई अधिकार आ जाते हैं। इस व्यवस्था में पुलिस प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के लिए खुद ही मजिस्ट्रेट की भूमिका निभाती है।

इस प्रणाली के फायदे

3.1 कमिश्नर प्रणाली लागू होते ही पुलिस के अधिकार बढ़ जाएंगे। किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए पुलिस को डीएम आदि अधिकारियों के फैसले के आदेश का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पुलिस खुद किसी भी स्थिति में फैसला लेने के लिए ज्यादा ताकतवर हो जाएगी।

3.2 जिले की कानून व्यवस्था से जुड़े सभी फैसलों को लेने का अधिकार कमिश्नर के पास होगा। होटल के लाइसेंस, बार के लाइसेंस, हथियार के लाइसेंस देने का अधिकार भी इसमें शामिल होगा।

3.3 धरना प्रदर्शन की अनुमति देना या ना देना, दंगे के दौरान लाठी चार्ज होगा या नहीं, कितना बल प्रयोग हो यह भी पुलिस ही तय करती है। जमीन की पैमाइश से लेकर जमीन संबंधी विवादों के निस्तारण का अधिकार भी पुलिस को मिल जाएगा।

कैसे होगा काम

4.1 पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू होने से पुलिस को बड़ी राहत मिलती है। कमिश्नर का मुख्यालय बनाया जाता है। एडीजी स्तर के सीनियर आईपीएस को पुलिस कमिश्नर बनाकर तैनात किया जाता है।

4.2 महानगर को कई जोन में विभाजित किया जाता है। हर जोन में डीसीपी की तैनाती होती है जो एसएसपी की तरह उस जोन में काम करता है, वो उस पूरे जोन के लिए जिम्मेदार होता है। सीओ की तरह एसीपी तैनात होते हैं ये 2 से 4 थानों को देखते हैं।

अन्य राज्यों के हालात

5.1 बिहार, मध्य प्रदेश, केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों को छोड़कर शेष भारत के लगभग 70 से अधिक महानगरों में कमिश्नरी प्रणाली लागू है।

5.2 अंग्रेजों ने इस प्रणाली को सबसे पहले कोलकाता में लाया और इसके बाद मुंबई और चेन्नई में इस पद का निर्माण किया।

कमिश्नरी प्रणाली की चुनौतियाँ

6.1 इस प्रणाली में पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार बढ़ने का अंदेशा तो होता है साथ ही इसके निरंकुश होने का डर बना रहता है।

डिस्प्युट मैकेनिज्म

सुर्खियों में क्यों

1.1 फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे यूरोपीय देशों का कहना है कि ईरान ने 2015 के परमाणु समझौते की प्रमुख शर्तों का उल्लंघन किया है और इसलिए वो 'डिस्प्युट मैकेनिज्म' की प्रक्रिया अपनाना चाहते हैं।

1.2 गौरतलब है कि साल 2018 में जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका को इस समझौते से अलग करके ईरान पर नए प्रतिबंध लगाए थे तभी से ईरान भी इस समझौते से पीछे हटने लगा था।

डिस्प्युट मैकेनिज्म क्या है

2.1 ईरान परमाणु समझौते के अनुच्छेद-36 में कहा गया है कि किसी विवाद की स्थिति में मसला एक संयुक्त समिति के पास ले जाया जा सकता है जो कम से कम 15 दिनों में मसले का समाधान ढूंढेगी।

2.2 अनुच्छेद-36 में ये भी कहा गया कि अगर शिकायतकर्ता समिति के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् (यूएनएससी) का दरवाजा खटखटा सकता है। ऐसे में सुरक्षा परिषद् हटाए गए समझौते के तहत किसी पाबंदी को दोबारा लगाने के लिए वोट कर सकता है। इस पूरी प्रक्रिया को 'डिस्प्युट मैकेनिज्म' कहा जाता है।

2.3 समझौते और संधियों में आम तौर पर 'डिसप्युट मैकेनिज्म' का प्रावधान इसलिए दिया जाता है ताकि अगर किसी एक पक्ष को लगे कि दूसरा पक्ष समझौते की शर्तों का उल्लंघन कर रहा है तो वो उसे चुनौती दे सके। लेकिन ईरान परमाणु समझौते का मामला ऐसा नहीं है।

2.4 तीनों यूरोपीय देशों का कहना है कि वो समझौते के पक्ष में है लेकिन वो एक 'बेहतर डील' भी चाहते हैं। एक ऐसी डील, अमरीका भी जिसके पक्ष में हो। लेकिन इसके आसार बहुत कम हैं कि ईरान अब और ज्यादा कड़ी पाबंदियों वाले समझौते को स्वीकार करेगा।

वर्तमान स्थिति

3.1 अमरीका पहले ही इस समझौते से अलग हो चुका है और ईरान पर आर्थिक पाबंदियां भी लगा चुका है। इसके जवाब में ईरान भी समझौते के तहत किए गए अपने कई वादों से मुकर चुका है। इसलिए ये समझौता अभी अस्तित्व में तो है लेकिन एक तरह से टूट भी चुका है।

3.2 ऐसा इसलिए क्योंकि समझौते के दो सबसे बड़े पक्ष यानी अमरीका और ईरान इससे दूर हो चुके हैं। ईरान ऐसे समझौते को बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा जिसमें उसके मिसाइल कार्यक्रमों और क्षेत्रीय संघर्ष में हिस्सा लेने पर पाबंदियां हों।

3.3 दूसरी तरफ, इस बात के आसार भी उतने ही कम हैं कि अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर लगाए गए प्रतिबंध हटाएंगे। ऐसी स्थिति में यूरोपीय देशों के ताजा रुख को देखकर स्पष्ट है कि ईरान परमाणु समझौता अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है।

ईरान परमाणु समझौता का बिखराव

4.1 मई 2018 में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान परमाणु समझौते को रद्द करते हुए कई प्रतिबंध लगाए। ट्रंप चाहते थे कि ईरान के साथ नया समझौता हो, जिसमें ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम और क्षेत्रीय संघर्ष में उसकी भागीदारी रोकने की बात हो।

4.2 ईरान ने इससे इनकार किया लेकिन इससे ईरान की मुद्रास्फीति बढ़ गई और उसकी मुद्रा कमजोर होती गई। मई 2019 में जब प्रतिबंधों को कड़ा किया गया तो ईरान ने भी समझौते में किए गए वादों से मुकरना शुरू कर दिया।

4.3 ट्रंप के शासनकाल में ईरान और अमरीका के बीच रिश्तों में दरार बढ़ गई। जनवरी 2020 में ये समझौता पूरी तरह टूट गया।

जूस जैकिंग

सुर्खियों में क्यों

1.1 हाल ही में एसबीआई ने कहा है कि चार्जिंग स्टेशन पर अपना फोन चार्ज करने से पहले सतर्क रहें क्योंकि जूस जैकिंग के माध्यम से डाटा खोने का खतरा हो सकता है।

क्या है जूस जैकिंग

2.1 Juice का अर्थ होता है रस और Jacking का अर्थ होता है चोरी। जब आपके मोबाइल फोन की बैटरी खत्म होने लगती है तो अकसर कहा जाता है कि बैटरी का जूस खत्म हो रहा है।

2.2 जूस जैकिंग फ्रॉड करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें यूजर को USB चार्जिंग पोर्ट के जरिए शिकार बनाया जाता है। यूजर जब फोन को चार्जिंग स्टेशन पर चार्ज करने के लिए लगाता है, उस समय उसकी डिवाइस में मालवेयर इंस्टाल कर सारा सेंसिटीव डाटा फोन और टैबलेट से कॉपी कर लिया जाता है।

2.3 चार्जिंग स्टेशन पर कई बार चार्जिंग केबल भी मौजूद होती हैं और कई बार आप अपनी खुद की USB केबल। चार्जिंग पॉइंट में लगाते हैं। अगर चार्जिंग स्टेशन पर लगी USB केबल पहले से संक्रमित है यानी उसमें एक विशेष प्रकार का वायरस मौजूद है तो आपके मोबाइल फोन में मौजूद डेटा खतरे में पड़ सकता है।

2.4 जब आप अपनी निजी USB केबल भी किसी सार्वजनिक USB चार्जिंग पोर्ट में लगाते हैं तो उसके जरिए भी आपके मोबाइल डिवाइस को हैक किया जा सकता है।

मालवेयर क्या है

3.1 मालवेयर कुछ द्वेषपूर्ण कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को कहा जाता है। इनका प्रयोग कंप्यूटर पर किसी की पहचान चोरी करने या गोपनीय जानकारी में सेंध लगाने के लिए किया जाता है।

3.2 कोई मालवेयर वायरस आपके फोन में घुसकर आपके तमाम डेटा और पासवर्ड को हैक कर हैकर तक पहुंचाने का साधन बन रहा है।

3.3 मालवेयर की कई श्रेणियां हैं जो साइबर क्रिमिनल जूस जैकिंग के माध्यम से स्थापित कर सकते हैं, जिसमें एडवेयर, क्रिप्टोमिनर्स (Cryptominers), रैंसमवेयर, स्पायवेयर या ट्रोजन शामिल हैं।

मालवेयर से बचाव

4.1 अपना कंप्यूटर, मोबाइल फोन और सॉफ्टवेयर अपडेट रखना चाहिए। साथ ही संभव होने पर एक गैर व्यवस्थापकीय खाते का उपयोग करना चाहिए।

4.2 ई-मेल अनुलग्नक या छवियां खोलते समय सावधानी बरतना चाहिए। इसके अलावा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का संदेश दिखाने वाले पॉप अप विंडो पर भरोसा नहीं करना चाहिए।

4.3 एंटी वायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करना चाहिए।

जूस जैकिंग से कैसे बचें

5.1 चार्जिंग के लिए अपना ही केबल यूज करें। इसके अलावा चार्जिंग पोर्ट से फोन चार्ज न करें। केवल इलेक्ट्रिकल आउटलेट से ही फोन चार्ज करें। साथ ही संभव हो तो पावर बैंक साथ में रखना चाहिए।

यूएसबी कंडोम

6.1 यह एक उपकरण है जो कनेक्शन के माध्यम से डेटा ट्रांसफर को ब्लॉक करने के लिए आपके सामान्य डेटा चार्जिंग केबल और एक यूएसबी पोर्ट के बीच जाता है।

6.2 USB कंडोम एडेप्टर है जो पावर ट्रांसफर की अनुमति देता है लेकिन डेटा ट्रांसफर पिन को कनेक्ट नहीं करता है। आप उन्हें 'हमेशा चालू' सुरक्षा के रूप में अपने चार्जिंग केबल से जोड़ सकते हैं।

सड़क दुर्घटनाओं का एकीकृत डेटा बेस

सुर्खियों में क्यों

1.1 केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई सड़क दुर्घटनाओं का एकीकृत डेटा बेस परियोजना न केवल अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम अभ्यास पर आधारित विश्लेषणात्मक क्षमताओं को बढ़ाएगी, बल्कि संबंधित राजमार्ग प्राधिकरणों के माध्यम से दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में सुधारात्मक उपाय करने में भी मदद करेगी।

प्रमुख बिंदु

2.1 मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 सड़क सुरक्षा के विभिन्न स्तंभों में बहु-आयामी रणनीतियों के कार्यान्वयन की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम है। अधिनियम में यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए सख्त दंड का प्रावधान है। इसमें दुर्घटना के तुरंत बाद बेहद कठिन समय में दुर्घटना पीड़ितों को कैशलेस उपचार का भी प्रावधान है।

2.2 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2018 के आधार पर तमिलनाडु राज्य को सड़क सुरक्षा के रूप में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य चुना गया। तमिलनाडु को सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित मृत्युदर में सबसे अधिक कमी लाने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है।

2.3 तमिलनाडु में 2018 में 3,941 मौतें सड़क दुर्घटना में हुई है, जो 2017 की तुलना में 24.4% की कमी को दर्शाती है। राज्य द्वारा किए गए सराहनीय कार्य को मान्यता देते हुए सरकार ने तमिलनाडु को 'सड़क सुरक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य' का पुरस्कार प्रदान किया है।

एकीकृत डेटा बेस प्रणाली का उद्देश्य

3.1 केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस (आईआरएडी) नामक नई परियोजना का भी उद्घाटन किया। यह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास की सहायता तथा एनआईसी और विश्व बैंक की मदद से विकसित और लागू की जा रही एक मजबूत सड़क दुर्घटना डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली है।

3.2 इससे राज्य और केंद्र, सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित जानकारियों को समझने, सड़क दुर्घटनाओं के मूल कारणों का विश्लेषण करने तथा दुर्घटनाओं को कम करने के लिए डेटा-नेतृत्व वाले सड़क सुरक्षा उपायों को विकसित और लागू करने में सक्षम होंगे।

3.3 दुर्घटना डेटा सड़क सुरक्षा परिदृश्यों का आकलन करने और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए आवश्यक हस्तक्षेपों को लागू करने का आधार प्रदान करता है। दुर्घटना डेटाबेस वैज्ञानिक सड़क सुरक्षा प्रबंधन अर्जित करने की दिशा में पहला कदम है।

3.4 एक आदर्श डेटाबेस को व्यापक बनाने की आवश्यकता है ताकि न केवल सांख्यिकीय जरूरतें ही पूरी हों बल्कि दुर्घटना में कमी लाने के उपायों की योजना बनाने में भी सहायता मिल सके।

3.5 समझौता ज्ञापन तकनीकी उन्नयन, नई सामग्री/प्रौद्योगिकी की शुरूआत करने, सड़क सुरक्षा इंजीनियरिंग, राजमार्ग विकास और रखरखाव और संचालनों में सुधार लाने, राजमार्ग क्षेत्र में उद्योग और अकादमिक बातचीत की संस्कृति को बढ़ावा देने में सहायता प्रदान करेंगे।

3.6 यह मंत्रालय की विशिष्ट पहल है, जिसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा और राजमार्गों की सुरक्षा लेखा परीक्षा के लिए पूरे देश में अच्छी तरह से प्रशिक्षित विशेषज्ञ और जानकार लेखा परीक्षकों के एक पूल का सृजन करना है।

3.7 यह प्रणाली पहले छः राज्यों- कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में शुरू की जायेगी, क्योंकि इन राज्यों में सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों की संख्या सबसे अधिक है।

भारत में सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति

4.1 2018 में देश में सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाने वालों की संख्या करीब ड़ेढ़ लाख थी और बहुत सारे घायल भी हुए थे। ज्यादातर मौतें तेज गति से वाहन चलाने की वजह से हुई।

4.2 तेज गति ने करीब 97500 लोगों की जान ली। वर्ष 2018 में सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए कुल व्यक्तियों में से 48% व्यक्ति 18-35 वर्ष के आयु वर्ग के थे।

मर्चेंट डिस्काउंट रेट

सुर्खियों में क्यों

1.1 हाल ही में वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि 50 करोड़ से कम वार्षिक टर्नओवर वाली व्यावसायिक संगठनों या कम्पनियों को मर्चेंट डिस्काउंट रेट (Merchant Discount Rate- MDR) नहीं देना होगा।

1.2 लेकिन यह प्रावधान रुपे कार्ड और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के जरिये किये जाने वाले डिजिटल भुगतानों के लिए ही मान्य होगा।

क्या है एमडीआर

2.1 एमडीआर वह शुल्क है जिसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) आदि के द्वारा भुगतान स्वीकार करने वाले व्यापारी, बैंक (क्रेडिट एवं डेबिट कार्ड जारी करने वाली), पीओएस मशीन उपलब्ध कराने वाला वित्तीय संगठन (या बैंक) और विभिन्न डिजिटल पेमेंट नेटवर्क (यथा- रुपे कार्ड, मास्टर कार्ड, वीजा, यूपीआई आदि) को चुकाते हैं।

2.2 दरअसल अभी तक 2000 से ऊपर डिजिटल भुगतान से जो भी एमडीआर से शुल्क प्राप्त होता था, उसे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को जारी करने वाली बैंक, पीओएस (प्वाइंट ऑफ सेल) मशीन उपलब्ध कराने वाली वित्तीय संस्था और विभिन्न डिजिटल पेमेंट नेटवर्क आपस में बाँट लेते थे।

2.3 2000 रुपये से कम भुगतान के एमडीआर को सरकार वहन करती थी। किन्तु अब नये नियमों के मुताबिक 1 जनवरी, 2020 से सिर्फ 50 करोड़ या इससे ऊपर वार्षिक टर्नओवर रखने वाले बिजनेस संस्थानों से ही बैंक, डिजिटल पेमेंट नेटवर्क एवं अन्य मर्चेंट डिस्काउंट रेट को वसूल सकते हैं।

2.4 सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में कहा था कि एमडीआर को सिर्फ व्यापारी ही चुकायेंगे, इसे उपभोक्ताओं से नहीं वसूला जा सकता है क्योंकि एमडीआर के लिए व्यापारी और बैंक से अनुबंध होता है, जिसको चुकाने की जिम्मेदारी सिर्फ व्यापारी की है। कोर्ट के फैसले के बाद आरबीआई ने भी कई गाइडलाइन जारी की ताकि एमडीआर को उपभोक्ताओं पर न थोपा जा सके।

समितियाँ

3.1 मर्चेंट डिस्काउंट रेट को कम या खत्म करने से संबंधित सुझाव दो समितियों ने दिये हैं- रतन वातल समिति और नंदन नीलेकणि समिति।

3.2 डिजिटल भुगतान पर सिफारिश देने हेतु रतन वातल समिति का गठन किया गया था। मर्चेंट डिस्काउंट रेट के अलावा इस समिति का अन्य प्रमुख सुझाव है कि भारत में भुगतान (Payments) और सेटलमेंट्स (Settlements) के लिए एक अलग विनियामक निकाय होना चाहिए। हालाँकि समिति की इस सिफारिश का भारतीय रिजर्व बैंक विरोध करती है।

3.3 सन् 2019 में आरबीआई ने नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में पाँच सदस्यीय समिति का गठन किया था। इसका मकसद देश में डिजिटलीकरण के जरिये वित्तीय समावेशन लाना और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने पर परामर्श देना था। इस समिति ने 2019 में ही अपनी रिपोर्ट सौंप दी।

एमडीआर के खत्म होने से लाभ

4.1 व्यापारी, डिजिटल पेमेंट्स को और अधिक बढ़ावा देंगे जिससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा।

4.2 डिजिटल भुगतान (पेमेंट्स) के अधिक होने से औपचारिक वित्तीय तंत्र का क्षेत्र व्यापक होगा, जो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद है।

4.3 भारतीय अर्थव्यवस्था, कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से बढ़ेगी।

एमडीआर के खत्म होने से नुकसान

5.1 एमडीआर के खत्म होने से डिजिटल भुगतान उद्योग को नुकसान भी हो सकता है।

5.2 दरअसल जो भी कम्पनियाँ इस क्षेत्र में कार्यरत हैं उनकी कमाई का प्रमुख जरिया एमडीआर से प्राप्त होने वाला शुल्क है।

5.3 यदि एमडीआर से शुल्क प्राप्त नहीं होगा तो डिजिटल भुगतान क्षेत्र में रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट भी प्रभावित हो सकता है।

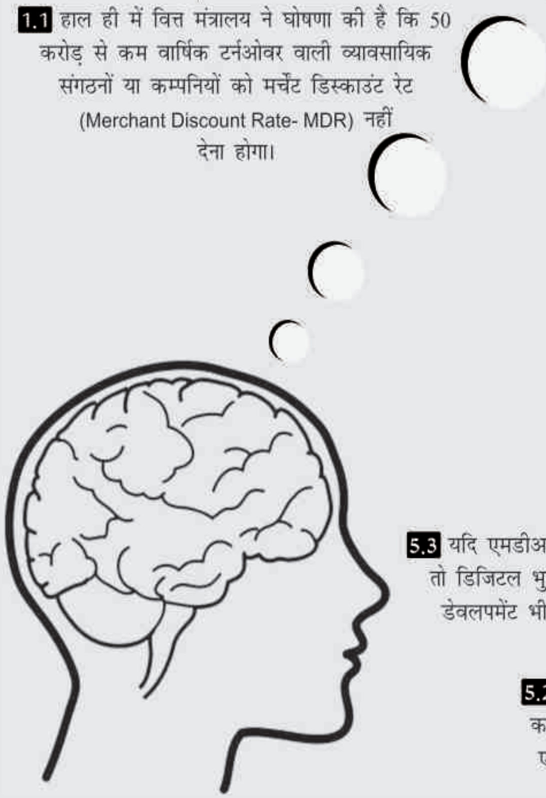

सात वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर
(ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

1. अनुच्छेद 131

प्र. अनुच्छेद 131 के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. यह अनुच्छेद राज्य और केंद्र सरकार के बीच विवादों पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला देने का विशेष अधिकार देता है।
2. अगर दो या दो से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद हो तो उसका निपटारा केंद्र सरकार करेगी।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तरः (a)

व्याख्याः संविधान का अनुच्छेद 131 राज्य और केंद्र सरकार के बीच विवादों पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला देने का विशेष अधिकार देता है। इसके साथ ही अगर राज्य से किसी दूसरे राज्य का कोई विवाद हो तो उस स्थिति में भी यह अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को निर्णय का विशेष अधिकार देता है। अनुच्छेद 131 के अनुसार किसी विवाद में, यदि और जहाँ तक उस विवाद में (विधि का या तथ्य का) ऐसा कोई प्रश्न निहित है जिस पर किसी विधिक अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर है तो वहाँ अन्य न्यायालयों का अपवर्जन करके सर्वोच्च न्यायालय को आरंभिक अधिकारिता होगी। इस प्रकार कथन 1 सही है जबकि कथन 2 गलत है। ■

2. निजी संपत्ति एक मानवाधिकार

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. राज्य विधि की अनुमति के बिना नागरिकों को उनकी संपत्ति से वंचित कर सकता है।
2. 42 वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया था।
3. राज्य को एडवर्स पजेशन के सिद्धांत को लागू करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) केवल 3

उत्तरः (d)

व्याख्याः सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य विधि की अनुमति के बिना नागरिकों को उनकी संपत्ति से वंचित नहीं कर सकता है। राज्य किसी भी नागरिक की संपत्ति पर 'एडवर्स पजेशन' (Adverse Possession) के नाम पर अपने स्वामित्त्व का दावा नहीं कर सकता है। गौरतलब है कि संपत्ति के अधिकार को वर्ष 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया था इस प्रकार कथन 3 सही है जबकि अन्य कथन गलत हैं। ■

3. पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था

प्र. पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था से सम्बंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये -

1. कमिश्नर व्यवस्था में पुलिस कमिश्नर सर्वोच्च पद है।
2. जिले की कानून व्यवस्था से जुड़े सभी फैसलों को लेने का अधिकार कमिश्नर के पास होता है।
3. कमिश्नरी सिस्टम में पुलिस कमिश्नर को न्याायिक शक्ति नहीं होती है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही नहीं है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3 (d) केवल 3

उत्तरः (d)

व्याख्याः संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' राज्य सूची का विषय है, अर्थात् प्रत्येक राज्य को शक्ति है कि इस विषय पर विधि का निर्माण कर विधि-व्यवस्था पर नियंत्रण करे। कमिश्नर व्यवस्था में पुलिस कमिश्नर सर्वोच्च पद है। ये व्यवस्था कई महानगरों में है। कमिश्नरी प्रणाली में पुलिस कमिश्नर को न्यायिक शक्ति भी होती है। भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 के भाग 4 के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट (जो कि एक IAS अफसर होता है) के पास पुलिस पर नियत्रंण के अधिकार होते हैं लेकिन पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हो जाने से ये अधिकार पुलिस अफसरों को मिल जाते हैं। इस प्रकार कथन 3 गलत है जबकि अन्य कथन सही हैं। ■

4. डिस्प्युट मैकेनिज्म

प्र. डिस्प्युट मैकेनिज्म के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. ईरान परमाणु समझौते के अनुच्छेद-36 में कहा गया है कि किसी विवाद की स्थिति में मसला एक संयुक्त समिति के पास ले जाया जा सकता है।
2. सुरक्षा परिषद् हटाए गए समझौते के तहत किसी पाबंदी को दोबारा लगाने के लिए वोट कर सकता है।

3. ईरान परमाणु समझौते के अनुसार विवाद की स्थिति में संयुक्त समिति कम से कम 15 दिनों में मसले का समाधान ढूंढेगी।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 3

(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तरः (d)

व्याख्याः ईरान परमाणु समझौते के अनुच्छेद-36 में कहा गया है कि किसी विवाद की स्थिति में मसला एक संयुक्त समिति के पास ले जाया जा सकता है जो कम से कम 15 दिनों में मसले का समाधान ढूंढेगी। अनुच्छेद-36 में ये भी कहा गया कि अगर शिकायकर्ता समिति के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् (यूएनएससी) का दरवाजा खटखटा सकता है। ऐसे में सुरक्षा परिषद् हटाए गए समझौते के तहत किसी पाबंदी को दोबारा लगाने के लिए वोट कर सकता है। इस पूरी प्रक्रिया को 'डिस्प्युट मैकेनिज्म' कहा जाता है। इस प्रकार तीनो कथन सही हैं। ■

5. जूस जैकिंग

प्र. जूस जैकिंग से सम्बंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. जूस जैकिंग फ्रॉड करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें यूजर को USB चार्जिंग पोर्ट के जरिए शिकार बनाया जाता है।
2. मालवेयर कुछ द्वेषपूर्ण कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को कहा जाता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तरः (c)

व्याख्याः Juice का अर्थ होता है रस और Jacking का अर्थ होता है चोरी। जब आपके मोबाइल फोन की बैटरी खत्म होने लगती है तो अकसर कहा जाता है कि बैटरी का जूस खत्म हो रहा है। जूस जैकिंग फ्रॉड करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें यूजर को USB चार्जिंग पोर्ट के जरिए शिकार बनाया जाता है। यूजर जब फोन को चार्जिंग स्टेशन पर चार्ज करने के लिए लगाता है, उस समय उसकी डिवाइस में मालवेयर इंस्टाल कर सारा सैंसिटिव डाटा फोन और टैबलेट से कॉपी कर लिया जाता है। इस प्रकार दोनों कथन सही हैं। ■

6. सड़क दुर्घटनाओं का एकीकृत डेटा बेस

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. तमिलनाडु को सड़क सुरक्षा के रूप में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य चुना गया है।
2. सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों की संख्या सबसे अधिक अरुणाचल प्रदेश में है।
3. सड़क दुर्घटनाओं का एकीकृत डेटा बेस परियोजना संबंधित राजमार्ग प्राधिकरणों के माध्यम से दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में सुधारात्म क उपाय करने में भी मदद करेगी।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही नहीं है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 3

(c) केवल 2 (d) 1, 2 और 3

उत्तरः (c)

व्याख्याः केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई सड़क दुर्घटनाओं का एकीकृत डेटा बेस परियोजना न केवल अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम अभ्यास पर आधारित विश्लेषणात्मक क्षमताओं को बढ़ाएगी, बल्कि संबंधित राजमार्ग प्राधिकरणों के माध्यम से दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में सुधारात्मक उपाय करने में भी मदद करेगी। गौरतलब है कि छः राज्यों- कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों की संख्या सबसे अधिक है। इस प्रकार 2 गलत है जबकि अन्य कथन सही हैं। ■

7. मर्चेंट डिस्काउंट रेट

प्र. मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. एमडीआर ऐसा शुल्क है जिसे उपभोक्ता से वसूलने का प्रावधान है।
2. एमडीआर, प्रत्येक प्रकार के व्यापारिक संगठनों पर लागू होता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही नहीं है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तरः (c)

व्याख्याः एमडीआर ऐसा शुल्क है जिसे डेबिट या क्रेडिट कार्ड, यूपीआई आदि के द्वारा भुगतान स्वीकार करने वाले व्यापारी बैंक, डिजिटल भुगतान नेटवर्क एवं अन्य को चुकाते हैं। इसे उपभोक्ताओं द्वारा नहीं चुकाया जाता है। (सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुताबिक)। अतः कथन 1 सही नहीं है। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की है, जिसके अनुसार एमडीआर उन्हीं व्यापारियों या बिजनेस संगठनों पर लागू होगा जिनका वार्षिक टर्नओवर 50 करोड़ या इससे ऊपर होगा। अतः कथन 2 भी असत्य है। इस प्रकार विकल्प (c) सही होगा। ■

सात महत्वपूर्ण तथ्य

1. हाल ही में 29वें सरस्वती सम्मान के लिए किसे चुना गया है?

- वासदेव मोही

2. 7वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है?

- लखनऊ

3. किस कंपनी ने हाल ही में मैक और विंडोज प्लेटफॉर्म के लिए 'एज क्रोमियम' ब्राउजर का नया संस्करण लॉन्च किया?

- माइक्रोसॉफ्ट

4. हाल ही में किस कंपनी ने निजता पर केन्द्रित नया सर्च इंजन 'वन सर्च' लॉच किया है?

- वेरिजोन

5. हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन के अजूबों की सूची में किस भारतीय स्मारक को शामिल किया गया है?

- स्टैच्यू ऑफ यूनिटी

6. भारत सरकार ने हाल ही में किस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर 'डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट' किया?

- कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट

7. विश्व भविष्य उर्जा शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन किस शहर में किया गया है?

- अबू धाबी

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु)

1. आचार संहिता जनप्रतिनिधि के लिए आवश्यक है। टिप्पणी कीजिए।

2. गांवों में सुरक्षित पेयजल का लक्ष्य सरकार ने 2022 तक तय कर दिया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ठोस समाधान तथा समयबद्ध कार्यान्वयन पर काम करने के लिए आवश्यक उपाय सुझाएं।

3. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की घोषणा की है, अंतरिक्ष स्टेशन के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए इसके समक्ष आने वाली चुनौतियों की चर्चा करें।

4. भारत में नकली दवाओं के प्रचलन के कारणों को गिनाइए, साथ ही बताएँ कि क्या बार कोडिंग से दवाओं की प्रमाणिकता व उपलब्धता सुलभ हो पाएगी?

5. भारत में ग्रीष्म लहर और शीत लहर में हुई वृद्धि के कारणों की चर्चा करें।

6. प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना क्या है? इससे किसानों को किस प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे?

7. भारत के नगरीय क्षेत्रों में बढ़ती झुग्गी-बस्तियों से किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं?

सात महत्वपूर्ण खबरें

1. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को संरक्षित करने का प्रयास

- भारत में पिछले कई वर्षों से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (Great Indian Bustard) या सोन चिरैया को संरक्षित करने के प्रयास चल रहे हैं। अब इन प्रयासों के सकारात्मक परिणाम आने लगे हैं।
- ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, विश्व में पाये जाने वाली सबसे बड़ी उड़ने वाली प्रजातियों में से एक है। ग्रेट इंडियन भारतीय उपमहाद्वीप में कई क्षेत्रों में पायी जाती है।
- भारत में यह राजस्थान में मुख्य रूप से पायी जाती है। हालाँकि राजस्थान के अलावा यह मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि राज्यों में भी पायी जाती है।
- ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, शुष्क घास के मैदानों (Dry Grass Lands) में अपना आवास (Habitat) बनाती है।
- ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, आईयूसीएन के रेड लिस्ट में क्रिटिकली इन्डैन्जर्ड (Critically Endangerd) श्रेणी में आती है। इसके अलावा, यह पक्षी साइट्स (CITES) की प्रथम परिशिष्ट (First Appendix) में आती है, अर्थात् इसे साइट्स द्वारा संरक्षण प्राप्त है।
- यह पक्षी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की प्रथम अनुसूची में आता है। कोई भी जीव जब इस अधिनियम की प्रथम अनुसूची में आ जाता है तो सरकार उसे उच्च स्तर का संरक्षण प्रदान करती है।
- भारत सरकार का पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 'वन्यजीवों के आवास का एकीकृत विकास' (Integrated Development of Wildlife Habitat - IDWH) कार्यक्रम चलाती है। इस कार्यक्रम में जीवों को उनके आवास में संरक्षित व विकसित किया जाता है। आईडीडब्ल्यूएच में अन्य जीवों के साथ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को भी शामिल किया गया है।
- ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को संरक्षित करने हेतु राजस्थान सरकार भी प्रोग्राम चलाती है। इसमें इस पक्षी के आवास क्षेत्र को तारों से घेर दिया जाता है और प्रजनन को बढ़ावा दिया जाता है।
- ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के कुछ प्रमुख संक्षित क्षेत्र हैं-
  - मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य (राजस्थान)
  - करेरा वन्यजीव अभयारण्य (मध्य प्रदेश)
  - रोलापदु वन्यजीव अभयारण्य (आंध्र प्रदेश)

साइट्स

साइट्स का पूरा नाम है- 'द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इन्डैन्जर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फौना एण्ड फ्लोरा' (The Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora - CITES)। यह वन्यजीवों एवं वनस्पतियों की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर देशों के बीच एक समझौता है। इस समझौते के तहत संकटापन्न प्रजातियों को तीन परिशिष्ट में रखा जाता है। यह समझौता 1975 को लागू हुआ था तथा भारत इसका सदस्य 1976 में बना। ■

2. तुलु भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग

- हाल ही में तुलु (Tulu) नामक द्रविड़ भाषा को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की माँग फिर से तेज हो गयी है।
- तुलु भाषा, केरल और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में बोली जाती है। हालाँकि केरल के कासरागोड़ जिले में यह काफी अधिक बोली जाती है। कासरागोड़ जिले को 'सप्त भाषा संगम भूमि' के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ सात भाषाएँ बोली जाती हैं और तुलु इन सात भाषाओं में से एक है।
- सन् 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में तुलु भाषी लोगों की संख्या लगभग 18,46,427 थी जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल संस्कृत और मणिपुरी भाषी लोगों से काफी अधिक है। अतः तुलु भाषी लोगों की माँग है कि तुलु भाषा को भी संविधान की आठवीं अनुसूची में जगह दी जाये।
- केरल और कर्नाटक के जिन क्षेत्रों में तुलु भाषा को बोला जाता है उसे 'तुलुनाडू' के नाम से सम्बोधित किया जाता है। कुछ भाषाविदों का मानना है कि तुलु भाषा, द्रविड़ भाषा परिवार की सबसे विकसित भाषा है।
- वर्तमान में संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएँ हैं, जबकि मूल संविधान में 14 भाषाएँ ही थीं। बाद में संविधान संशोधन के द्वारा आठ भाषाओं को और जोड़ा गया।
- संविधान की आठवीं अनुसूची में किसी भाषा के जुड़ने के लाभ निम्नलिखित हैं-
  - आठवीं अनुसूची की भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिये जाते हैं।
  - संसद तथा राज्यों की विधायिकाओं में जनप्रतिनिधि आठवीं अनुसूची में उपस्थित भाषाओं का आधिकारिक रूप से प्रयोग कर सकते हैं।

- तुलु भाषा के अलावा 2011 की जनगणना में भारत की अन्य भाषाओं को बोलने, पढ़ने व लिखने वालों की संख्या काफी अधिक थी, जिन्हें संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की समय-समय पर माँग उठती रहती है, यथा-भीली या भिलोड़ी भाषा, खंदेशी भाषा, गोंड भाषा, खासी भाषा, हो भाषा, गारो भाषा
- वैश्विक स्तर पर भाषाई विविधता को संरक्षित 'युलु घोषणा' (Yulu Proclamation) के तहत संरक्षित किया जाता है। इस घोषणा को यूनेस्को के 2018 के सम्मेलन में अपनाया गया था। ■

3. भारतीय थल सेना ने अपनाया जीओसीओ मॉडल

- हाल ही में भारतीय थल सेना ने जीओसीओ मॉडल (Government Owned Contractor Operated Model) को अपना लिया है।
- जीओसीओ मॉडल में सरकारी के कुछ संचालनों (Operations) को निजी कम्पनियों द्वारा संचालित किया जाता है जबकि स्वामित्व सरकार के पास ही रहता है। उदाहरण के लिए यदि कोई सेना की वर्कशॉप है तो उसका संचालन निजी कम्पनियों द्वारा किया जायेगा जबकि वर्कशाप का स्वामित्व सेना के ही हाथ में रहेगा।
- सैन्य सुधारों के लिए गठित शेकटकर समिति ने भी जीओसीओ मॉडल की सिफारिश की थी। समिति का कहना था कि जीओसीओ मॉडल को सेना के सभी अंगों को अपनाना चाहिए। इससे उनकी कार्यक्षमता में बढ़ोत्तरी होगी और वह अपने प्रमुख कार्य रक्षा पर सही तरीके से ध्यान दे सकेंगे। अभी सेना द्वारा रक्षा के अलावा कई सिविलियन कार्य (यथा- सामान का भण्डारण, कैन्टीन चलाना आदि) किये जाते हैं।
- सन् 2015 में भारत सरकार ने सशस्त्र बलों की युद्ध क्षमता को बढ़ाने और रक्षा व्यय को तर्कसंगत बनाने हेतु लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) डी. बी. शेकटकर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया था। इस समिति ने सैन्य सुधारों हेतु कई सिफारिशें दी हैं। ■

4. गोवा व केरल में एपिफेनी त्यौहार मनाया गया

- हाल ही में गोवा, केरल आदि राज्यों में एपिफेनी त्यौहार मनाया गया।
- एपिफेनी त्यौहार, ईसाई धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है। एपिफेनी त्यौहार के अलावा ईसाई धर्म के अन्य दो महत्वपूर्ण त्यौहार क्रिसमस और ईस्टर हैं।
- एपिफेनी त्यौहार को गोवा में 'फेस्टा डॉस रीस' (Festa Dos Reis) और केरल में देन्हा (Denha) के नाम से भी जाना जाता है। उल्लेखनीय है कि फेस्टा डॉस रीस, एक पुर्तगाली नाम है।
- ऐसा माना जाता है कि एपिफेनी के ही दिन मागी ने शिशु यीशु को देखने व श्रद्धांजलि देने हेतु बेथलहम शहर गये थे। ईसाई धर्म में मागी का तात्पर्य तीन बुद्धिमान व्यक्तियों या राजा से है।
- एक अन्य मान्यता यह भी है कि एपिफेनी के ही दिन पश्चिम एशिया की एक नदी (जार्डन नदी) में यीशु का बपतिस्मा हुआ था।

कैसे हुई शुरूआत

इटली ऐसा देश है जहां 25 दिसंबर या 7 जनवरी नहीं, बल्कि 6 जनवरी को क्रिसमस होता है। इस

देश में 'द फीस्ट ऑफ एपिफेनी' नाम से यह त्योहार मनाते है। माना जाता है कि यीशू के पैदा होने के 12वें दिन तीन ज्ञानी लोग उन्हें अपना आशीर्वाद और उपहार देने गए थे। यही कारण है कि उन्हीं को याद करते हुए छह जनवरी को इटली में सदियों से ईसामसीह का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। ■

5. सेके भाषा विलुप्ति के कगार पर

- हाल ही में लुप्त प्राय भाषाओं पर काम करने वाली संस्था इंडेजर्ड लैंग्वेज अलायंस (Endagered Language Alliance - ELA) सेके भाषा (Seke Language) को बोलने वाले कुछ ही लोगों की संख्या विश्व में लगभग 700 बची है।
- सेके भाषा, नेपाल में तिब्बत की सीमा से सम्बद्ध क्षेत्रों में बोली जाती है और यूनेस्को (संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन) द्वारा अपनाये गये मानदण्डों के अनुसार सेके भाषा लुप्तप्राय श्रेणी में आती है। सेके भाषी समुदाय पिछले कुछ वर्षों से जलवायु परिवर्तन के कारण अपने देश से पलायन करने को मजबूर हुए हैं। इसके अलावा जानकारों का मानना है कि नेपाली भाषा को नेपाल में महत्त्व दिए जाने के कारण 'सेके' भाषा विलुप्ति के कगार पर पहुँच चुकी है।
- यूनेस्को विश्व भर की अति संकटग्रस्त भाषाओं के लिए एक एटलस (Atlas) जारी करता है। इस एटलस में संकटग्रस्त भाषाओं को छः श्रेणियों में विभाजित किया गया है-
  - **सुरक्षितः** ऐसी भाषाएँ जो सभी पीढ़ियों के लोग बोलते हैं साथ ही एक-दूसरे से संवाद में कोई कठिनाई नहीं होती है।
  - **सुभेद्य (Vulnerable):** वे भाषाएँ जो नई पीढ़ी (बच्चों) द्वारा बोली जाती है परंतु वे कुछ क्षेत्रों/परिस्थितियों तक सीमित हों।
  - **लुप्तप्राय / संकटग्रस्त (Definitely Endangered):** वे भाषाएँ जिन्हें बच्चे मातृभाषा के रूप में नहीं सीखते हैं।
  - **गंभीर रूप से संकटग्रस्त (Severely Endangered):** वे भाषाएँ जो बुजुर्ग पीढ़ी (दादा-दादी) द्वारा बोली जाती हैं और जिन्हें उनके बच्चे समझते तो हों लेकिन अगली पीढ़ी से उस भाषा में बात नहीं करते हैं।
  - **अत्यंत संकटग्रस्त (Critically Endangered):** वे भाषाएँ जिन्हें केवल

बुजुर्ग पीढ़ी के लोग समझते हों और इनका प्रयोग भी बहुत ही कम अवसरों पर किया जाता है।

- **विलुप्त भाषाएँ (Extinct Languages):** वे भाषाएँ जिन्हें अब कोई भी बोलता-समझता न हो। ■

6. इसरो ने जीसैट-30 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया

- हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी 'इसरो द्वारा' जीसैट-30 नामक संचार उपग्रह को फ्रेंच गुयाना के कौरु (Kauru) में स्थित 'गुयाना अंतरिक्ष केंद्र' से प्रक्षेपित किया गया।
- इसरो के मुताबिक, 'जीसैट-30' एक संचार उपग्रह है। यह इनसैट-4ए सैटेलाइट की जगह काम करेगा। दरअसल, इनसैट-4ए सैटेलाइट की उम्र अब पूरी हो रही है और इंटरनेट टेक्नोलॉजी में तेजी से बदलाव आ रहा है। इस वजह से ज्यादा ताकतवर सैटेलाइट की जरूरत थी। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए इसरो ने जीसैट-30 लॉन्च किया है।

जीसैट-30

- जीसैट-30 सैटेलाइट का वजन करीब 3357 किलोग्राम है। यह लॉन्चिंग से 15 सालों तक काम करता रहेगा। इसमें दो सोलर पैनल और बैटरी है, जिससे इसे ऊर्जा मिलेगी। इनसैट-4ए को साल 2005 में लॉन्च किया गया था।
- जीसैट-30 से भारत की संचार सेवाएँ बेहतर होंगी। इंटरनेट की स्पीड बढ़ेगी और उन क्षेत्रों में भी मोबाइल सेवाएँ पहुँच जायेगी, जहाँ अभी तक नहीं थी।
- इसरो ने बताया कि GSAT-30 के कम्यूनिकेशन पेलोड को अधिकतम ट्रांसपोंडर लगाने के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। सैटेलाइट का इस्तेमाल व्यापक रूप से वीसैट नेटवर्क, टेलीविजन अपलिंकिंग, टेलीपोर्ट सेवाएँ, डिजिटल सैटलाइट खबर संग्रहण (डीएसएनजी), डीटीएच टेलीविजन सेवाओं के साथ जलवायु परिवर्तन को समझने और मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाएगा।
- जीसैट-30 सैटेलाइट को 'एरियन-5' प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया है।
- जीसैट-30 का जितना वजन है, उस भार श्रेणी के उपग्रहों को भू-तुल्यकालिक प्रक्षेपण यान 'MK II' (GSLV-MK II) के द्वारा नहीं भेजा जा सकता है। हालाँकि 'जीएसएलवी एमके-III' प्रक्षेपण यान से लगभग 4000 किलोग्राम तक के उपग्रहों को भेजा जा सकता है, किंतु गगनयान मिशन की तैयारियों को देखते हुए इसरो ने एरियन लॉन्च वेहिकल को ही चुना।
- जीसैट-30 को भू-तुल्यकालिक कक्षा (Geo-Synchronous Orbit) में स्थापित किया गया है।

एरियन-5

यह फ्राँस की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित किया है। इससे भारी वजन के उपग्रहों को उच्च भू-कक्षा (High Earth Orbit - HEO) में प्रक्षेपित किया जा सकता है।

गुयाना अंतरिक्ष केंद्र

- गुयाना अंतरिक्ष केंद्र, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में भूमध्य रेखा के पास स्थित कौरू में है।
- गुयाना अंतरिक्ष केंद्र और कौरू क्षेत्र में फ्राँस का स्वामित्व है। ■

7. हिन्दूकुश हिमालय की उँचाई पर घास में वृद्धि

- नासा के उपग्रहों से प्राप्त आँकड़ों और उसके विश्लेषण से पता चला है कि माउंट एवरेस्ट की 20,000 फीट की ऊँचाई पर घास और झाड़ियों की मात्रा में वृद्धि हो रही है तथा जलवायु परिवर्तन के कारण हिंदूकुश हिमालय में तेजी से बदलाव आ रहा है जो न केवल पेड़-पौधों को बल्कि पूरे इकोसिस्टम को प्रभावित कर रहा है।
- माउंट एवरेस्ट और हिमालय के के चारों और ग्लोबल वार्मिंग के असर को साफ देखा जा सकता है। कभी बर्फ की सफेद चादर में ढंके रहने वाले इस क्षेत्र पर अब घास और झाड़ियाँ नजर आने लगी हैं जोकि स्पष्ट रूप से इशारा करता है कि जलवायु में आ रहा परिवर्तन इस पर्वत श्रृंखला पर विनाशकारी असर डाल रहा है।

- हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्र 42 लाख किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है जोकि एशिया के दस सबसे बड़ी नदियों को पोषित करता है। साथ ही 140 करोड़ लोगों की जल सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करता है। इस विशाल क्षेत्र में उगने वाले पेड़-पौधों की मात्रा को मापने के लिए वैज्ञानिकों ने उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग किया है। इस निर्जन स्थान के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। जहाँ तक इंसान का पहुंच पाना कठिन है। पेड़ों और बर्फ के बीच का यह क्षेत्र आमतौर पर मौसमी बर्फ से ढंका रहता है। जहां कहीं-कहीं पर छोटे पौधे देखने को मिल जाते हैं।
- वैज्ञानिकों ने उस स्थान का अध्ययन किया है जो पांच से 15 गुना तक स्थायी ग्लेशियरों और बर्फ से ढंका रहता हैं। इसे समझने के लिए एक्सेटर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने नासा के लैंडसैट उपग्रह से 1993 से 2018 के बीच प्राप्त चित्रों का विश्लेषण किया है।
- इसे समझने के लिए शोधकर्ताओं ने समुद्रतल से 4,150 से 6,000 मीटर ऊंचाई वाले हिस्सों को चार भागों में बांट कर अध्ययन किया गया है जो स्पष्ट रूप से दिखाता है कि माउंट एवरेस्ट के आसपास के क्षेत्र में पौधे की मात्रा बढ़ रही है। ■

सात महत्वपूर्ण बिंदु : साभार पीआईबी

1. डिजिटल स्पेस में भारतीय विरासत

- हाल ही में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने एक महीने चलने वाली 'डिजिटल स्पेस में भारतीय विरासत' नामक विशेष प्रदर्शनी और दो दिवसीय पहली अंतर्राष्ट्रीय विरासत संगोष्ठी का नई दिल्ली में उद्घाटन किया।
- इस प्रदर्शनी में दर्शकों को हम्पी के सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन और परंपराओं की पुनर्स्थापना, अनेक महत्वपूर्ण ढांचों का वास्तुशिल्पीय और स्थापत्य पुनर्गठन तथा भित्ति चित्रों के रहस्योद्घाटन का अनुभव प्राप्त होगा। विरासत में प्रौद्योगिकी का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन यह केवल शोध तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, यह जनता तक इस तरह पहुँचनी चाहिए कि वे विरासत स्थलों के अनदेखे पहलुओं को जानने और समझने का अवसर प्राप्त कर सकें।
- भारत सरकार का कहना है कि हमारे पास विश्व स्तरीय विरासत मौजूद है और दुनियाभर के लोगों को हमारी समृद्ध, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को देखने के लिए भारत की यात्रा करनी चाहिए। इस स्थिति में, हमें प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से इन विरासतों के इतिहास और विशेषताओं को बेहतर तरीके से पेश करना चाहिए। संग्रहालय में आने वाले व्यक्ति को प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा जानकारी दी जानी चाहिए ताकि इससे उसकी यात्रा का अनुभव अधिक समृद्ध हो सके।
- इस विशेष प्रदर्शनी में देश के सांस्कृतिक विरासत क्षेत्र में भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) की भारतीय डिजिटल विरासत (आईडीएच) पहल के तहत विकसित प्रौद्योगिकियों के अनुकूलन और सम्मिश्रण का प्रदर्शन किया गया है। इस प्रदर्शनी में दो प्रमुख परियोजनाओं के परिणामों का प्रदर्शन किया गया है। इन परियोजनाओं का लक्ष्य 3 डी लेजर स्कैन डेटा, एआर, होलोग्राफिक प्रोजेक्शन और 3 डी फैब्रिकेशन का उपयोग करके डिजिटल स्थापना का सृजन करना है ताकि हम्पी और पाँच भारतीय स्मारकों काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी; ताज महल, आगरा; सूर्य मंदिर, कोणार्क; रामचंद्र मंदिर, हम्पी; और रानीकीवाव, पाटन के वैभव का सजीव और व्यापक अनुभव उपलब्ध कराना है।
- यह प्रदर्शनी भारत की अपनी तरह की पहली प्रदर्शनी है जिसमें सांस्कृतिक धरोहर क्षेत्र में नवीनतम हस्तक्षेपों के प्रदर्शन पर विशेष ध्यान दिया गया है।

2. असम अंतरदेशीय जल परिवहन परियोजना

- हाल ही में ब्रह्मपुत्र तथा अन्य नदियों में असम के जल परिवहन क्षेत्र के आधुनिकीकरण में मदद के लिए भारत सरकार, असम सरकार तथा विश्व बैंक ने 88 मिलियन डॉलर के ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किए।
- असम के 361 से अधिक जलमार्ग ब्रहमपुत्र नदी से गुजरते हैं और ब्रहमपुत्र घाटी के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के हजारों यात्रियों को परिवहन सेवा उपलब्ध कराते हैं। असम अंतरदेशीय जल परिवहन परियोजना (AIWTP) से असम को जल परिवहन मार्ग की आधारभूत संरचना को सुधारने तथा अंतरदेशीय जल परिवहन व्यवस्था को चलाने वाले संस्थानों को मजबूत बनाने में सहायक होगी।
- गौरतलब है कि भारत का बड़ा अंतरदेशीय जलमार्ग नेटवर्क देश की अर्थव्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। असम में लोगों के परिवहन के लिए नदियाँ प्रमुख साधन हैं। अंतरदेशीय जल परिवहन परियोजना बड़ी संख्या में लोगों के आने-जाने के लिए और माल ढुलाई के लिए आधुनिक, सक्षम और सुरक्षित नदी परिवहन प्रणाली विकसित करने में मदद करेगी।
- असम में भारत में जलमार्ग का सबसे बड़ा नेटवर्क है। असम सरकार ने जल परिवहन क्षेत्र को आधुनिक बनाने की चुनौती

हाथ में ली है। अभी तक यह क्षेत्र अनौपचारिक था। विश्व बैंक के सहयोग से सरकार एक संस्थागत ढांचा बना रही है, जो अंतरदेशी जलमार्ग को परिवहन के रूप में प्रस्तुत करेगा। यह असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में रहने वाले लोगों के लिए आकर्षक और अनुकूल परिवहन व्यवस्था होगी।

- यह परियोजना असम सरकार के जल परिवहन गतिविधियों के निगमीकरण के प्रयास में सहयोग देगी। असम शिपिंग कम्पनी (एएससी) सरकारी बड़ी नौकाओं को चलायेगी और असम पोर्ट कम्पनी (एपीसी) सार्वजनिक तथा निजी जहाज चालकों को सामान्य यूजर आधार पर टर्मिनल और टर्मिनल सेवाएं प्रदान करेगी।
- अंतरदेशीय जल परिवहन एक स्थायी परिवहन व्यवस्था है। बाढ़ रोधी सड़कों तथा ब्रहमपुत्र नदी पर पुलों के निर्माण और रखरखाव की तुलना में अंतरदेशीय जल परिवहन कम कार्बन और कम लागत की व्यवस्था प्रदान करता है।
- असम की नदी परिवहन सेवा वहां के लोगों से जुड़ी हुई है और लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी, आवाजाही तथा जीवनयापन की बेहतर सुविधा प्रदान करती है।

3. ब्रू-रियांग ऐतिहासिक समझौता

- हाल ही में केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में भारत सरकार, त्रिपुरा और मिजोरम सरकार और ब्रू-रियांग प्रतिनिधियों के बीच में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस नए समझौते से करीब 23 वर्षों से चल रही इस बड़ी मानव समस्या का स्थायी समाधान किया जाएगा व करीब 34 हजार व्यक्तियों को त्रिपुरा में बसाया जाएगा। केंद्र सरकार ने कई नीतिगत कदम उठाए हैं, जिससे इस क्षेत्र के बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी, आर्थिक विकास, पर्यटन और सामाजिक विकास में सुधार हुआ है।
- इस समझौते के अंतर्गत ब्रू-रियांग को पुनर्स्थापित करने का यह मुद्दा त्रिपुरा और मिजोरम राज्य सरकारों व ब्रू-रियांग प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श कर एक नई व्यवस्था बनाने का फैसला किया जिसके अंतर्गत वे सभी ब्रू-रियांग परिवार जो त्रिपुरा में ही बसना चाहते हैं और उनके लिए त्रिपुरा में ही व्यवस्था करने का फैसला किया गया है। इन सभी लोगों को राज्य के नागरिकों के सभी अधिकार दिये जाएँगे और वे केंद्र व राज्य सरकारों की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। इस नए समझौते को करने के लिए भारत सरकार को त्रिपुरा व मिजोरम सरकारों, ब्रू-रियांग प्रतिनिधियों का पूरा समर्थन मिला है।
- इस नई व्यवस्था के अंतर्गत विस्थापित परिवारों को 40×30 फुट का आवासीय प्लॉट दिया जाएगा और उनकी आर्थिक सहायता के लिए प्रत्येक परिवार को, पहले समझौते के अनुसार 4 लाख रुपये फिक्स्ड डिपॉजिट में, दो साल तक 5 हजार रुपये प्रतिमाह नकद सहायता, दो साल तक फ्री राशन व मकान बनाने के लिए 1.5 लाख रुपये दिये जाएंगे। इस नई व्यवस्था के लिए त्रिपुरा सरकार भूमि की व्यवस्था करेगी। भारत सरकार, त्रिपुरा और मिजोरम सरकार और ब्रू-रियांग प्रतिनिधियों के बीच यह नया समझौता हुआ है जिसमें करीब 600 करोड़ रुपये की सहायता केंद्र द्वारा दी जाएगी।
- हाल ही में उग्रवादी संगठन NLFT(SD) के 88 हथियारबंद उग्रवादियों द्वारा आत्मसमर्पण किया गया और उन्हें मुख्यधारा में शामिल किया गया। त्रिपुरा के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम था जिससे राज्य की शांति व्यवस्था मे महत्वपूर्ण सुधार हुआ।
- वर्ष 1997 में जातीय तनाव के कारण करीब 5,000 ब्रू-रियांग परिवारों ने, जिसमें करीब 30,000 व्यक्ति थे, मिजोरम से त्रिपुरा में शरण ली जिनको वहां कंचनपुर, उत्तरी त्रिपुरा में अस्थायी शिविरों में रखा गया।
- वर्ष 2010 से भारत सरकार लगातार प्रयास करती रही है कि इन ब्रू-रियांग परिवारों को स्थायी रूप से बसाया जाए। वर्ष 2014 तक विभिन्नै बैचों में 1622 ब्रू-रियांग परिवार मिजोरम वापस गए। ब्रू-रियांग विस्थाकपित परिवारों की देखभाल व पुनर्स्थापन के लिए भारत सरकार त्रिपुरा व मिजोरम सरकारों की सहायता करती रही है।

4. 'भारतीय दर्शन का वैश्वीकरण' विषय पर एक सम्मेलन

- हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आआईएम कोझिकोड में स्वामी विवेकानंद की एक आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। प्रधानमंत्री आईआईएम कोझिकोड में भारतीय दर्शन के वैश्वीकरण विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किये हैं।
- प्रधानमंत्री ने कहा भारतीय विचार जीवंत और विविधताओं से भरे हुए हैं और निरंतर परिवर्तनशील भी हैं। ये इतने व्यापक हैं कि इन्हें किसी एक संगोष्ठी, भाषण या किताबों की सीमा में बांधा नहीं जा सकता। मूल रूप से भारतीय मूल्य, करूणा, सद्भाव, न्याय, सेवा और विचारों के खुलेपन पर आधारित हैं।

शांति, सद्भाव और बंधुत्व

- प्रधानमंत्री ने कहा कि जो सबसे बड़ी बात दुनिया को भारत की तरफ आकर्षित करती है वह है, शांति, एकता और बंधुत्व की भावना पर आधारित मूल्य। शांति और सद्भाव के बल पर ही हमारी सभ्यता आज भी फल फूल रही है जबकि दुनिया की कई सभ्यताओं का अस्तित्व मिट चुका है।

पर्यावरण से लगाव

- प्रधानमंत्री ने कहा "जब मैं कहता हूं कि भारत शांति और सद्भाव में विश्वास करता है, तो इसमें प्रकृति और पर्यावरण के साथ सामंजस्य की हमारी भावना शामिल है। इस भावना को आप पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जा रहे हमारे प्रयासों में देख सकते हैं।'' उन्होंने कहा कि एक हरित भविष्य के लिए भारत ने सौर ऊर्जा का दोहन करने के वास्ते 'अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन' बनाने में दुनिया का नेतृत्व किया है।

बाघों और शेरों का संरक्षण

- उन्होंने कहा कि 2006 से अबतक देश में बाघों की संख्या बढ़कर दोगुनी हो चुकी है। आज देश करीब 2970 बाघों का घर है जो बाघों की वैश्विक आबादी का दो तिहाई है। भारत दुनिया में बाघों के सबसे बेहतरीन पर्यावासों में से एक है।

वन क्षेत्रों का बढ़ता दायरा

- प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि देश के वन क्षेत्र बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2014 में संरक्षित वन क्षेत्रों की संख्या 692 थी। यह 2019 में 860 से अधिक हो गई।

महिलाओं का कल्याण

- प्रधानमत्री ने कहा कि महिलाओं को आदर, महत्व और सम्मान दिया जाना देश की एक बड़ी खूबी है। महिलाएं देवत्व का रूप हैं।
- उन्होंने भक्ति आंदोलन के राजाराम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महात्मा फूले और सावित्री बाई फूले जैसे समाज सुधारकों के इस दिशा में किए गए प्रयासों की सराहना की।

5. दक्षिण मध्य क्षेत्र और भारतीय स्टेट बैंक के बीच समझौता ज्ञापन

- दक्षिण मध्य क्षेत्र के सभी 585 रेलवे स्टेशनों की आमदनी को डोरस्टेप बैंकिंग द्वारा सीधे पिकअप करने के लिए भारतीय रेलवे के दक्षिण मध्य क्षेत्र और भारतीय स्टेट बैंक के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौता ज्ञापन के अनुसार इस क्षेत्र के सभी रेलवे स्टेशनों से नकदी की सीधे पिकअप होने से ट्रेनों द्वारा तिजोरियों में भेजी जाने वाली नकद राशि की उबाऊ और जटिल गतिविधि समाप्त होगी।
- सभी रेलवे स्टेशनों पर एक समान नकद प्रेषण तंत्र उपलब्ध होगा। विभिन्न स्टेशनों द्वारा जमा की जा रही नकद राशि के बारे में वास्तविक जानकारी से बेहतर पर्यवेक्षण और जवाबदेही में मदद मिलेगी। रेलवे स्टेशनों पर नकद राशि का अवांछित संग्रह रोका जा सकेगा। स्टेशन की आय के प्रेषण का अच्छा तरीका।
- इस समझौता ज्ञापन से पहले, छोटे रेलवे स्टेशनों पर प्रत्येक दिन होने वाली कमाई को नामांकित ट्रेनों के गार्ड के साथ मैन्युअल रूप से भेजा जा रहा है, जबकि बड़े स्टेशनों की कमाई संबंधित वाणिज्यिक पर्यवेक्षक द्वारा नजदीकी नामांकित बैंकों में जमा कराई जा रही है।
- इसके लिए रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के कर्मचारी उस अधिकारी के साथ सुरक्षा एस्कॉर्ट्स के रूप में जाते हैं। मौजूदा प्रक्रिया से छुट्टियां, मैन पावर की उपलब्धता जैसे विभिन्न कारणों से नकद राशि जमा करने में देरी होने की गुंजाइश रहती है।
- समझौता ज्ञापन के अनुसार डोरस्टेप बैंकिंग की नई शुरुआत की सुविधा पहले सामने आ रही कठिनाइयों को दूर करेगी और इसके अलावा वित्तीय लेनदेन तथा रेलवे की नकदी आय के प्रेषण के डिजिटलीकरण की गति को बढ़ाने में मदद करेगी।

6. सक्षम अभियान-2020

- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्वावधान में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ (पीसीआरए) के एक महीने तक चलने वाले व्यापक वार्षिक ईंधन संरक्षण अभियान 'सक्षम' का शुभारंभ नयी दिल्ली में आयोजित एक समारोह में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव डॉ. एम एम कुट्टी द्वारा किया गया।
- देश के लिए पेट्रोलियम उत्पादों के महत्व पर जोर दिया गया और ईंधन संरक्षण की दिशा में कदम उठाने की सख्त जरूरत है। "समृद्धि और बेहतर होते जीवन स्तर के कारण देश में ऊर्जा की मांग बढ़ रही है। वर्ष 2020 के मध्य तक भारत वैश्विक ऊर्जा मांग में 25 प्रतिशत की वृद्धि के साथ दुनिया का सबसे बड़ा विकसित बाजार होगा। गौरतलब है कि देश की कच्चे तेल की 83 प्रतिशत आवश्यकता आयात के माध्यतम से पूरी होती है। ऐसे में ईंधन संरक्षण के सघन प्रयास आयात के बोझ को कम करने में मदद कर सकते हैं। हमें जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। सक्षम के माध्यम से सरकार यह सशक्त संदेश देना चाहते हैं कि एक टिकाऊ भविष्य के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण बेहद जरूरी है।
- ईंधन संरक्षण के क्षेत्र में योगदान के लिए तेल कंपनियों और उनके राज्य स्तर के समन्वयकों को भी पुरस्कार दिए गए। इस अवसर पर प्रतियोगिता के विजेताओं द्वारा बनाए गए चित्रों और पेंटिंग की गैलरी में लगायी गयी प्रदर्शनी ने लोगों को काफी आकर्षित किया।

- सक्षम-2020 के दौरान, पीसीआरए द्वारा विभिन्न तरह के संपर्क कार्यक्रम और गतिविधियां चलाई जा रही हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के कुशल मार्गदर्शन में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल और गैस कंपनियां विभिन्न गतिविधियों का संचालन कर रही हैं। इनमें 'सक्षम साईकिल डे', 'साइक्लोथॉन', वाणिज्यिक वाहन चालकों के लिए कार्यशालाएँ, गृहणियों के लिए खाना पकाने के दौरान ईंधन की बचत के तौर तरीके अपनाने पर संगोष्ठी तथा रेडियो, टीवी, डिजिटल सिनेमा आदि के माध्यम से राष्ट्रव्यापी अभियान चलाना शामिल है।
- सक्षम अभियान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत पीसीआरए और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों का प्रमुख कार्यक्रम है। जिसका उद्देश्य देश में ईंधन बचत के संदेश को आम जनता तक प्रभावी ढंग से पहुँचाना है।

7. ईएलईसीआरएएमए 2020 का शुभारंभ

- केंद्रीय भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन और सूचना और प्रसारण मंत्री, प्रकाश जावड़ेकर ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट में ईएलईसीआरएएमए 2020 का शुभारंभ किया। ईएलईसीआरएएमए भारतीय विद्युत उद्योग की एक प्रमुख प्रदर्शनी है और भविष्य में ऊर्जा पारगमन के लिए प्रौद्योगिकी, नए रुझानों और नवाचार के संदर्भ में विश्व को भारतीय उद्योग से जोड़ने का एक मंच है।
- देश की अर्थव्यवस्था के 6 प्रतिशत की दर से बढ़ने पर भी ऊर्जा की वार्षिक वृद्धि 10 प्रतिशत होनी चाहिए। उद्योगों को समाज के साथ-साथ उद्योग के लाभ के लिए सामाजिक कारणों में परिवर्तित होना चाहिए। सौभाग्य योजना (प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना) के अंतर्गत 3.5 करोड़ परिवारों को बिजली कनेक्शन दिए गए।
- केन्द्र सरकार ने बिजली उद्योग से सिर्फ कलपुर्जों के आपूर्तिकर्ता ही नहीं अपितु उत्पाद श्रृंखला का अंग बनने का भी आग्रह किया। उन्होंने एलईडी बल्बों की सफलता की कहानी का उल्लेख किया। गौरतलब है कि ग्राहकों को बिजली के बिलों में न सिर्फ हजारों करोड़ रुपये की बचत हुई बल्कि 400 मिलियन एलईडी बल्ब लगाने से पर्यावरणीय सुरक्षा भी हुई। ऊर्जा दक्षता एक बड़ा मुद्दा है और ऊर्जा दक्षता के जलवायु परिवर्तन साधनों के प्रतिकूल प्रभावों से निपटने के लिए इसका उपयोग किया जाना चाहिए।
- लोगों की अधिक बिजली और अधिक बिजली उपकरणों की आवश्यकता को देखते हुए बिजली की मांग के साथ-साथ बिजली के सामान की माँग भी बढ़ेगी। विकसित देशों की तुलना में भारत में ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत बहुत कम है।
- विद्युत वाहन भारत का भविष्य है और इस पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। विद्युत वाहन पर्यावरण प्रदूषण को कम करेंगे और ऊर्जा के उपयोग में दक्षता भी पैदा करेंगे। देश में दो पहिया और चार पहिया वाहनों सहित लगभग 5 लाख विद्युत वाहन हैं।
- बिजली क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में बदलाव आया है और पूरे देश को एक ग्रिड और एक फ्रिक्वेंसी के साथ जोड़ दिया गया है। भारत अब बिजली का अधिक उत्पादन करने वाला देश बन गया है और बिजली का निर्यात भी कर रहा है। पारेषण और वितरण प्रणाली में निवेश जारी है और इसमें तेजी आएगी।

❍❍❍

सात महत्वपूर्ण संकल्पनाएँ : ग्राफिक्स के माध्यम से

1. वन आच्छादित मानचित्र-2019

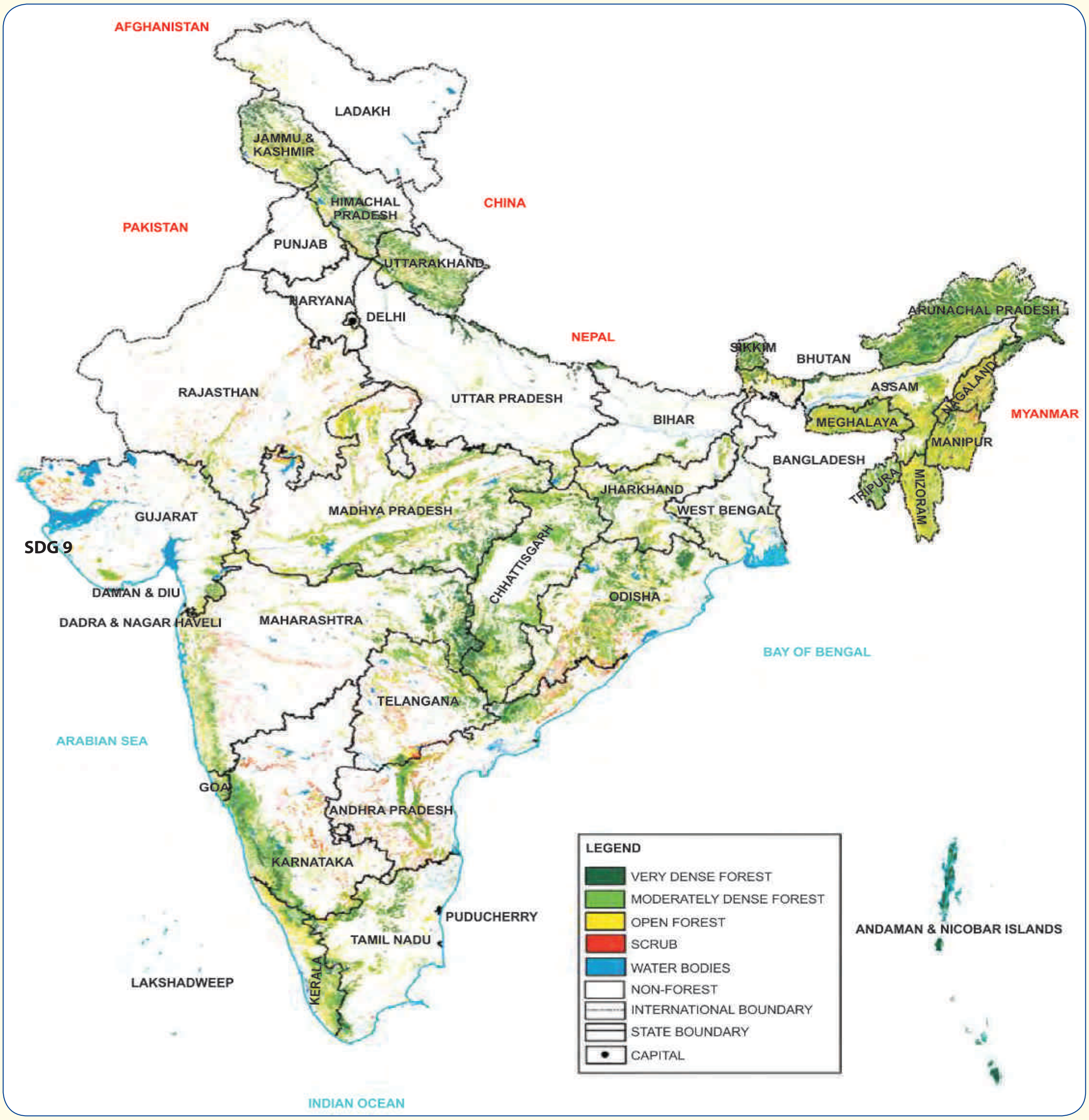

2. वन के प्रकार (चैंपियन एवं सेठ के वर्गीकरण के अनुसार-1968)

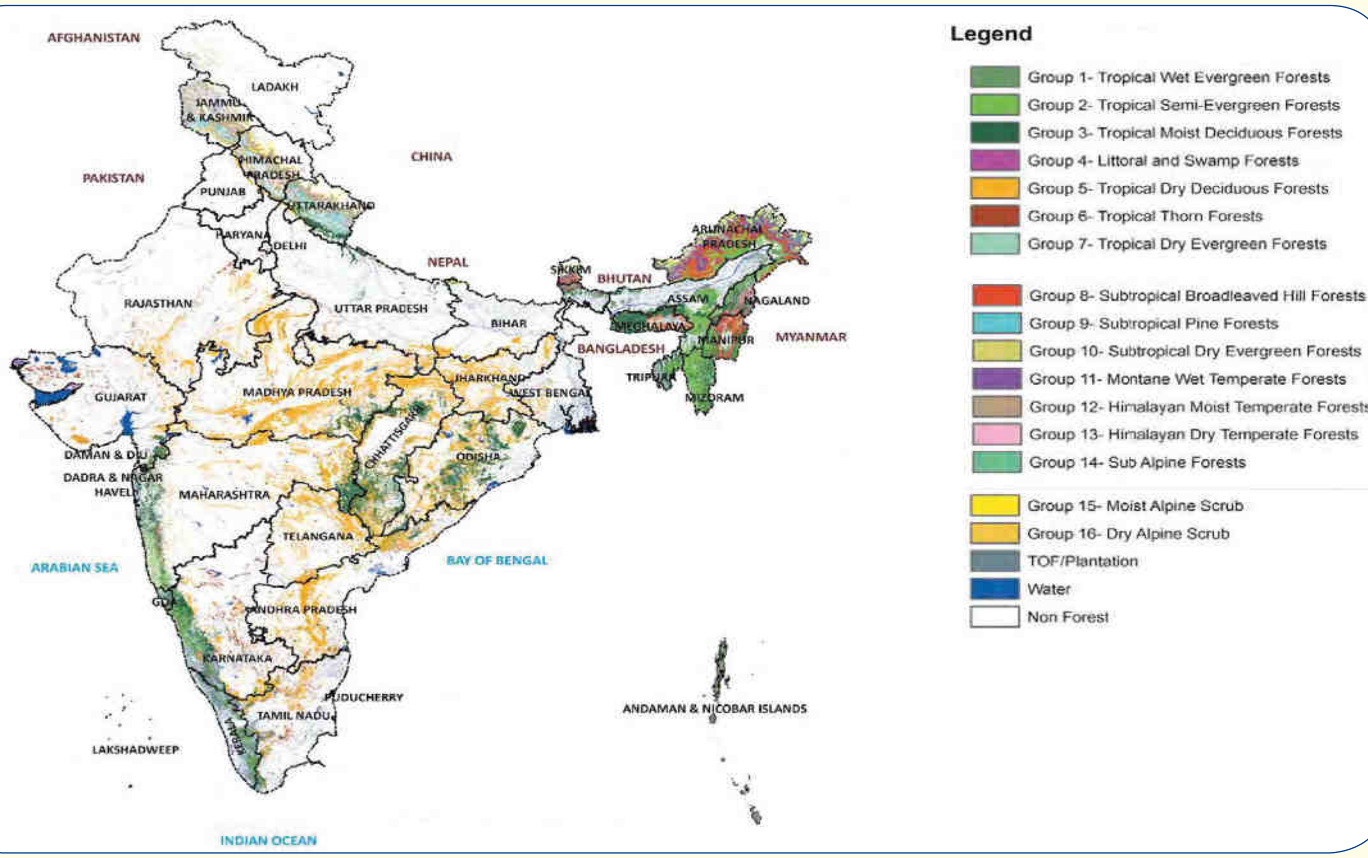

3. विभिन्न अग्नि प्रवण वर्गों के अंतर्गत वन क्षेत्र

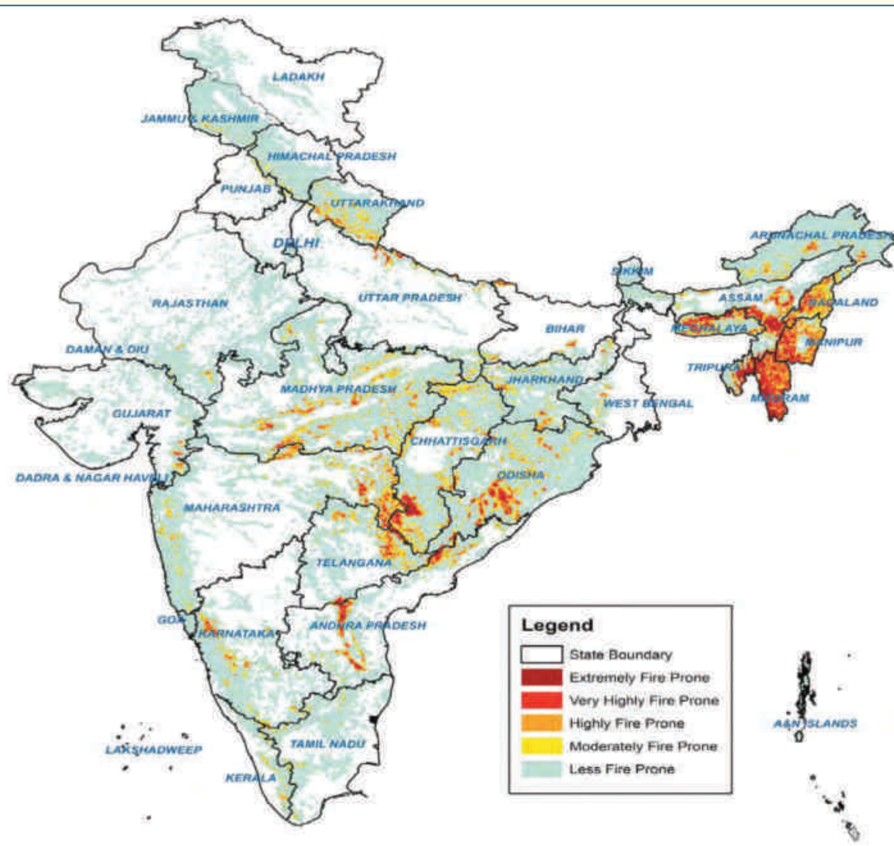

4. विभिन्न राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में मैंग्रोव कवर

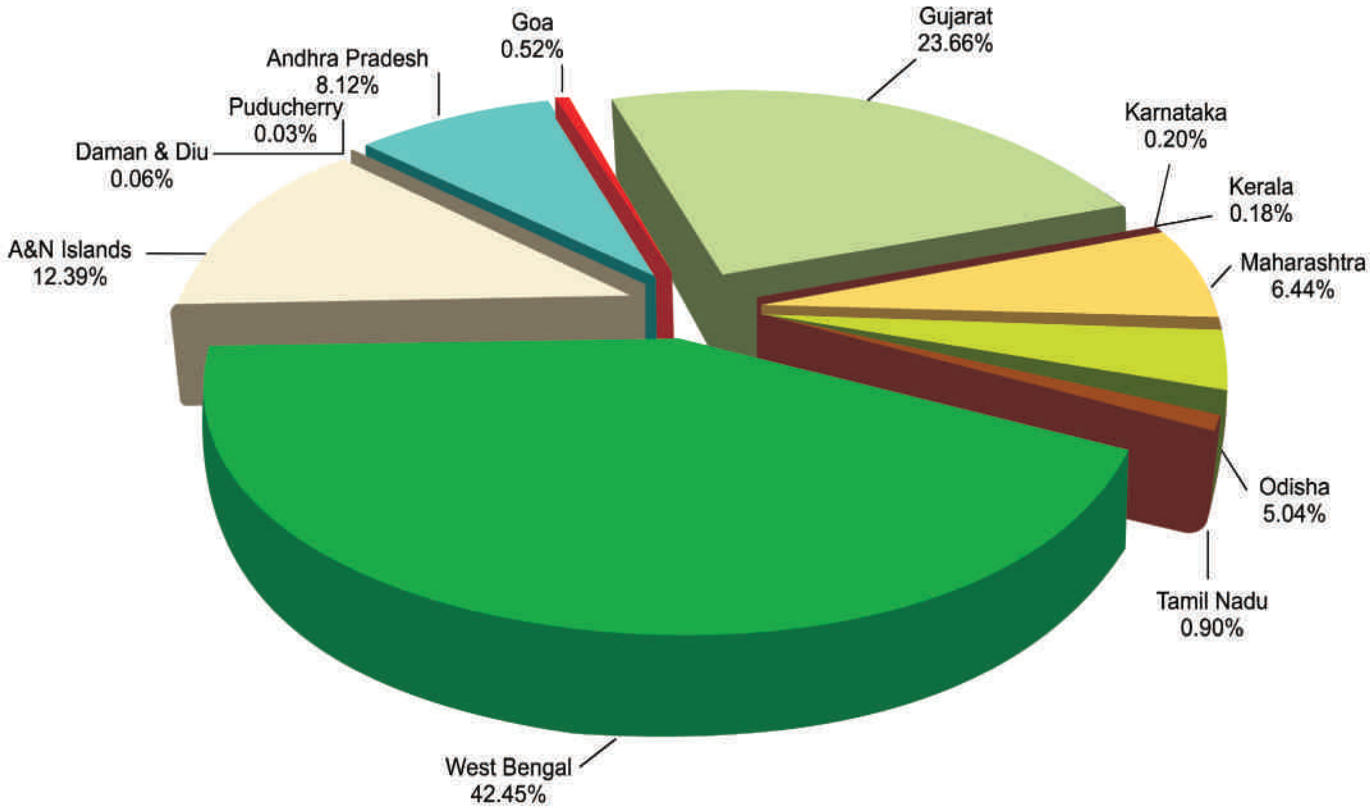

5. बाँस उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष दस राज्य

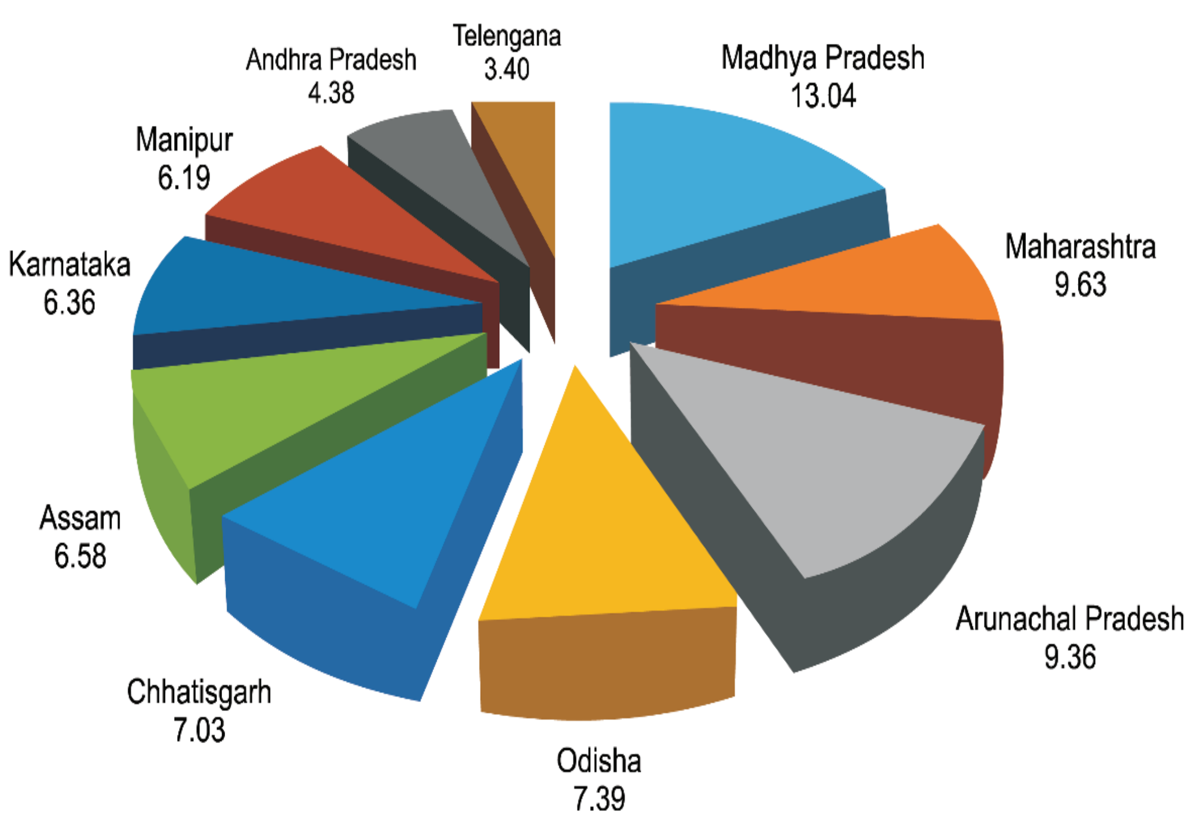

6. ईंधन के लिए वनों पर निर्भरता के मामले में शीर्ष दस राज्य

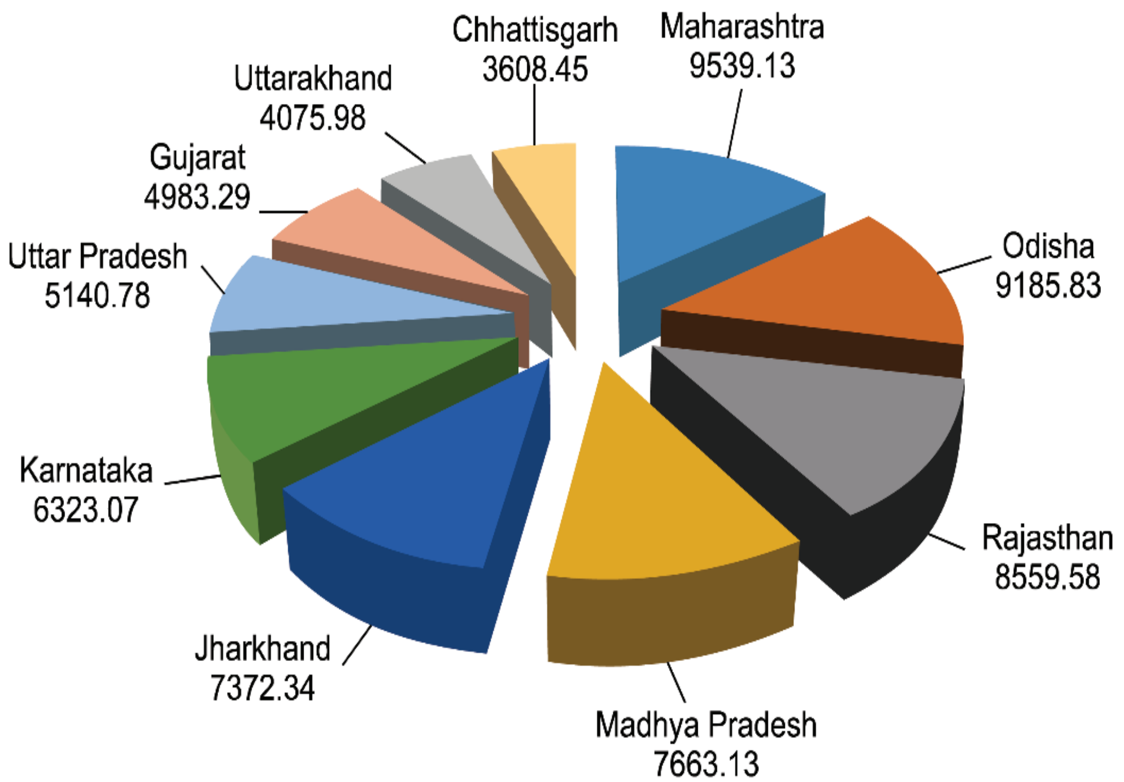

7. चारे के लिए वनों पर निर्भरता के मामले में शीर्ष दस राज्य

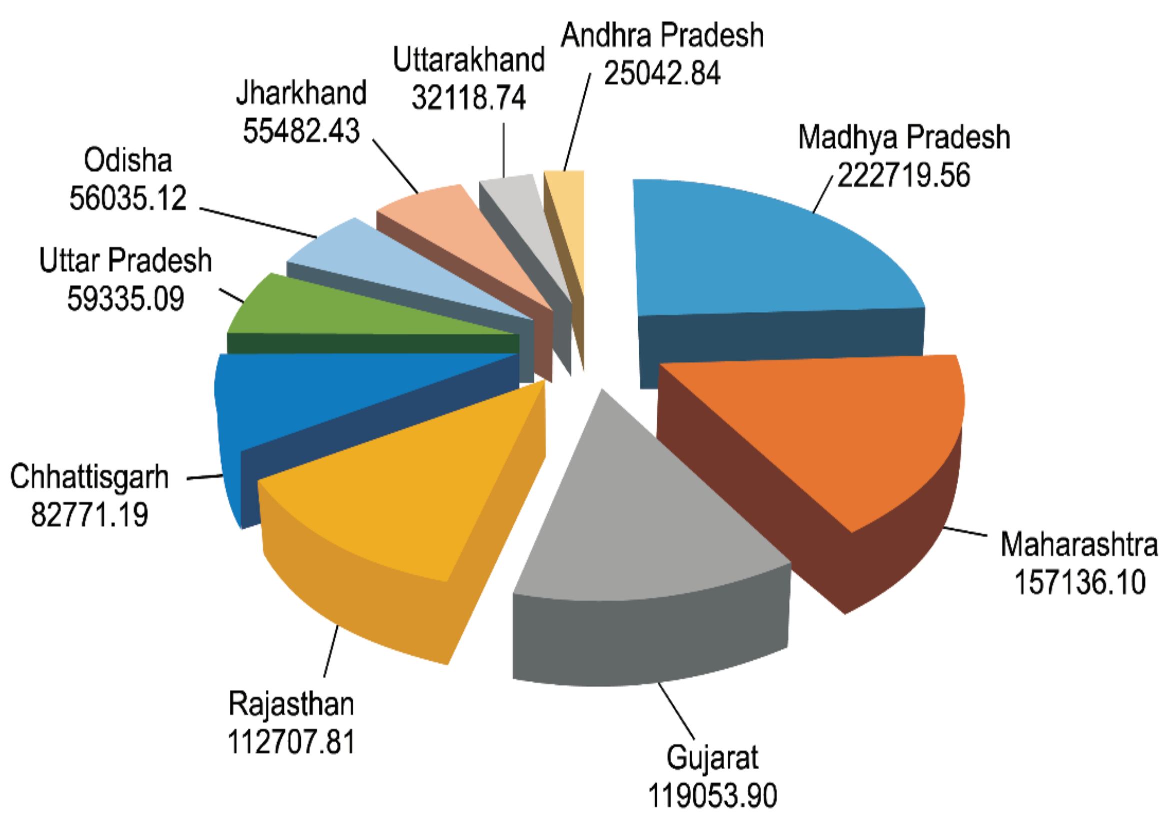

We are proud to be a part of your success
Congratulation to HPSC-2018 Toppers

We wish you success in all your future endeavors

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

AN INTRODUCTION

Dhyeya IAS, a decade old institution, was founded by Mr. Vinay Singh and Mr. Q.H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential realize their dreams which is evidents from success stories of the previous years.

Quite a large number of students desirous of building a career fro themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vartly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move my invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experrienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Coaching classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything you can only help him find it within himself.

DSDL Prepare yourself from distance

Distance learning Programme, DSDL, primarily caters the need for those who are unable to come to metros fro economic or family reason but have ardent desire to become a civil servant. Simultaneously, it also suits to the need of working professionals, who are unable to join regular classes due to increase in work load or places of their posting. The principal characteristic of our distance learning is that the student does not need to be present in a classroom in order to participate in the instruction. It aims to create and provide access to learning when the source of information and the learners are separated by time and distance. Realizing the difficulties faced by aspirants of distant areas, especially working candidates, in making use of the institute's classroom guidance programme, distance learning system is being provided in General Studies.The distance learning material is comprehensive, concise and examoriented in nature. Its aim is to make available almost all the relevant material on a subject at one place. Materials on all topics of General Studies have been prepared in such a way that, not even a single point will be missing. In other words, you will get all points, which are otherwise to be taken from 6-10 books available in the market / library. That means, DSDL study material is undoubtedly the most comprehensive and that will definitely give you added advantage in your Preliminary as well as Main Examination. These materials are not available in any book store or library. These materials have been prepared exclusively for the use of our students. We believe in our quality and commitment towards making these notes indispensable for any student preparing for Civil Services Examination. We adhere all pillars of Distance education.

Face to Face Centres

DELHI (MUKHERJEE NAGAR) : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068, **LUCKNOW (ALIGANJ)** 9506256789 | 7570009014, **LUCKNOW (GOMTI NAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY** : 9205336037 | 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

Live Streaming Centres

BIHAR: PATNA – 6204373873, 9334100961 | **CHANDIGARH** – 9216776076, 8591818500 | **DELHI & NCR** : FARIDABAD – 9711394350, 1294054621 | **GUJARAT**: AHMEDABAD - 9879113469 | **HARYANA**: HISAR – 9996887708, 9991887708, KURUKSHETRA – 8950728524, 8607221300 | **MADHYA PRADESH**: GWALIOR -9993135886, 9893481642, JABALPUR-8982082023, 8982082030, REWA–9926207755, 7662408099 | **MAHARASHTRA**: MUMBAI - 9324012585 | **PUNJAB**: PATIALA - 9041030070, LUDHIANA – 9876218943, 9888178344 | **RAJASTHAN**: JODHPUR - 9928965998 | **UTTARAKHAND**: HALDWANI-7060172525 | **UTTAR PRADESH**: ALIGARH – 9837877879, 9412175550, AZAMGARH - 7617077051, BAHRAICH - 7275758422, BAREILLY - 9917500098, GORAKHPUR - 7080847474, 7704884118, KANPUR - 7275613962, LUCKNOW (ALAMBAGH) - 7518573333,7518373333, MORADABAD - 9927622221, VARANASI - 7408098888

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

TRUEWORD
Quest for Wisdom

Price ₹ 40

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.in

ध्येयIAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

Subscribe Dhyeya IAS Email Newsletter
(ध्येय IAS ई-मेल न्यूजलेटर सब्स्क्राइब करें)

जो विद्यार्थी ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप (Whatsapp Group) से जुड़े हुये हैं और उनको दैनिक अध्ययन सामग्री प्राप्त होने में समस्या हो रही है | तो आप हमारेईमेल लिंक Subscribe कर ले इससे आपको प्रतिदिन अध्ययन सामग्री का लिंक मेल में प्राप्त होता रहेगा | **ईमेल से Subscribe करने के बाद मेल में प्राप्त लिंक को क्लिक करके पुष्टि (Verify) जरूर करें अन्यथा आपको प्रतिदिन मेल में अध्ययन सामग्री प्राप्त नहीं होगी |**

नोट (Note): अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अध्ययन सामग्री प्राप्त करनी है, तो आपको दोनों में अपनी ईमेल से Subscribe करना पड़ेगा | आप दोनों माध्यम के लिए एक ही ईमेल से जुड़ सकते हैं |

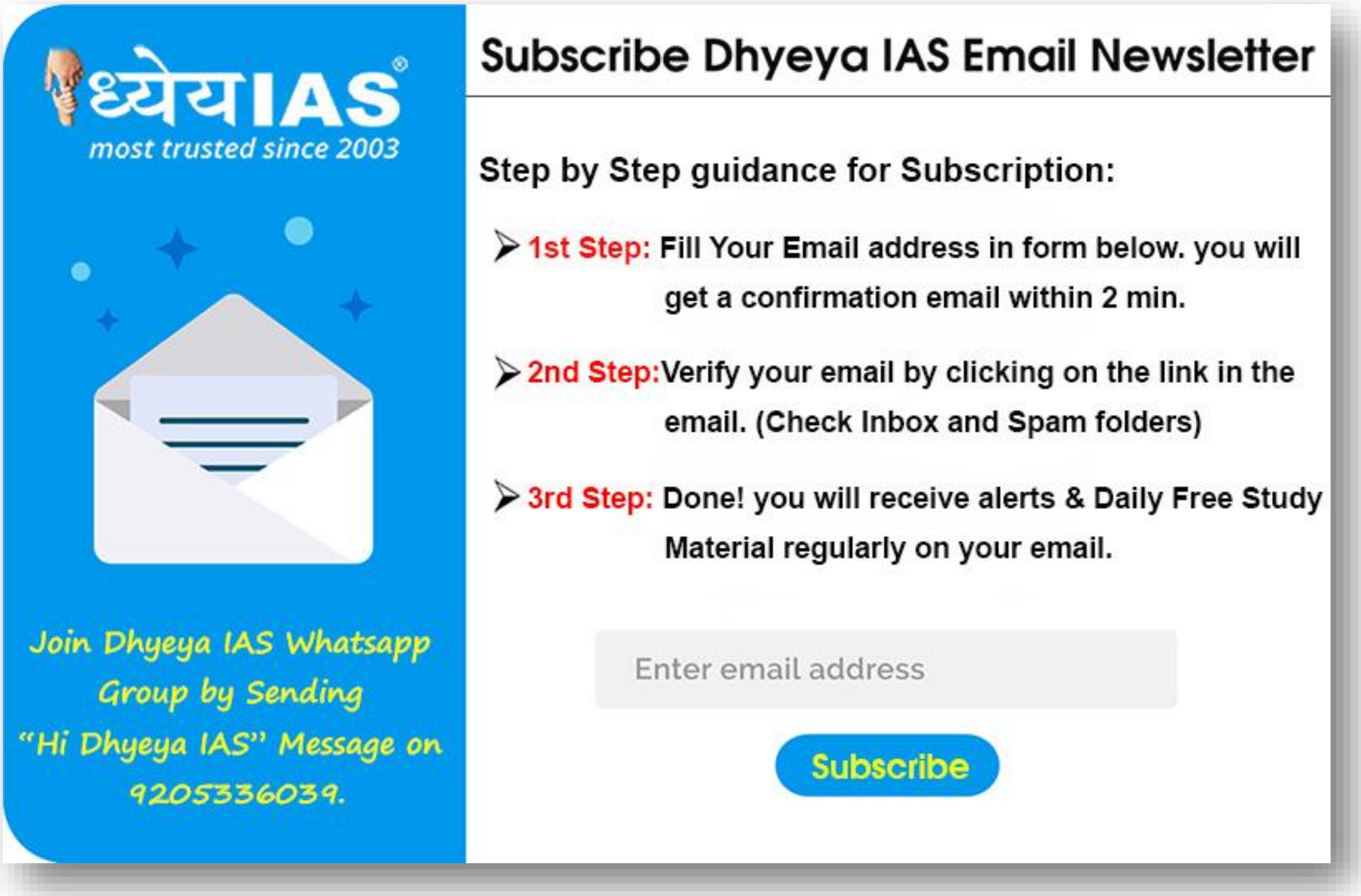

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400